खण्ड १—अंक ३

२१ मार्च, १९५७ (गुरूवार)

लोक-सभा

वाद-विवाद

(भाग १—प्रश्नोत्तर)

1st Lok Sabha (XV Session)

सत्यमेव जयते

(खण्ड १ में अंक १ से अंक ८ तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

चार आने (देश में) शिलिंग (विदेश में)
618 LSD

विषय-सूची

(खंड १—अंक १ से ८—१९ से २८ मार्च, १९५७)

पृष्ठ

अंक १—मंगलवार, १९ मार्च, १९५७

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १,२, ४, ५, ७, ८, ३, ६ और ९ . १-१२

प्रश्न का लिखित उत्तर—

अतारांकित प्रश्न संख्या १ . १२

दैनिक संक्षेपिका १३

अंक २—बुधवार, २० मार्च, १९५७

प्रश्नों के मौखिक उत्तर— . .

तारांकित प्रश्न संख्या ११,१२, १३, १४, १६, १७, १९, २०, २१, २२, २३, २४, २६, २७, २८, २९ और १५ . . . १४–२९

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १८ और २५ . . . . २९–३०

अतारांकित प्रश्न संख्या २, ३ और ४ . . . . ३०

दैनिक संक्षेपिका ३१

अंक ३—गुरुवार, २१ मार्च, १९५७

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३० से ३२, ३४ से ३७, ३९ से ४५ और ३३ . ३२–४७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३८ . . . . . ४७-४८

अतारांकित प्रश्न संख्या ५ से १३ . . . ४८–५०

अतारांकित प्रश्न संख्या ७९ के उत्तर में शुद्धि . ५१

दैनिक संक्षेपिका ५२

अंक ४—शुक्रवार, २२ मार्च, १९५७

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४६, ४७, ५० से ५२, ५४, ४९ और ५३ . . ५३–६३

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४८ और ५३ . . . ६४

अतारांकित प्रश्न संख्या १४ से १७ . . . ६४–६५

दनिक संक्षेपिका . . . ६६

अंक ५--सोमवार, २५ मार्च, १९५७

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ५६, ५९, ६० और ६२ से ७२ . . ६७–८२

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ५७ और ६१ ८२–८३

अतारांकित प्रश्न संख्या १८ से २५ ८३–८८

तारांकित प्रश्न संख्या ५९ के उत्तर में शुद्धि . . . ८९

दैनिक संक्षेपिका ९०

अंक ६--मंगलवार, २६ मार्च, १९५७

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ७३ से ७९, ८१, ८२, ८४ से ९६ . . ९१–११५

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १ . . . . . ११५–१६

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ८० और ८३ . . . . ११६–१७

अतारांकित प्रश्न संख्या २६ से ४५ और ४५-क . . ११७–२४

तारांकित प्रश्न संख्या १२५७ के उत्तर में शुद्धि . . . १२४

दैनिक संक्षेपिका १२५–२६

अंक ७--बुधवार, २७ मार्च, १९५७

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ९८, ९८-क, १०० से १०६, १०८ से ११०, १११, ११२, ११४ और ११५ . . . . . १२७–४७

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १०७, ११०-क और ११३ . . . १४७–४८

अतारांकित प्रश्न संख्या ४७ से ५२ . . . १४८–५०

अतारांकित प्रश्न संख्या २२७३ के उत्तर में शुद्धि . . . १५०

दैनिक संक्षेपिका १५१

अंक ८--गुरुवार, २८ मार्च, १९५७

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ११६ से १२१, १२३ से १२५, १२७ से १२९, १३१ और १३२ . . . . १५२–६८

अल्प सूचना प्रश्न संख्या २ . . . . . १६८–७०

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १२६ और १३० . . . १७०–७१

अतारांकित प्रश्न संख्या ५३ से ५७ . . १७१–७३

दैनिक संक्षेपिका १७४

सारांश १७५

अनुक्रमणिका . . . . . (१–४८)

टिप्पणी: किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

लोक-सभा

गुरुवार, २१ मार्च, १९५७

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

बिलासपुर

†*३०. **श्री आनन्दचन्द :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर जिले को घटा कर निकट भविष्य में सब-डिवीजन के स्तर पर कर देने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मत्री (श्री दातार)** : (क) इस समय इस प्रकार का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

†**श्री आनन्दचन्द** : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि भारत सरकार हिमाचल प्रदेश के संघ क्षेत्र की सम्पूर्ण शासन व्यवस्था पर आजकल विचार कर रही है, क्या मैं यह जान सकता हूं कि वर्तमान व्यवस्था में जिलों की संख्या घटाने के प्रश्न पर भी इस सिलसिले में विचार किया जायेगा ?

†**श्री दातार** : इस समय यह प्रश्न विचाराधीन नहीं है ।

श्री भक्त दर्शन : जिन राज्यों का पुनर्गठन हो चुका है, क्या उनके बारे में गवर्नमेंट यह विचार कर रही है कि राज्य सरकारों को सलाह दी जाय कि जिलों, कमिश्नरियों और तहसीलों का नये और वैज्ञानिक ढंग से पुनर्संगठन किया जाय और क्या इस बारे में कोई हिदायतें दी गई हैं या दी जा रही हैं ?

श्री दातार : ऐसे प्रश्न राज्य सरकारों के विचाराधीन हैं ।

भारत में पाकिस्तानी राष्ट्रजन

†*३१. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री २१ नवम्बर, १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १९५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत की सुरक्षा की दृष्टि से पाकिस्तान से आने वाले लोगों पर प्रभावपूर्ण नियंत्रण रखा जाता है;

---

†मूल अंग्रेजी में ।

(ख) उन पाकिस्तानियों की संख्या जो १९५६ में निश्चित अवधि से अधिक ठहरे; और

(ग) उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : (क) से (ग). देश की सुरक्षा के लिये आवश्यक स्थिति में पाकिस्तानी राष्ट्रजनों की कार्य-वाहियों पर प्रभावपूर्ण नियंत्रण के लिये और निर्धारित समय से अधिक ठहरने वालों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिये हाल ही में विधान निर्मित किया गया है। द्वितीय श्रेणी में आने वाले व्यक्तियों की निश्चित संख्या के बारे में जानकारी नया कानून लागू होने के कुछ समय पश्चात् ही प्राप्त हो सकेगी।

†**श्री कृष्णाचार्य जोशी** : कितने पाकिस्तानी अनधिकृत रूप से भारत आये हैं और कितने पारपत्रों की सहायता से ?

†**श्री दातार** : यह जानकारी एकत्रित की जा रही है और नये अधिनियम के लागू होने पर निश्चित रूप से ज्ञात हो जायगी।

†**श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या यह सच है कि इनमें से कुछ लोगों को यहां स्थायी रूप से ठहरने की अनुमति दे दी गई है और यदि हां, तो किन परिस्थितियों में ऐसा किया गया है ?

†**श्री दातार** : किसी व्यक्ति को यहां स्थायी रूप से ठहरने की अनुमति नहीं दी गई है। यहां एक वर्ष तक ठहरने के लिये कुछ अनुज्ञापत्र हैं। पहले यह अनुज्ञापत्र अधिक समय के लिये थे अब यह अवधि एक वर्ष के लिये सीमित है और प्रतिवर्ष प्रार्थनाओं पर पुनर्विचार किया जाता है।

†**श्री ब० स० मूर्त्ति** : कितने प्राधिकृत व्यक्तियों पर भारत में आने के पश्चात् पाकिस्तान के एजेंट होने का सन्देह किया गया है ?

†**श्री दातार** : इस समय इस सम्बन्ध में कहना कठिन है।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : जब उत्तर प्रदेश में कुछ गड़बड़ियां हुईं तो कुछ पाकिस्तानियों द्वारा उनमें भाग लिया बताया जाता है। क्या इस मामले की जांच की गई है; और यदि हां, तो इस जांच का क्या परिणाम हुआ ?

†**अध्यक्ष महोदय** : यह प्रश्न किस प्रकार उत्पन्न होता है ?

†**श्री दातार** : माननीय सदस्य किन गड़बड़ियों की ओर निर्देश कर रहे हैं ?

†**श्री दी० चं० शर्मा** : "धार्मिक नेता" पुस्तक से उत्पन्न आन्दोलन।

†**अध्यक्ष महोदय** : इस नाम की एक पुस्तक प्रकाशित हुई है।

†**श्री दातार** : माननीय सदस्य ने जिन गड़बड़ियों का उल्लेख किया है वे किस वर्ष घटी हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : यह इस प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता है।

†**श्री बासप्पा** : क्या कुछ पाकिस्तानी राष्ट्रजनों को भारतीय नागरिकता प्राप्त करने की अनुमति दे दी गई है; और यदि हां, तो किन परिस्थितियों में ऐसा किया गया है ?

†**श्री दातार** : यह सर्वथा भिन्न प्रश्न है। वर्तमान प्रश्न केवल यह है कि बिना प्राधिकृत अनुज्ञापत्रों के पाकिस्तान से लोगों को न आने देने के लिये क्या कुछ विनियमन लागू करने की आवश्यकता है ?

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**श्री जोकीम आल्वा** : क्या सद्भावनायुक्त और दुर्भावयुक्त लोगों में भद करने के लिय यह स्पष्ट रेखा है; अथवा क्या यह दुर्भावयुक्त लोगों के बारे में शैथिल्य एवं सद्भावनायुक्त लोगों के लिये कठोर नीति का ही परिणाम है ?

†**श्री दातार** : जब कभी किसी व्यक्ति को अनुमति दी जाती है तो जब तक कोई विपरीत बात सिद्ध न हो यह मान लिया जाता है कि वह व्यक्ति सद्भावना पूर्ण है। कोई विरुद्ध बात सिद्ध होने पर समुचित कार्यवाही की जाती है ।

हिमालय के निकटवर्ती जिलों में प्राप्त खनिजपदार्थ

†*३२. **राजमाता कमलेन्दुमति शाह** : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमालय के निकटवर्ती जिलों में हाल में खोज करन वाले विदेशी भूतत्व-वत्ताओं ने अपनी खोजों के बारे में कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है; और

(ख) यदि हां, तो इसका क्या स्वरूप है ?

†**प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) और (ख). हिमालय के निकटवर्ती जिलों में हाल में विदेशी भतत्ववेत्ताओं द्वारा कोई खोज नहीं की गई है ?

राजमाता कमलेन्दुमति शाह : क्या यह सच नहीं है कि ऋषिकेश के नजदीक चूने के पत्थर की बहुत बड़ी खान मिली है ?

श्री के० दे० मालवीय : जिओलाजिक्ल सर्वे आफ इंडिया विभाग समय समय पर इस तरीके की तमाम खोजबीन किया करता है । प्रश्न तो यह था कि फारेन एक्सपर्ट्स (विदेशी विशेषज्ञों) न हिमालयन डिस्ट्रिक्ट्स में क्या खोजबीन की और मैंन उस के जवाब में यह कहा कि फारेन एक्सपर्ट्स ने हिमालयन डिस्ट्रिक्ट्स में कोई खोजबीन नहीं की ।

राजमाता कमलेन्दुमति शाह : क्या आप फारेन एक्सपट स को एसे स्थानों पर भजेंगे जहां पहले बहुत अच्छे किस्म के लोहे की खान थी लेकिन अंग्रेजों ने राजनीति के कारण उसको बन्द कर दिया था ?

श्री के० दे० मालवीय : एसी खोजबीन करन के लिए फारेन एक्सपर्ट्स की कोई जरूरत नहीं है । हमारे यहां अपने विशेषज्ञ काफी तादाद में सुलभ हैं और वे काम भी कर रहे हैं।

राजमाता कमलेन्दुमति शाह : क्या आप उनको भेजेंगे ?

श्री के० दे० मालवीय : हमारा तो सालाना कार्यक्रम तैयार हो जाता है और उसी कार्य-क्रम के अनुसार विशेषज्ञ इस समय हिमालय में भी तलाश कर रहे हैं ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

†*३४. **श्री अय्युण्णि** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या मद्रास और ट्रावनकोर के विश्वविद्यालयों द्वारा सीधे संचालित कालेजों और उनसे सम्बद्ध कालेजों के प्राध्या-पकों के वेतन-क्रम में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सिफारिशों की दृष्टि से अन्तर है?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का वर्तमान में सम्बद्ध कालेजों से सम्बन्ध नहीं है । अतः वेतन-क्रम में अन्तर का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**श्री अय्युण्णि** : क्या सम्बद्ध कालेजों के बारे में विचार किया जायेगा ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : जी, हां, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इस प्रश्न पर विचार कर रहा है ।

†**श्री अ० म० थामस** : विश्वविद्यालय द्वारा सीधे संचालित कालेजों के मामले में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने किस प्रकार की सहायता का वचन दिया है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : जैसा कि मैंने कहा था, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इस समय केवल विश्वविद्यालयों से ही सम्बन्धित है । सम्बद्ध कालेजों के बारे में अभी विनियम नहीं बनाये गये हैं । हो सकता है कि वे बाद में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के क्षेत्राधिकार में आजायें । परन्तु इस समय तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग केवल विश्वविद्यालयों से ही सम्बन्धित है ?

†**श्री अ० म० थामस** : विश्वविद्यालयों को किस प्रकार की सहायता का वचन दिया गया है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : सीधे विश्वविद्यालय के अधीन सेवायुक्त प्राध्यापकों का वेतन-क्रम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा नीचे लिखे अनुसार बढ़ा दिया गया है :

प्रोफेसर	८५०—१,२५०	रुपये
रीडर	५००—२५—८००	रुपये
लेक्चरार	२५०—५००	रुपये

और आयोग ने निर्णय किया है कि अतिरिक्त व्यय में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और राज्य सरकारें ८० और २० के अनुपात में योग देंगे ।

†**श्री ब० स० मूर्त्ति** : उपमंत्री के उत्तर से उत्पन्न विषय के बारे में मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सम्बद्ध कालेजों के लेक्चरार के वेतन क्रम का प्रश्न विश्व विद्यालय अनुदान आयोग की जांच का एक अंग था ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : जो कुछ मैंने पहले कहा था मैं उसे ही दोहरा दूं । अधिनियम के अनुसार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग केवल विश्वविद्यालयों के प्रश्न से ही सम्बन्धित है और सम्बद्ध कालेजों का प्रश्न इस समय इसके अन्तर्गत नहीं आता है ।

†**श्री ब० द० पांडे** : पुनरीक्षित वेतन क्रम जिनका माननीय मंत्री ने उल्लेख किया है कब से लागू होंगे ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : मैं निश्चित तारीख नहीं बता सकता हूं । हमने विश्वविद्यालयों को पहले ही लिख दिया है । यदि माननीय सदस्य पृथक् प्रश्न रखें तो मैं निश्चित तारीख भी बता सकूंगा ।

†**श्री अय्युण्णि** : क्या केवल विश्वविद्यालय के अन्तर्गत संस्थाओं के सम्बन्ध में विचार करने की नीति से उन अध्यापकों में असन्तोष नहीं फैलेगा जो सम्बद्ध कालेजों में नियोजित हैं ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : सम्बद्ध कालेजों से मुझे पूरी सहानुभूति है और ज्योंही अधिक रकम उपलब्ध हुई इस प्रश्न पर विचार किया जायेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**डा० रामा राव** : चूंकि हमारे अधिकांश विश्वविद्यालय सम्बद्धकारी विश्वविद्यालय हैं और कालेज के अधिकांश लेक्चरार एवं प्रोफेसर इस सहायता से वञ्चित हैं, क्या सरकार सम्बद्ध कालेजों को भी सहायता देने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : इस प्रश्न पर विचार करने के लिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने एक समिति नियुक्त कर दी है ; और समिति की मान्यता है कि सम्बद्ध कालेजों के प्रोफेसरों और प्राध्यापकों के वेतन बढ़ाने का प्रश्न आधारभूत महत्व का है । जैसा कि मैंने कहा है सरकार इस प्रश्न पर विचार कर रही है । इस समय मैं केवल इतना ही कह सकता हूं कि यह प्रश्न ध्यान में रखा जायेगा क्योंकि सरकार अध्यापन व्यवसाय के स्तर को समुन्नत बनाने के कार्य पर अत्यधिक महत्व देती है ।

†**श्री म० कु० मैत्र** : विश्वविद्यालय मुख्यत: स्नातकोत्तर कक्षाओं से सम्बन्धित है और सम्बद्ध कालेज अवर स्नातक कक्षाओं से सम्बन्धित हैं . . . . . .

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या हम इस विषय पर तर्क-वितर्क कर रहे हैं ? माननीय मंत्री ने पहले ही बता दिया है कि वर्तमान नियमों के अधीन ये कालेज आयोग के क्षेत्राधिकार में नहीं आते हैं। सरकार इन्हें भी सम्मिलित करने के प्रश्न पर विचार कर रही है। इस विषय पर तर्क की आवश्यकता नहीं है ।

†**श्री म० क० मैत्र** : मैं केवल तथ्य बता रहा हूं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह बिल्कुल ठीक है किन्तु हम अभी इस पर विचार नहीं कर रहे हैं।

कोयले के नये क्षेत्र

†*३५. **श्री विश्व नाथ राय** : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि हाल ही में राजस्थान में कोयले के एक क्षेत्र का पता चला है ?

†**प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : जी, नहीं । परन्तु राजस्थान सरकार ने यह सूचना दी है कि खोज कार्यों के परिणामस्वरूप वर्तमान पालाना खानों के निकट ही लिगनाइट (भूरा कोयला) के एक नये क्षेत्र का पता लगा है ।

†**श्री विश्व नाथ राय** : क्या केन्द्रीय सरकार शीघ्र ही उस क्षेत्र का सर्वेक्षण प्रारम्भ करेगी ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : भारत सरकार के भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग ने उस क्षेत्र का सर्वेक्षण नहीं किया है क्योंकि उस सम्बन्ध में वहां पर राजस्थान सरकार ने स्वयं ही खोज कर ली है । उन खोजों के परिणामस्वरूप उस सरकार द्वारा खानें खोदने के सम्बन्ध में कई विशेष प्रस्थापनायें प्रस्तुत की गई हैं जिन पर योजना आयोग द्वारा विचार किया गया है ।

†**श्री बोस** : क्या मैं जान सकता हूं कि उस क्षेत्र से लगभग कितना कोयला उपलब्ध हो सकेगा, और क्या वहां से कोयला निकालना लाभप्रद हो सकेगा ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : राजस्थान सरकार के प्रतिवेदन में यह कहा गया है कि वहां पर लगभग २०० लाख टन लिगनाइट के निक्षेप हैं । उनका तो यही प्राक्कलन है ।

---

† मूल अंग्रेजी में ।

† **इस्पात के कारखाने**

†*३६. { **डा० सत्यवादी :**
श्री त० ब० विट्ठल राव :

क्या लोहा और इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस्पात के तीनों कारखानों में से प्रत्येक के संस्थापन में अभी तक कितनी प्रगति हुई है;

(ख) इस्पात उद्योग में प्रशिक्षण देने के लिये देश तथा विदेश में क्रमशः कितने इंजीनियरों को सेवायुक्त किया गया है ; और

(ग) प्रत्येक परियोजना के लिये अभी तक कितने कर्मचारी नियुक्त किये गये हैं ?

†**वित्त तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी):** एक विवरण लोक सभा-पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ६]**

†**डा० रामा राव :** विवरण में एक उपोत्पाद संयंत्र के निर्माण का उल्लेख है। क्या इससे मैं यह समझूं कि रूरकेला के उर्वरक कारखाने में प्रयुक्त होने वाले समस्त उपोत्पाद इसमें सम्मिलित हैं ?

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी :** जी, नहीं। उल्लिखित उपोत्पाद संयंत्र कोयला जन्य पादार्थों तथा अमोनियम सल्फेट के सम्बन्ध में हैं। उर्वरक कारखाने का प्रश्न अलग है।

†**श्री कामत :** भिलाई, दुर्गापुर तथा रूरकेला में सेवायुक्त प्रविधिक तथा अन्य प्रकार के कर्मचारियों में से भारतीय व्यक्तियों की तुलना में विदेशी कर्मचारियों का कितना अनुपात है? यदि मंत्री महोदय ये आंकड़े इसी समय बताने में समर्थ नहीं हैं, तो क्या वे यह बता सकते हैं कि क्या दुर्गापुर तथा रूरकेला की अपेक्षा भिलाई में भारतीय कर्मचारियों की तुलना में विदेशी कर्मचारियों का अनुपात अधिक है; और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी :** इसके लिये मुझे पूर्वसूचना की आवश्यकता है।

†**श्री जांगड़े :** क्या सरकार निम्न वर्गों के प्रविधिक कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के लिये इन स्थानों पर प्रशिक्षण केन्द्र खोल रही है ?

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी :** जी, हां। इन तीनों स्थानों पर प्रशिक्षणार्थियों के प्रशिक्षण के सम्बन्ध में एक योजना है।

†**श्री अ० म० थामस :** इन तीनों परियोजनाओं पर खर्च की जाने के लिये प्रारम्भ में ३५० करोड़ रुपये की रकम निर्धारित की गई थी। क्या मंत्री जी यह बता सकते हैं कि अब कितनी प्राक्कलित राशि निर्धारित की गई है ?

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी :** उसके सम्बन्ध में इस समय कुछ कहना तो एक प्रकार का अनुमान मात्र ही होगा। कुल लागत में कितनी वृद्धि होगी, यह अभी सही तौर से नहीं बताया जा सकता।

†**श्री कामत :** क्या मंत्री जी का ध्यान गत दिसम्बर मास में 'नागपुर टाइम्स' में प्रकाशित एक सूचना की ओर दिलाया गया है ? मैंने गत सत्र में एक प्रश्न की सूचना दी थी जिसे आपने अस्वीकृत कर दिया था। प्रकाशित सूचना के अनुसार गृह-कार्य मंत्री, पंडित पन्त ने यह कहा था कि वे उन सभी मामलों की जांच करेंगे जो कि भिलाई में हो रहे कार्य की प्रगति को रोकते हैं और वहां की परियोजना की कार्य कुशलता पर बुरा प्रभाव डाल रहे हैं ?

---

† मूल अंग्रेजी में।

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी :** माननीय सदस्य इस प्रश्न के सम्बन्ध में उन्हीं मंत्री जी से पूछें जिन्होंने यह वक्तव्य दिया है ।

†**डा० रामा राव :** हमें यह बताया गया है कि एक उर्वरक कारखाना होगा जोकि गैस भट्टी से निकलने वाली गैसों जैसे कि नाइट्रोजन गैस आदि का उपयोग करेगा । क्या यह उसी योजना का एक भाग है ?

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी :** एक दृष्टि से यह उस योजना का ही एक भाग है क्योंकि हम इस योजना के अन्तर्गत जिस विशेष प्रणाली का प्रयोग कर रहे हैं उसी के परिणामस्वरूप यह चीज़ पैदा होगी और उसका उपयोग किया जाना होगा । परन्तु वह कार्यक्रम कई दौर में पूरा होगा । हो सकता है कि इस योजना को मुख्य संयंत्र के चालू होने के एक वर्ष बाद प्रारम्भ किया जाये ।

†**श्री कामत :** क्या रूसी सरकार ने स्वर्गीय मुख्य इंजीनियर टोवरिक क्रेटेन्को की दुखान्त मृत्यु के उपरान्त उसके स्थान पर किसी और इंजीनियर को नियुक्त किया है ?

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी :** मेरा खयाल है कि किसी और को नियुक्त कर दिया गया है ।

नागार्जुनकोंडा की खुदाई

†*३७. **डा० रामा राव :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागार्जुनकोंडा क्षेत्र में प्राचीन अवशेषों की खुदाई की वर्तमान गति से उनके एक पर्याप्त भाग को जलमग्न होने से पहले ही निकाला जा सकेगा; और

(ख) सरकार उस क्षेत्र से समस्त अथवा अधिकांश प्राचीन तथा ऐतिहासिक अवशेषों को हटा लेने के सम्बन्ध में क्या क्या कार्यवाही कर रही है ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क) जी, हां ।

(ख) अवशेषों को खोद कर निकालने का काम पूरे जोर से किया जा रहा है और निकाली हुई सभी वस्तुओं को पास की पहाड़ी की चोटी पर सुरक्षित रखा जायेगा । कुछ एक स्मारकों को दूसरी जगह अधिष्ठापित किया जायेगा, कुछ एक की पहाड़ी पर पुनः रचना की जायेगी और शेष के मापमानों के अनुसार प्रतिरूप तैयार किये जायेंगे ।

†**डा० रामा राव :** क्या सरकार ने अभी तक की गई खुदाई के सम्बंध में कोई प्रतिवेदन प्रकाशित किया है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** जी, हां । यदि माननीय सदस्य १९५४–५५ और १९५५–५६ के 'इंडियन आर्क्योलौजिकल रिव्यु' (भारतीय भूभौतिकीय पुनर्विलोकन) को देखें तो उन्हें यहां पर की गई खुदाइयों का एक विस्तृत विवरण मिल सकेगा ।

†**डा० रामा राव :** क्या सरकार को ज्ञात है कि खुदाई से यह प्रकट होता है कि वहां पर आशा से अधिक अवशेष पाये जाने की सम्भावना है ? क्या लोगों का यह मत है कि खुदाई की गति इतनी अधिक नहीं है कि जिससे जल के आने से पहले से ही सारा काम पूरा हो सके ?

---

† मूल अंग्रेजी में ।

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** सरकार को इस बात का पूरा विश्वास है कि वर्तमान प्रगति संतोषजनक है । १९५९ के अन्त अथवा अप्रैल १९६० से पूर्व, जब परियोजना चालू हो जायेगी, आवश्यक खुदाई पूरी हो जायेगी । इसका पूरा ध्यान रखा जायेगा ।

†**श्री रामचन्द्र रेड्डी :** क्या इन सभी प्राचीन अवशेषों तथा स्मारकों को रखने के लिए एक भवन के निर्माण के लिये कोई राशि निर्धारित तथा खर्च की गयी है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** इस प्रश्न के लिये मुझे पूर्वसूचना की आवश्यकता है ।

†**श्री रामचन्द्र रेड्डी :** क्या सरकार ने सिंचाई विभाग से इस बात की पूछताछ की है कि क्या बांध निर्माण की प्रथम अवस्था में वह भाग नहीं आ जायेगा जहां कि इस समय पुरातत्वीय जांच हो रही है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** जैसा कि मैंने कहा है, खुदाई का कई दौर में पूरा होने वाला कार्यक्रम तैयार हो चुका है । यह सुनिश्चित कर लिया गया है कि यह काम १९६० की बजाय १९५९ में ही पूरा हो जायेगा । मैं समझता हूं कि परियोजना उस समय तक चालू होगी ।

†**श्री ब० स० मूर्ति :** क्या उपमंत्री जी को ज्ञात है कि जनता की यह मांग है कि सरकार एक दो करोड़ रुपया खर्च कर के इन प्राचीन स्मारकों के चारों ओर एक बड़ी सी दीवार बना दे, ताकि बांध का पानी उन अवशेषों को कोई हानि न पहुंचा सके ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** इस बात पर मैं विचार करूंगा ।

नागार्जूनसागर विमान-पट्टी

†*३९. **श्री कृष्णाचार्य जोशी :** क्या **असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नागार्जुन सागर के निकट विमान-पट्टी बनाने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो निर्माण-कार्य कब प्रारम्भ किया जायेगा ?

†**विधि-कार्य तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (श्री पाटस्कर) :** (क) नागार्जुनसागर के निकट विमान-पट्टी बनाने के सम्बन्ध में कोई भी प्रस्थापना नहीं है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

†**श्री जोकीम आल्वा :** विमान-पट्टियां बनाने के सम्बन्ध में सरकार का लक्ष्य क्या है ? क्या सरकार का यह लक्ष्य है कि प्रत्येक ज़िले में, जहां विमान के उतरने के लिये कोई सुविधा नहीं है, वहां एक विमान पट्टी बना दी जाये ?

†**श्री पाटस्कर :** सरकार की वर्तमान नीति यह है कि नये हवाई अड्डे देश के ऐसे ही स्थानों पर बनाये जायें जो कि अखिल भारतीय असैनिक उड्डयन की दृष्टि से महत्वपूर्ण समझे जाते हैं, जहां पर वैमानिक यातायात इतना अधिक है कि वहां पर हवाई अड्डों के निर्माण तथा संधारण पर होने वाला खर्च न्यायोचित ठहराया जा सके ।

†**श्री जोकीम आल्वा :** क्या सरकार ने विमान-पट्टियों के निर्माण की दृष्टि से, कोई अधिमान सूची बनाई हुई है ?

†**श्री पाटस्कर :** ऐसी कोई सूची तैयार नहीं की गई है ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

बैंक अनुज्ञप्तियों का प्रतिसंहरण

†*४०. **श्री अय्युण्णि** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५६–५७ में अब तक भूतपूर्व त्रावनकोर-कोचीन राज्य के कितने बैंकों को कार्य जारी रखने के लिये अनुज्ञप्तियां देने से इन्कार किया गया ?

†**राजस्व और प्रतिरक्षा व्यय मंत्री (श्री अ० चं० गुह)** : अब तक भूतपूर्व त्रावनकोर-कोचीन राज्य के २८ बैंकों को अनुज्ञप्तियां देने से इनकार किया गया है जिनमें से २३ बैंकों को १९५६–५७ में अनुज्ञप्तियां देने से इन्कार किया गया ।

†**श्री अय्युण्णि** : इस बात को देखते हुए कि बहुत से लोग, जो इन बैंकों से उधार लेते रहे हैं, इस अधिकार से वंचित हो जायेंगे, क्या लाइसेंस न देने से राज्य की अर्थ-व्यवस्था पर प्रभाव पड़ेगा ?

†**श्री अ० चं० गुह** : रक्षित बैंक ने लाइसेंस देने से इन्कार करने से पूर्व इस बात का पूरा ध्यान रखा था और मैं यह बता कर माननीय सदस्यों का डर दूर कर देना चाहता हूं कि इन २८ बैंकों की कुल पूंजी और रक्षित निधि केवल १२ लाख रुपये, जमा राशि १६ लाख रुपये और पेशगियां केवल १८ लाख रुपये थीं । इन बैंकों की हालत बहुत खराब थी और वे स्वयं ही अपने आप को दिवालिया घोषित करने वाले थे । उनका बैंकिंग का काम लगभग समाप्त हो चुका था और उनके पास जितना धन था उसका वे ऐसी जगह विनियोजन कर चुके थे जहां से उसे हटाया नहीं जा सकता था और कारबार करने के लिये उनके हाथ में कुछ भी धन नहीं था । इसलिये उन्हें लाइसेंस देने से इन्कार करने के अतिरिक्त और कोई चारा ही नहीं था । माननीय सदस्य को विदित होगा कि त्रावनकोर-कोचीन बैंकों सम्बन्धी हाल ही में जांच आयोग ने भी सिफारिश की है कि उन बैंकों को बन्द करने से, जिन की हालत ठीक नहीं है, त्रावनकोर-कोचीन की बैंकिंग संस्थाओं की हालत सुधर जायेगी ।

†**श्री अ० म० थामस** : क्या यह सच है कि बहुत से बैंकों को भू-सम्पत्ति को रख कर ऋण देने सम्बन्धी रक्षित बैंक के व्यवहार के कारण लाइसेंस देने से इन्कार किया गया है ?

†**श्री अ० चं० गुह** : माननीय सदस्य को विदित होगा कि त्रावनकोर-कोचीन बैंकों के प्रतिरक्षित बैंक का बर्ताव बड़ा उदार रहा है । भू-सम्पत्ति की प्रतिभूति पर ऋण देने के बारे में कोई नीति हो सकती है परन्तु लाइसेंस देने से इन्कार करने से पूर्व इस बात पर भी विचार किया गया कि वे स्थान, जहां यह बैंक थे, अन्य बैंकिंग संस्थाओं के क्षेत्र में आ जाते हैं ।

लौह अयस्क

†*४१. **श्री विश्व नाथ राय** : क्या **प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या देश में १९५५ की अपेक्षा १९५६ में लौह अयस्क के उत्पादन की मात्रा बढ़ी है ?

†**प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : हां, श्रीमान् । लौह अयस्क का उत्पादन जो १९५५ में ४,६५२,९४० टन था, १९५६ में बढ़ कर ४,८०९,३०९ टन हो गया ।

†**श्री विश्व नाथ राय** : लौह अयस्क के उत्पादन में जो वृद्धि हुई है, क्या उसका प्रयोग भारत में ही किया गया है ?

---

† मूल अंग्रेजी में ।

†**श्री के० दे० मालवीय** : लौह अयस्क के लगभग चौथाई भाग का निर्यात किया गया है।

श्री सें० वें० रामस्वामी : विदेशों से लौह अयस्क की बढ़ती हुई मांग को देखते हुए इस के उत्पादन को बढ़ाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : लौह अयस्क का उत्पादन बढ़ रहा है और मंत्रालय यह कह सकता है कि हम उत्पादन की वर्तमान गति को बहुत बढ़ा सकते हैं, परन्तु परिवहन कठिनाइयों के कारण उत्पादन बढ़ाने का कोई लाभ न होगा ।

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : क्या लौह अयस्क की खोज उन्हीं क्षेत्रों तक सीमित है जहां पहले भूतत्वीय सर्वेक्षण किया गया था या कि लौह अयस्क के बेहतर स्रोतों की खोज के लिये नवीन भूतत्वीय सर्वेक्षण भी किये जा रहे हैं ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : देश के लगभग सभी भागों में लौह अयस्क का अनुसन्धान करने का एक विस्तृत कार्यक्रम बनाया गया है ।

†**श्री जोकीम आल्वा** : लौह अयस्क की विभिन्न किस्मों को श्रेणीबद्ध करने के लिये और उनको संसार की उत्तम किस्मों के स्तर पर लाने, जिस प्रकार मेरे उत्तर कनारा के निर्वाचन क्षेत्र में पाया जाने वाला मैंगनीज संसार भर में सर्वोत्तम माना जाता है, के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : हमारे देश में उपलब्ध लौह अयस्क की विभिन्न किस्मों को बड़े वैज्ञानिक ढंग से श्रेणीबद्ध किया गया और अब भी किया जा रहा है ।

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : विदेशों की लौह अयस्क की बढ़ती हुई मांग को देखते हुए क्या हाल ही में भूतत्वीय सर्वेक्षण के उस विभाग में, जो लौह अयस्क सम्बन्धी कार्य करता है, कर्मचारियों आदि की संख्या बढ़ाई गई है ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : जी, हां । अनुसन्धान के लिये अपेक्षित टैक्नीकल कर्मचारियों तथा उपकरण की ओर विशेष ध्यान दिया गया है ।

अनुसूचित जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिये छात्रवृत्तियां

†*४२. **डा० सत्यवादी** : क्या **शिक्षा** मंत्री सभा-पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे कि जिसमें निम्नलिखित जानकारी हो :

(क) १९५६–५७ में प्रत्येक राज्य से विदेशों में शिक्षा पाने के लिये अनुसूचित जातियां और अन्य पिछड़े वर्गों के कितने विद्यार्थी चुने गये थे; और

(ख) १९५६–५७ में इन वर्गों के कितने विद्यार्थी 'पब्लिक स्कूल योग्यता छात्रवृत्ति योजना' के अन्तर्गत चुने गये ?

†**शिक्षा उपमंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** (क) और (ख). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ७]**

डा० सत्यवादी : सवाल के पार्ट बी में शिडयूल्ड कास्ट्स (अनुसूचित जातियां) की तादाद दिखायी गयी है । क्या यह ठीक है कि जब से यह स्कीम चली है यह तादाद हमेशा कम होती जा रही है, और क्या गवर्नमेंट ने इसके कारण की कोई तहकीकात की है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

डा० **का० ला० श्रीमाली** : जी नहीं, यह कोई ऐसी वृत्ति तो नहीं है कि बराबर कम होती जा रही है। आप फरमायें तो सन् १९५३ से १९५६ तक की परिस्थिति सामने रख सकता हूं। यह संख्या इसलिए घटती बढ़ती रहती है कि लोग मेरिट के अनुसार लिये जाते हैं। कभी योग्य व्यक्ति मिल जाते हैं और कभी नहीं मिलते।

†**श्री तिम्मय्या** : अब तक कितने विद्यार्थियों को विदेश भेजा गया है और उनमें से कितनों को विदेशी शिक्षा प्राप्त कर लेने के पश्चात् उपयुक्त नौकरियां दी गई हैं ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : १९५६–५७ की कुल संख्या विवरण में दी गई है। यदि माननीय सदस्य इससे पूर्व के वर्षों मे कुल आंकडे जानना चाहते हैं तो उन्हें पूर्वसूचना देनी होगी। नौकरी दिलाने का प्रश्न इस योजना के क्षेत्र से बाहर है। शिक्षा प्राप्त करके लौटने वाले अधिकतर विद्यार्थियों को उपयुक्त नौकरी मिल जाती है परन्तु यह बताने के लिये, कि किस प्रकार की नौकरी मिली और ठीक ठीक कितने व्यक्तियों को नौकरी मिली, पूर्वसूचना की आवश्यकता है। यह एक अलग प्रश्न है।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : क्या इन वर्गों के लोगों में से विद्यार्थियों का चुनाव करते समय आयु सीमा और अन्य अर्हताओं में कोई रियायत दी जाती है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : मैं नियमों को सभा पटल पर रख दूंगा परन्तु साधारणतः चुनाव लोक सेवा आयोग द्वारा किया जाता है।

†**श्री ब० स० मूर्त्ति** : क्या इन में किसी विद्यार्थी ने विदेश भेजे जाने के पश्चात् विदेशी छात्रवृत्ति तथा विदेशी सेवा प्राप्त की ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : माननीय सदस्य प्रश्न के क्षेत्र से बाहर जा रहे हैं उन्हें पूर्व सूचना देनी होगी।

†**श्री गाडिलिंगन गौड़** : क्या यह सच है कि चालू वर्ष में छात्रवृत्तियां बहुत देर से दी गईं जिसके परिणामस्वरूप कुछ विद्यार्थियों को छात्रावासों से निकाल दिया गया; और यदि हां, तो सरकार द्वारा इस विषय में क्या कार्यवाही की जा रही है कि इस वर्ष छात्रवृत्तियां समय पर दी जायें ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : यह प्रश्न केवल दो छात्रवृत्तियों के बारे में है, एक 'विदेशी छात्रवृत्ति' और दूसरी 'पब्लिक स्कूल छात्रवृत्ति' के बारे में। माननीय सदस्य उन दूसरी छात्रवृत्तियों की ओर निर्देश कर रहे हैं जिन से इस प्रश्न का कोई सम्बन्ध नहीं है।

†**श्री तिम्मय्या** : यद्यपि छात्रवृत्तियां देने की राशि प्रत्येक वर्ष बढ़ाई जाती है तथापि सरकार द्वारा स्वीकृत राशि के अनुसार छात्रवृत्तियों की संख्या नहीं बढ़ाई जाती है, इसका क्या कारण है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : सरकार के विचार से जितनी छात्रवृत्तियां दी जा रही हैं वे पर्याप्त हैं। यदि अधिक निधि उपलब्ध हों तो इस प्रश्न पर विचार किया जा सकता है।

पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्ति

*४३. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५६–५७ में अब तक पूर्वी पाकिस्तान के कितने विस्थापित व्यक्तियों को अन्दमान भेजा गया है; और

(ख) उन्हें रोजगार दिलाने के लिये क्या कार्यवाही की जायेगी ?

---

†मूल अंग्रेजी में।

गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार) : (क) ३५७ परिवार ।

(ख) बसने वाले हर एक परिवार को धान की खेती के लिए ५ एकड़ साफ की हुई जमीन और मकान और बगीचे आदि लगाने के लिए ५ एकड़ बिना साफ की गई पहाड़ी जमीन दी जाती है । हर एक परिवार को मकान बनाने तथा बैल, बर्तन, बीज और खाद खरीदने के लिए १७३० रुपये का ऋण दिया जाता है जो उसको वापस करना पड़ता है । पहली फसल के कटने तक उसकी आवश्यकताओं के लिए तथा अपने मकान से द्वीप समूह में आने जाने के किराए के लिए उसको १०५० रुपये का सहायक अनुदान दिया जाता है ।

श्री कृष्णाचार्य जोशी : क्या यह सत्य है कि जो लोग वहां भेजे गये थे उनमें से कुछ वापस आ गये हैं ?

श्री दातार : थोड़े लोग वापस आये हैं ।

श्री कृष्णाचार्य जोशी : पूर्वी पाकिस्तान से आये हुए लोगों के सिवाय क्या और राज्यों के लोगों को भी अंदमान भेजा जाता है ?

श्री दातार : जी हां, केरल और बम्बई राज्यों से थोड़े लोगों को भेजा गया है ।

†**श्री कामत** : पूर्वी पाकिस्तान के उन विस्थापित व्यक्तियों की अलग अलग संख्या क्या है और यदि वे आंकड़े उपलब्ध न हों तो उनका लगभग अनुमान क्या है जो अन्दमान, पश्चिमी बंगाल और शेष भारत में बसाये गये हैं ? इन तीन प्रदेशों के आंकड़े अलग अलग बताये जायें ।

†**श्री दातार** : पूर्वी पाकिस्तान से आये १२८२ परिवार अन्दमान द्वीपों में बसाये गये हैं । ११४ परिवार त्रावनकोर-कोचीन (जो अब केरल राज्य है) के और ९ परिवार अन्य राज्यों के अन्दमान में बसाये गये हैं ।

†**श्री ब० स० मूर्त्ति** : क्या मंत्री महोदय पूर्वी पाकिस्तान से आये विस्थापित व्यक्तियों को बसाने के लिये आंध्र और उड़ीसा राज्यों के कुछ भागों का जो वैमानिक सर्वेक्षण किया गया उसका परिणाम बता सकते हैं ?

†**श्री दातार** : इस प्रश्न पर अन्दमान और निकोबार द्वीपों के सम्बन्ध में विचार किया गया था । उन द्वीपों में एक योजना कार्यान्वित की जा रही है और उसके अनुसार वहां इतने परिवार बसाये जा चुके हैं ।

†**श्री कामत** : एक औचित्य प्रश्न । माननीय मंत्री ने या तो मेरा प्रश्न ठीक से सुना नहीं अथवा वह उसे ठीक प्रकार समझे नहीं । उन्होंने जो उत्तर दिया वह उन व्यक्तियों की संख्या के बारे में है जो अन्दमान में भारत के विभिन्न राज्यों से बसाये गये हैं । मैं यह जानना चाहता था कि पूर्वी पाकिस्तान के कितने अलग अलग अन्दमान, पश्चिमी बंगाल और भारत संघ के अन्य राज्यों में बसाये जा चुके हैं ।

†**श्री दातार** : पूर्वी पाकिस्तान से जो लोग पश्चिमी बंगाल में आये उनकी संख्या मुझे मालूम नहीं । परन्तु मैं ने जो आंकड़े बताये हैं वे पूर्वी पाकिस्तान से आये उन शरणार्थियों के हैं जो अन्दमान द्वीपों में बसाये गये हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

केरल में भ्रष्टाचार सम्बन्धी मामले

†*४४. **श्री अय्युण्णि :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में बम्बई से एक विशिष्ट पदाधिकारी की नियुक्ति किए जाने के फलस्वरूप भ्रष्टाचार संबंधी कितने मामलों की जांच की गई, गवाही इकट्ठी की गई और दोषारोपण किया गया; और

(ख) कितने मामलों में दंड दिया गया ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार) :** (क) अब तक २४ मामले पंजीबद्ध किए जा चुके हैं और इनमें से ८ मामलों के संबंध में न्यायालयों में कार्यवाहियां संस्थित की गई हैं ।

(ख) एक ।

†**श्री अय्युण्णि :** क्या मैं बम्बई से इस प्रकार के बड़े पदाधिकारियों को बुलाने का कारण जान सकता हूं ?

†**श्री दातार :** वह पदाधिकारी दिल्ली का था; बम्बई का नहीं ।

†**श्री अ० म० थामस :** क्या वह अभी भी सेवायुक्त है ?

†**श्री दातार :** जी हां, जहां तक मुझे मालूम है वह अभी भी वहीं है ।

दिल्ली में बम विस्फोट

†*४५. **डा० सत्यवादी :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जामा मस्जिद बम घटना के संबंध में कितने व्यक्तियों को बन्दी किया गया था ;

(ख) जांच का कार्य इस समय किस प्रक्रम पर है;

(ग) इस जांच के संबंध में अब तक कितनी राशि खर्च की जा चुकी है; और

(घ) जामा मस्जिद क्षेत्र में सुरक्षा प्रबन्धों पर अब तक कितनी राशि खर्च हो चुकी है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार) :** (क) सात ।

(ख) अभी जांच हो रही है ।

(ग) इस प्रयोजन के लिए किसी अतिरिक्त कर्मचारी को नियुक्त नहीं किया गया है इसलिए इस जांच के संबंध में अनन्य रूप से कोई खर्च नहीं हुआ है ।

(घ) यद्यपि कर्मचारी वर्ग पर कोई अतिरिक्त व्यय नहीं किया गया है तथापि उस क्षेत्र में १ सितम्बर, १९५६ के बाद से रोशनी के जो प्रबन्ध किए गए हैं उन पर १३,००० रुपये से अधिक खर्च होने की आशा नहीं है ।

डा० सत्यवादी : क्या मैं जान सकता हूं कि जो एन्क्वायरी (जांच) अभी जारी है, वह किसी डेफीनेट क्लू (निश्चित सुराग) के आधार पर हो रही है या अभी मुख्तलिफ लाइनों पर सोचा जा रहा है ?

श्री दातार : बहुत क्लूज हैं ।

†**श्री राधा रमण :** उस क्षेत्र में उत्तरोत्तर बम विस्फोटों को देखते हुए क्या सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कि इस प्रकार की घटनायें फिर न हों दिल्ली पुलिस प्रबन्धों के संबंध में कोई कार्यवाही की है ?

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**श्री दातार :** ऐसी घटनायें न हों यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने सभी अपेक्षित परित्राण किए हैं। मैं माननीय सदस्य को बता दूं कि दो मामलों के अतिरिक्त शेष सभी विस्फोट केवल पटाखों के ही थे।

†**श्री राधा रमण :** उस क्षेत्र में सुरक्षा प्रबन्धों को देखते हुए उस क्षेत्र के दुकानदारों और निवासियों को वहां पुलिस के सिपाहियों की अत्यधिक संख्या के कारण अपने कारबार तथा अपने नैत्यक कार्य में बाधा अनुभव हो रही है। क्या सरकार इस बात को ध्यान में रखते हुए स्थिति में सुधार के लिए कुछ कार्यवाही करेगी ?

†**श्री दातार :** सरकार को सुरक्षा संबंधी प्रबन्ध करने ही होते हैं और सरकार इस बात का ध्यान रखेगी कि यथासम्भव साधारण रोजगार वाले व्यक्तियों पर कोई प्रभाव न हो।

†**श्री जोकीम आल्वा :** क्या सरकार को मालूम है कि किसी विशिष्ट क्षेत्र में किसी अपराध की खोज पूरी करने में, स्थानीय व्यक्तियों का अध्ययन करने में और उन्हें पकड़ने और दण्ड देने में तथा दोषसिद्धि में पुलिस को लगभग छः महीने लग जाते हैं ? क्या सरकार ने कोई उपयुक्त कार्यक्रप निर्धारित किया है और क्या बम्बई या मद्रास से व्यक्तियों को इस सम्बन्ध में बुलाया गया है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य तथा प्रतिरक्षा मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** कई बार वे ३६ महीने बाद भी अपराध की खोज नहीं लगा पाते हैं।

†**श्री भक्त दर्शन :** क्या गवर्नमेंट के ध्यान में यह बात आई है कि दिल्ली में जामा मस्जिद के पास जो मामले—बम के धड़ाके—हुए हैं, उन के बारे में एन्क्वायरी करने में देरी होने के कारण जनता में असन्तोष और बेचैनी फैली हुई है और क्या इस बारे में कोई और कदम उठाने पर विचार किया जा रहा है ?

†**श्री दातार :** सरकार जांच का कार्य शीघ्रता से पूरा करने के लिए अपनी ओर से भरसक प्रयत्न कर रही है, परन्तु कई बार देर हो ही जाती है।

भारत का राज्य बैंक

†*३३. **श्री ब० कु० दास (श्री स० चं० सामन्त** की ओर से) : क्या **वित्त** मंत्री सभा-पटल पर एक ऐसा विवरण रखने की कृपा करेंगे जिस में यह दिखाया गया हो कि जुलाई, १९५६ के बाद से भारत के राज्य बैंक की जिन स्थानों पर शाखायें खोली गई हैं उन के नाम क्या हैं ?

†**राजस्व और प्रतिरक्षा व्यय मंत्री (श्री अ० चं० गुह) :** सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिसमें दिखाया गया है कि १ जुलाई, १९५६ से २८ फरवरी, १९५७ तक भारत के राज्य बैंक की शाखायें जिन स्थानों पर खोली गई हैं उनके नाम क्या हैं। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ८]**

†**श्री ब० कु० दास :** मैं ने देखा है कि जहां बम्बई में १२ शाखायें और मद्रास में ८ शाखायें खोली गई हैं, अन्य राज्यों में बहुत ही कम शाखायें हैं। क्या मैं इसका कारण जान सकता हूं ?

†**श्री अ० चं० गुह :** मुख्य कारण यह है कि शाखायें खोलने के लिए उचित स्थान मिलने में कठिनाई है। राज्य बैंक विभिन्न राज्य सरकारों से कुछ बातचीत करता रहा है ताकि

---

†मूल अंग्रेजी में।

वे राज्य ऐसे स्थान ढूंढने में सहायता दे सकें जहां बैंक के लिए अपेक्षित सुरक्षित कोष्ठ[1] भी बनाये जा सकें ।

†**श्री ब० कु० दास :** क्या १९५६–५७ के लिए कोई लक्ष्य है और क्या वह लक्ष्य पूरा हो चुका है ?

†**श्री अ० चं० गुह :** रक्षित बैंक तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा १८४ शाखाओं की मंजूरी दी गई थी जिन में से ६६ शाखायें अब तक खोली जा चुकी हैं । मेरे विचार में शेष शाखायें भी यथासंभव शीघ्र ही खोल दी जायेंगी । मैं केवल यही आश्वासन दे सकता हूं कि हाल ही के समय में पहिले से कहीं तेजी से शाखायें खोली गई हैं । अब मेरे विचार में प्रति मास सात शाखायें खोली जा रही हैं ।

†**श्री ब० कु० दास :** जिन शाखाओं को खोलना अपेक्षित है क्या उन्हें आवास संबंधी समस्या का समाधान होते ही खोल दिया जायेगा ?

†**श्री अ० चं० गुह :** मेरे विचार में और कोई कठिनाई नहीं है । कम से कम मुख्य कठिनाई यही है । निःसन्देह सेवि-वर्ग की समस्या पर भी विचार किया जाएगा परन्तु यह मुख्य कठिनाई नहीं है । मुख्य कठिनाई आवास की है ।

†**श्री हेडा :** इस बात को ध्यान में रखते हुए कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण ऋण का अत्यन्त विशाल कार्यक्रम रखा गया है और कृषि-उत्पादन पर भी अधिक जोर दिया गया है, क्या सरकार शाखाओं के विस्तार संबंधी अपने लक्ष्यों का निकट भविष्य में पुनरीक्षण करने के प्रश्न पर विचार कर रही है ?

†**वित्त तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) :** इस पूरे प्रश्न पर विचार किया जा रहा है । बहुत संभव है कि हम राज्य-बैंक की जो शाखायें खोलने वाले हैं उनकी संख्या संबंधी लक्ष्य बढ़ा दिये जायें, परन्तु जैसा मेरे माननीय सहयोगी ने बताया, इसमें ऐसी कुछ कठिनाइयां हैं जो प्रविधिक प्रकार की हैं और उनको दूर करना है । सरकार की सामान्य नीति शाखाओं के जरिये बैंकिंग बढ़ाने की है जिससे स्थानीय जनता और संस्थाओं की सेवा की जा सके, जिसका फल यह होगा कि जनता द्वारा की गयी बचत को एकत्र कर उसका लाभ उठाया जा सकेगा ।

अतारांकित प्रश्नों को तारांकित प्रश्नों में परिवर्तित करने के बारे में

†**श्री कामत :** मैं लोक-हित में एक औचित्य प्रश्न उठाना चाहता हूं । मैं प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन संबंधी नियमों के नियम ५१ और ६३ की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करता हूं । मैं आप से यह अनुरोध करता हूं कि आप नियम ६३ पढ़ें तथा इस नियम और अन्य नियमों द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में यह निदेश देने की कृपा करें कि अतारांकित प्रश्नों की सूची में सम्मिलित किये गये कुछ प्रश्नों का भी उत्तर दिया जाये ।

मैं आपका ध्यान पहले नियम ५१ की ओर आकृष्ट करता हूं और फिर नियम ६३ को लूंगा । नियम ५१ में कहा गया है कि :

"जब तक अध्यक्ष अन्यथा निदेश न दे"—— और, निश्चय ही, अब तक अध्यक्ष ने अन्यथा निदेश नहीं दिया है——

---

†मूल अंग्रेजी में

[1] Strong rooms.

"प्रत्येक बैठक का पहला घंटा प्रश्न पूछने और उनके उत्तर देने के लिये उपलब्ध होगा।"

फिर नियम ६३ द्वारा आपको यह अधिकार दिया गया है कि आप तारांकित प्रश्नों को अतारांकित प्रश्नों में परिवर्तित कर सकते हैं और मैं यह चाहता हूं कि आपको इसका विपरीत अधिकार भी, अर्थात् अतारांकित प्रश्नों को तारांकित प्रश्नों में परिवर्तित करने का अधिकार भी अपने हाथ में लेना चाहिये। वैसे भी, नियम ४०१ के अधीन, जिसका आप अत्यंत बुद्धिमत्ता एवं विवेकपूर्ण ढंग से दो-तीन बार प्रयोग कर चुके हैं, आपसे मेरा अनुरोध है कि आप उस नियम का प्रयोग कर यह निदेश देने की कृपा करें कि दो या तीन प्रश्नों का, जो लोक-हित में हैं और इस समय अतारांकित प्रश्नों की सूची में रखे गये हैं, संबंधित मंत्रियों द्वारा उत्तर दिया जाना चाहिये।

†**अध्यक्ष महोदय :** श्री कामत द्वारा उठाये गये प्रश्न के बारे में, अर्थात् किन्हीं अतारांकित प्रश्नों को तारांकित प्रश्नों में परिवर्तित किया जा सकता है या नहीं, मैं यों ही कोई विनिर्णय नहीं दे सकता हूं। यदि कोई माननीय सदस्य यह महसूस करें कि किसी अतारांकित प्रश्न को तारांकित प्रश्न माना जाना चाहिये और यदि इस के संबंध में वे मुझे पर्याप्त सूचना भी दे दें तो मैं उसके बारे में विचार कर पूरी तरह तैयार हो कर सभा में आकर उन्हें यह बता सकता हूं कि यदि समय रहा तो मैं उनका प्रश्न रखने की अनुमति दूंगा या नहीं। जहां तक आज का प्रश्न है, मैं इसके लिये बिल्कुल भी तैयार नहीं था।

†**श्री कामत :** क्या मैं आपके विनिर्णय का स्पष्टीकरण मांग सकता हूं ? क्या मैं आप से यह पूछ सकता हूं कि इस प्रकार की सूचना अथवा जानकारी आपको संबंधित सदस्या द्वारा ही दी जानी चाहिये अथवा प्रश्न-काल आरम्भ होने से पहले सभा का कोई भी सदस्य आपसे यह अनुरोध कर सकता है कि किसी अतारांकित प्रश्न-विशेष को तारांकित प्रश्न माना जाये ?

†**अध्यक्ष महोदय:** अनेक अन्य प्रश्न भी उठ सकते हैं। मैं माननीय सदस्य से यह अनुरोध करूंगा कि वे गहराई से इस बात पर विचार करें, जो कुछ भी विचार वे प्रगट करना चाहें उन्हें लिख कर मुझे दे दें, तब मैं उस पर विचार करूंगा।

†**श्री कामत :** मैंने इस प्रश्न पर विचार किया है और इस संबंध में मुझे जो कुछ भी कहना है, वह मैं कह चुका हूं।

†**अध्यक्ष महोदय :** जो भी बातें मेरे दिमाग में आयीं, मैं उनका उत्तर दे चुका हूं। यदि आगे और भी संदेह उठें जिन्हें स्पष्ट कराने की आवश्यकता पड़े, तो वे बातें लिखकर मेरे पास भेजी जानी चाहिये।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

छुट्टियों सम्बन्धी नियम

†*३८. **श्री त० ब० विट्ठल राव :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार पर लागू होने वाले छुट्टियों संबंधी नियमों में उदारता लाने का कोई निर्णय किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो छुट्टियों संबंधी पुनरीक्षित नियम कब से लागू किये जायेंगे; और

(ग) यदि नहीं, तो इसमें विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

---

*मूल अंग्रेजी में।

†**राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (श्री म० च० शाह)** : (क) से (ग). केन्द्रीय सरकार के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों पर लागू होने वाले छुट्टियों संबंधी नियमों को उदार बनाने का सरकार ने अब निर्णय किया है। १ अप्रैल, १९५७ से वे भी उसी आधार पर छुट्टियां अर्जित करेंगे जिस पर अन्य सरकारी कर्मचारी करते हैं।

लोक सहायक सेना

५. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का चालू वर्ष में लोक सहायक सेना को बढ़ाने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो किस हद तक ?

प्रतिरक्षा तथा संगठन मंत्री (श्री त्यागी) : (क) जी नहीं।

(ख) १९५७–५८ वर्ष में १,००,००० व्यक्तियों को लोक सहायक सेना में प्रशिक्षण दिये जाने का विचार है।

द्वितीय सामान्य निर्वाचनों पर व्यय

†६. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भारत के द्वितीय सामान्य निर्वाचनों संबंधी व्यय के बारे में अब तक निर्वाचन आयोग से कोई प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो कुल कितना व्यय हुआ है ?

†**विधि तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री विश्वास)** : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

राज भाषा आयोग का प्रतिवेदन

†७. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री १७ दिसम्बर, १९५६ के अतारांकित प्रश्न संख्या ९८९ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजभाषा आयोग के प्रतिवेदन पर विचार कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी कौन कौन सी सिफारिशें लागू की जाने वाली हैं ; और

(ग) यह प्रतिवेदन कब प्रकाशित किया जायेगा ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : (क) और (ख). माननीय सदस्य का ध्यान संविधान के अनुच्छेद ३४४ के खण्ड (४) से (६) की ओर, जिन में आयोग के प्रतिवेदन पर विचार और आयोग की सिफारिशों की कार्यान्विति संबंधी प्रक्रिया निर्दिष्ट है, आकृष्ट किया जाता है। उपरोक्त खण्ड (५) के अधीन जो संसदीय समिति प्रतिवेदन पर विचार करेगी वह अभी संगठित ही नहीं की गयी है।

(ग) यह प्रश्न विचाराधीन है।

---

†मूल अंग्रेजी में।

प्रतिरक्षा विज्ञान संगठन

†८. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री निम्नलिखित बातें दिखाने वाला एक विवरण पटल पर रखने की कृपा करेंगे :

(क) अगस्त, १९५६ के बाद से प्रतिरक्षा विज्ञान संगठन ने अब तक कौन कौन सी मुख्य गवेषणायें की हैं ; और

(ख) गवेषणा कार्य में कितने व्यक्ति लगे हैं ?

†**प्रतिरक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी)** : (क) प्रतिरक्षा विज्ञान संगठन के विभिन्न प्रतिष्ठानों में किये जाने वाले कार्य का स्वरूप और मोटे तौर पर उनका कार्य-कलाप दिखाने वाला एक विवरण २७ अगस्त, १९५६ को तारांकित प्रश्न संख्या १४५९ के उत्तर में सभा-पटल पर रखा गया था। अगस्त, १९५६ के बाद से किये गये अवर्गीकृत कार्य की मुख्य मदों का एक विवरण अब सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबंध संख्या ६]**

(ख) ८६ वैज्ञानिक-अधिकारी।

युद्धास्त्र अध्ययन केन्द्र, किरकी[*]

†९. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किरकी के युद्धास्त्र अध्ययन केन्द्र में १९५६–५७ में अब तक क्या-क्या मुख्य कार्य किया गया है ; और

(ख) इसी अवधि में कितने अफसर प्रशिक्षित किये गये ?

†**प्रतिरक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी)** : (क) इस केन्द्र में सेना के लिये प्रविधिक स्टाफ-अफसरों को प्रशिक्षित किया जाता है और युद्धास्त्रों के प्रयोग के संबंध में गवेषणा की जाती है।

(ख) सेना के पन्द्रह अफसरों ने मई, १९५६ में प्रशिक्षण भी पूरा किया। इस समय भी वायु सेना के छः और सेना के सात अफसर प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं।

चोरी से लाया गया सोना

†१०. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५६–५७ में चोरी से लाया गया कुल कितना सोना पकड़ा गया ; और

(ख) उसका कुल कितना मूल्य था ?

†**वित्त मंत्री तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)** : (क) सीमा-शुल्क अधिकारियों द्वारा १ अप्रैल, १९५६ से लेकर २७ फरवरी, १९५७ तक की अवधि में लगभग १,०४,१४० तोला चोरी से लाया गया सोना पकड़ा गया है।

(ख) पकड़े गये सोने का कुल मूल्य लगभग १,०२,१५,५९२ रुपये होगा।

नोट

†११. **श्री रामचन्द्र रेड्डी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५६–५७ में अब तक जारी किये गये नोटों का मूल्य कितना है ; और

(ख) १९५५–५६ की इसी अवधि के भीतर जारी किये गये नोटों का मूल्य कितना था ?

---

† मूल अंग्रेजी में

[*] Institute of Armament Studies, Kirkee.

†**वित्त तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)** : (क) ३० मार्च, १९५६ से १ मार्च, १९५७ तक की अवधि में जारी किये गये नोटों का मूल्य ४८,१३,७६,००० रुपये है ।

(ख) १ अप्रैल, १९५५ से २ मार्च, १९५६ तक की अवधि में जारी किये गये नोटों का मूल्य १,२६,५४,५३,००० रुपये था ।

प्रतिव्यक्ति आय और कर

†**१२. श्री स० चं० सामन्त** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५५–५६ में भारत में प्रतिव्यक्ति आय कितनी थी ;

(ख) १९५५–५६ में भारत में प्रतिव्यक्ति कर कितना था ;

(ग) इस वर्ष आय की तुलना में कितने प्रतिशत कर लगाया गया है ; और

(घ) ब्रिटेन, अमरीका, रूस और चीन की तुलना में यह कैसा ठहरता है ?

†**वित्त तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)**: (क) १९५५–५६ के लिये राष्ट्रीय आय के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं। १९५४–५५ में भारत में प्रतिव्यक्ति आय २६२·१ रुपये (चालू कीमतों के आधार पर) बैठी थी ।

(ख) १९५५–५६ में केन्द्र और राज्यों में वसूल हुए करों के 'पुनरीक्षित प्राक्कलनों' के आधार पर उस वर्ष में प्रतिव्यक्ति करभार लगभग १९·७ रुपये ठहरता है ।

(ग) १९५५–५६ के लिये राष्ट्रीय आय के प्राक्कलन उपलब्ध होने पर ही इसका हिसाब लगाया जा सकता है ।

(घ) यह सूचना उपलब्ध नहीं है ।

भारतीय नौसेना

†**१३. श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नौसेना के आधुनिकीकरण के लिये सरकार क्या कार्यवाही करने वाली है ; और

(ख) १९५७ में कुल कितने नये पोत प्राप्त किये जाने वाले हैं ?

†**प्रतिरक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी)**: (क) नौसेना के आधुनिकीकरण के लिये सभी आवश्यक कार्यवाही की जा रही है । यह कार्य निरंतर चलता ही रहता है और इसमें निम्नलिखित कार्य किये जाते हैं :—

(१) नये पोतों को प्राप्त करना ;

(२) गोदियों संबंधी बेहतर सुविधाओं का प्रबन्ध ;

(३) नौसेना संबंधी सामान और उपकरणों का देश में ही निर्माण/उत्पादन ; और

(४) भारत में प्रशिक्षण संबंधी सुधरी हुई सुविधायें ।

(ख) १९५७ में प्राप्त किये जाने वाले पोतों की संख्या प्रकट करना लोक-हित में नहीं है ।

———

† मूल अंग्रेजी में ।

अतारांकित प्रश्न संख्या ७९ के उत्तर में शुद्धि

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : १६ नवम्बर, १९५६ को लोक-सभा में सर्वश्री वें० प० नायर और पुन्नूस द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या ७९ के उत्तर में यह बताया गया था कि उस समय तक प्राप्त सूचना से यह संकेत मिला था कि जब कि भूतपूर्व त्रावनकोर-कोचीन राज्य के गैर-सरकारी कालेजों को १९५२–५३ से १९५५–५६ तक भरतियों के समय छात्रों से कुछ भी चन्दे प्राप्त नहीं हुए थे, एक कालेज को ४८ छात्रों से चन्दे के रूप में ३,००० रुपये प्राप्त हुए थे जिन्हें १९५६–५७ में बी०एस०सी० जूलाजी मेन (कैमिस्ट्री सहायक) कक्षा में भरती किया गया। यह उत्तर केरल सरकार द्वारा दी गयी सूचना के आधार पर दिया गया था। उस सरकार ने अब हमें यह सूचना दी है कि १९५२-५३ से १९५५-५६ तक भूतपूर्व त्रावनकोर-कोचीन राज्य के गैर-सरकारी कालेजों ने——केवल एक कालेज को छोड़ कर, जिसे ४८ छात्रों से, जिन्हें वर्ष १९५४–५५ में बी०एस०सी० जूलाजी मेन (कैमिस्ट्री सहायक) कक्षा में भर्ती किया गया था, लगभग ३,००० रुपयों की राशि चन्दे के रूप में प्राप्त हुई थी——भर्ती के समय छात्रों से कोई चन्दा एकत्र नहीं किया।

---

†मूल अंग्रेजी में।

दैनिक संक्षेपिका

[गुरुवार, २१ मार्च, १९५७]

पृष्ठ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर . . . . ३२—४७

तारांकित प्रश्न संख्या — विषय

३०	बिलासपुर	३२
३१	भारत में पाकिस्तानी राष्ट्रजन . .	३२—३४
३२	हिमालय के निकटवर्ती जिलों में प्राप्त खनिज पदार्थ .	३४
३४	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग	३४—३६
३५	कोयले के नये क्षेत्र	३६
३६	इस्पात के कारखाने	३७—३८
३७	नागार्जुनकोंडा की खुदाई . .	३८—३९
३९	नागार्जुनसागर विमान-पट्टी . . .	३९
४०	बैंक अनुज्ञप्तियों का प्रतिसंहरण . . .	४०
४१	लौह-अयस्क	४०—४१
४२	अनुसूचित जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्ग के लिये छात्रवृत्तियां	४१—४२
४३	पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्ति . .	४२—४३
४४	केरल में भ्रष्टाचार सम्बन्धी मामले . .	४४
४५	दिल्ली में बम विस्फोट . . .	४४—४५
३३	भारत का राज्य बैंक . . .	४५—४६

प्रश्नों के लिखित उत्तर . . . . . ४७—५१

तारांकित प्रश्न संख्या

३८	छुट्टियों सम्बन्धी नियम	४७—४८

अतारांकित प्रश्न संख्या

५	लोक सहायक सेना	४८
६	द्वितीय सामान्य निर्वाचनों पर व्यय . . .	४८
७	राजभाषा आयोग का प्रतिवेदन . . .	४८
८	प्रतिरक्षा विज्ञान संगठन	४९
९	युद्धास्त्र अध्ययन केन्द्र, किरकी . . .	४९
१०	चोरी से लाया गया सोना . . .	४९
११	नोट	४९—५०
१२	प्रति व्यक्ति आय और कर	५०
१३	भारतीय नौसेना	५०

अतारांकित प्रश्न संख्या ७९ के उत्तर में शुद्धि . . ५१

२१ मार्च, १९५७ (गुरूवार)

लोक-सभा
वाद-विवाद

(भाग २—प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)

खण्ड १, १९५७

(१८ मार्च से २८ मार्च, १९५७)

1st Lok Sabha

पन्द्रहवां सत्र

(खंड १ में अंक १ से अंक १० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय

नई दिल्ली

विषय सूची

(भाग २—वाद-विवाद खंड १—१८ से २८ मार्च, १९५७)

पृष्ठ

अंक १—सोमवार, १८ मार्च १९५७—

कुछ सदस्यों का निधन १

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति २

राष्ट्रपति का अभिभाषण . २–७

स्थगन प्रस्ताव—

पूर्वी उत्तरप्रदेश में खाद्यान्न स्थिति . . ८

सभा-पटल पर रखे गये पत्र . . . ८–१२

लोक-लेखा समिति—

बीसवां प्रतिवेदन १२

सदस्यों द्वारा पद त्याग १२

दैनिक संक्षेपिका . १३–१६

अंक २—मंगलवार, १९ मार्च, १९५७—

श्री पी० एस० कुमार स्वामी राजा का निधन १७

सभा-पटल पर रखे गये पत्र १७–२०

प्राक्कलन समिति—

चवालीसवां तथा पैंतालीसवां प्रतिवेदन २१

सदस्य द्वारा पदत्याग . . २१

रेलवे आय-व्ययक, १९५७–५८—

उपस्थापित २१–२४

१९५६–५७ के लिये अनुपूरक अनुदानों की मांगों का विवरण २४

१९५२–५३ के लिये अतिरिक्त अनुदानों की मांगों का विवरण २५

केरल राज्य की संचित निधि में से किये गये व्यय का विवरण २५–२६

१९५६–५७ के अनुदानों की अनुपूरक मांगों (रेलवे) का विवरण . २६

समुद्र सीमा-शुल्क (संशोधन) विधेयक . . २६–२८

विचार के लिये प्रस्ताव . . . २६

खंड २ से ७ और १ . . . . . २७

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव . . २८

विदेशी व्यक्ति कानून (संशोधन) विधेयक . . . २८–३८

विचार के लिये प्रस्ताव २८

खंड २ से ९ और १ . . . . ३५–३८

	पृष्ठ
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव . . .	३८
राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्ताव के बारे में . .	३८
सामान्य आय-व्ययक १९५७–५८ उपस्थापित . .	३८–४२
वित्त विधेयक	४२–४३
पुरस्थापित	४२
नियम समिति—	
आठवां प्रतिवेदन	४३
कार्य मंत्रणा समिति—	
अड़तालीसवां प्रतिवेदन	४३
दैनिक संक्षेपिका	४४–४७

अंक ३—बधवार, २० मार्च, १९५७—

सभा-पटल पर रखे गये पत्र	४९, ५०
प्राक्कलन समिति—	
सैंतालीसवां प्रतिवेदन	५०
राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्ताव . . .	५०–८४
दैनिक संक्षेपिका	८५

अंक ४—गुरुवार, २१ मार्च, १९५७—

सभा-पटल पर रखे गये पत्र	८७–८९
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति—	
अड़सठवां प्रतिवेदन	८९
कार्य मंत्रणा समिति—	
अड़तालीसवां प्रतिवेदन . .	८९
राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्ताव . .	८९–१००
अनुपूरक अनुदानों की मांगें (रेलवे) १९५६–५७ .	१००–०६
अनुपूरक अनुदानों की अनपूरक मांगें १९५६–५७ अतिरिक्त अनुदानों की मांगें १९५२–५३ . } .	१०६–१९
अनुदानों की मांगें, केरल	१२०–२४
सामान्य आयव्ययक—सामान्य चर्चा . . .	१२५–२९
दैनिक संक्षेपिका	१३०–३३

अंक ५—शुक्रवार, २२ मार्च, १९५७—

सभा-पटल पर रखे गये पत्र	१३५
राज्य सभा से संदेश	१३५

पृष्ठ

विधेयक, राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में, सभा पटल पर रखा गया
प्राक्कलन समिति १३६
उनचासवां और पचासवां प्रतिवेदन . . . १३६
सदस्यों द्वारा पदत्याग १३६
विनियोग (रेलवे) विधेयक—पुरस्थापित . . १३६
विनियोग विधेयक . . . १३६–३७
विनियोग (संख्या २) विधेयक—पुरस्थापित . . . १३७
केरल विनियोग विधेयक—प्रस्थापित . . . १३७
सामान्य आय व्ययक—सामान्य चर्चा . . . १३८–६६
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के अड़सठवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव . . . १६६–६७
चाय उद्योग के राष्ट्रीयकरण के बारे में संकल्प . . . १६७–७०
गन्ने का मूल्य नियत करने के लिये संविहित निकाय के बारे में संकल्प . १७२–७७
दैनिक संक्षेपिका १७८–७९

अंक ६—शनिवार, २३ मार्च, १९५७—

सभा-पटल पर रखे गये पत्र . . १८१
सभा से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति—
बीसवां प्रतिवेदन १८१
विनियोग (रेलवे) विधेयक, १९५७—
विचार तथा पारित करने का प्रस्ताव . . १८१–८२
विनियोग विधेयक, १९५७—
विचार तथा पारित करने का प्रस्ताव . . १८२
विनियोग (संख्या २) विधेयक, १९५७—
विचार तथा पारित करने का प्रस्ताव . . १८३
केरल विनियोग विधेयक, १९५७—
विचार तथा पारित करने के प्रस्ताव . . १८३
सामान्य आय व्ययक—सामान्य चर्चा . . १८–९४, १९–२२३
सभा का कार्य . . . १९४
दैनिक संक्षपिका २२४

अंक ७—सोमवार, २५ मार्च, १९५७—

सभा-पटल पर रखे गये पत्र . . २२५–२६
प्राक्कलन समिति—
इक्यावनवां, छप्पनवां और सत्तावनवां प्रतिवेदन . . २२७

	पृष्ठ
सदस्य द्वारा पद-त्याग	२२७
केरल आय-व्ययक, १९५७–५८	२२७–२८
राष्ट्रपति से संदेश	२२९
अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के संबंध में प्रस्ताव . . .	२२९–६१
दैनिक संक्षेपिका . .	२६२–६३

अंक ८—मंगलवार, २६ मार्च, १९५७—

श्री सत्यप्रिय बैनर्जी का निधन .	२६५
सभा-पटल पर रखे गये पत्र . .	२६५
राज्य-सभा से संदेश . .	२६६
लोक-लेखा समिति—	
बाइसवां प्रतिवेदन	२६६
आक्कलन समिति—	
अड़तालीसवां और अठावनवां प्रतिवेदन .	२६६
अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
विनयनगर के रेलवे फाटक के निकट दुर्घटना .	२६६–६७
अनुपस्थिति की अनुमति .	२६८
सदस्य द्वारा पद-त्याग . . .	२६८
अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के बारे में प्रस्ताव .	२६८–६९
लेखानुदानों के लिये मांगें .	२७९–३००
विनियोग (लेखानुदान) विधेयक—	
पुरःस्थापित .	३०१
वित्त विधेयक, १९५७—	
विचार के लिये प्रस्ताव . .	३०१
खण्ड १ से ६ . .	३०२
पारित करने का प्रस्ताव .	३०२–०३
रेलवे आय-व्ययक—सामान्य चर्चा .	३०३–०९
नियम समिति—	
नवां प्रतिवेदन . . .	३०६
सभा का कार्य	३०६
दैनिक संक्षेपिका	३१०–११

पृष्ठ

अंक ९—बुधवार, २७ मार्च, १९५७—

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ३११–१६

लोक-लेखा समिति—

चौबीसवां प्रतिवेदन ३१६

प्राक्कलन समिति—

बावनवां और उनसठवां प्रतिवेदन . . . ३१६

अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

भारत में तेल की खोज के संबंध में हुई प्रगति . . ३१६–१८

विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, १९५७—

विचार तथा पास करने का प्रस्ताव . . ३१८

रेलवे आय-व्ययक—सामान्य चर्चा . ३१८–३३

लेखे पर अनुदान की मांगें (रेलवे) . . ३३३–४७

विनियोग (रेलवे) लेखानुदान विधेयक, १९५७—

पुरःस्थापित ३४८

केरल आय-व्ययक—सामान्य चर्चा ३४८–५३

दैनिक संक्षेपिका ३५४–५६

अंक १०—गुरुवार, २८ मार्च, १९५७—

सभा-पटल पर रखे गये पत्र . . ३५७–६०, ३६५

हिन्दी पर्याय समिति का प्रतिवेदन . . ३६०

राज्य-सभा से संदेश ३६१

लोक-लेखा समिति—

तेइसवां प्रतिवेदन ३६१

प्राक्कलन समिति—

छियालीसवां, तिरपनवां से पचपनवां और साठवां से छासठवां प्रतिवेदन ३६१

याचिका समिति—

बारहवां प्रतिवेदन . . . ३६२

आश्वासनों संबंधी समिति—

चौथा प्रतिवेदन ३६२

अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

ऐसे बीमा समवायों की पालसियां जिनकी वित्तीय स्थिति अच्छी नहीं है। ३६२–६३

स्थगन प्रस्ताव—

कालीघाट फाल्टा रेलवे को बन्द करने के बारे में निर्णय ३६३–६४

सदस्यों द्वारा पद-त्याग ३६५

	पृष्ठ
नियम समिति—	
नवां प्रतिवेदन	३५९
विनियोग (रेलवे) लेखानुदान विधेयक, १९५७—	
विचार तथा पास करने के प्रस्ताव . . .	३५९
केरल आय-व्ययक—सामान्य चर्चा	३६०–७२
लेखानुदान की मांगें—केरल, १९५७–५८ . . .	३७२–८२
केरल विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, १९५७—	
पारित	३८२
भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) विधेयक . . .	३८२–९०
विचार करने का प्रस्ताव	३८२
खंड १ से ३	३९०
पारित करने का प्रस्ताव	३९०
राष्ट्रपति के निर्वाचन और नई लोक-सभा के गठन के बारे में चर्चा .	३९०–९५
विदाई भाषण	३९५–४०१
दैनिक संक्षेपिका	४०२–०५
पन्द्रहवें सत्र में किये गये कार्य का संक्षेप . . .	४०६–०७
अनुक्रमणिका	(१–१०४)

लोक-सभा

बृहस्पतिवार, २१ मार्च, १९५७

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नोत्तर

(देखिये भाग १)

११-४० बजे

सभा पटल पर रखे गये पत्र

औद्योगिक विवाद (केन्द्रीय) नियम

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : मैं औद्योगिक विवाद अधिनियम, १९४७ की धारा ३८ की उपधारा (४) के अधीन १० मार्च, १९५७ की अधिसूचना संख्या ७७० में प्रकाशित औद्योगिक विवाद (केन्द्रीय) नियम, १९५७ की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

[पुस्तकालय में रखी गयी—देखिए संख्या एस० ३९/५७]

आश्वासनों, वचनों और प्रतिज्ञाओं आदि पर सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही का विवरण

†**संसद्-कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह)** : मैं मंत्रियों द्वारा विभिन्न सत्रों में, जैसा कि प्रत्येक के सामने दिखाया गया है, दिये गये विभिन्न आश्वासनों, वचनों और प्रतिज्ञाओं पर सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही के निम्नलिखित विवरणों को सभा पटल पर रखता हूं :—

(१) अनुपूरक विवरण संख्या १ लोक सभा का चौदहवां सत्र, १९५६।

[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या १०]

(२) अनुपूरक विवरण संख्या ८ लोक सभा का तेरहवां सत्र, १९५६।

[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ११]

(३) अनुपूरक विवरण संख्या १४ लोक सभा का बारहवां सत्र, १९५६।

[देखिए परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या १२]

(४) अनुपूरक विवरण संख्या १६ लोकसभा का ग्यारहवां सत्र, १९५५।

[देखिए परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या १३]

(५) अनुपूरक विवरण संख्या १९, लोक सभा का दसवां सत्र, १९५५।

[देखिए परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या १४]

(६) अनुपूरक विवरण संख्या २५, लोकसभा का नवां सत्र, १९५५।

[देखिए परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या १५]

†मूल अंग्रेजी में

खान तथा खनिज (विनियमन तथा विकास) अधिनियम के अधीन निकाली गयी अधिसूचनायें

†**प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : मैं खान तथा खनिज (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, १९४८ की धारा १० के अधीन निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(१) १० जनवरी, १९५७ की अधिसूचना संख्या एम० २, १५२ (६८)/५४।
(२) १४ जनवरी, १९५७ की अधिसूचना संख्या १७६(५)/५६—एम० ४।
(३) १४ जनवरी, १९५७ की अधिसूचना संख्या एम० २—१५९(१५)/५६—१।
(४) २८ फरवरी, १९५७ की अधिसूचना संख्या एम० २—१५९(१५)/५६—२।

[पुस्तकलाय में रखी गयी देखिए संख्या एस०—४६/५७]

भारत सरकार और श्रीलंका के बीच हुए करार

†**राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (श्री म० च० शाह)**: मैं ६ फरवरी, १९५७ की अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० ४५६ में प्रकाशित आय पर दोहरे कराधान से राहत दिलाने अथवा उसको हटाने के लिए भारत सरकार और श्रीलंका के बीच हुये करार की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

[पुस्तकालय में रखी गयी देखिए संख्या एस०—४७/५७]

समवाय अधिनियम के अधीन निकाली गई अधिसूचना

†**श्री म० च० शाह** : समवाय अधिनियम, १९५६ की धारा ६४१ की उपधारा (३) के अधीन ११ दिसम्बर, १९५६ के एस० आर० ओ० संख्या ३१३४ की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

[पुस्तकालय में रखी गयी देखिए संख्या एस० ४८/५७]

समवाय (केन्द्रीय सरकार की) के सामान्य नियमों तथा प्रपत्रों में संशोधन

†**श्री म० च० शाह** : मैं समवाय अधिनियम, १९५६ की धारा ६४२ की उपधारा (३) के अधीन समवाय (केन्द्रीय सरकार के) के सामान्य नियमों तथा प्रपत्रों, १९५६ में कुछ संशोधन करने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(१) १२ जनवरी, १९५७ की अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० २३७
(२) १२ जनवरी, १९५७ की अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० ३१३५

[पुस्तकालय में रखी गयी देखिए संख्या एस० ४९/५७]

हैदराबाद राज्य बैंक (प्रतिकर) नियम

राजस्व और प्रतिरक्षा व्यय मंत्री (श्री अ० चं० गुह) : मैं हैदराबाद राज्य बैंक अधिनियम, १९५६ की धारा ४१ की उपधारा (३) के अधीन ४ अक्टूबर, १९५६ की अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० २२७४ में प्रकाशित हैदराबाद राज्य बैंक (प्रतिकर) नियम, १९५६ की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

[पुस्तकालय में रखी गयी देखिए संख्या एस० ३७/५७]

कर्मचारी भविष्य निधि योजना में संशोधन

श्री आबिद अली: मैं कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, १९५२ की धारा ७ की उपधारा (२) के अधीन कर्मचारी भविष्य निधि योजना, १९५२ में आगे कुछ और संशोधन करने वाली १९ जनवरी १९५७ की अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० २१७ की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

[पुस्तकालय में रखी गयी देखिए संख्या एस० ५०/५७]

---

†मूल अंग्रेजी में।

कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम के अधीन निकाली गई अधिसूचना

†**श्री आबिद अली** : मैं कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, १९५२ की धारा ४ की उपधारा (२) के अधीन १९ जनवरी, १९५७ की अधिसूचना सख्या एस० आर० ओ० २१८ की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

मैं १६ फरवरी, १९५७ के एस० आर० ओ० संख्या ५२९ की भी एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गयी देखिए संख्या एस० ५०/५७]

नियम समिति का कार्यवाही सारांश

†**सरदार हुक्म सिंह** (कपूरथला–भटिण्डा) : मैं १९ मार्च, १९५७ को हुई नियम समिति की बैठक की कार्यवाही के सारांश की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

अड़सठवां प्रतिवेदन

†**सरदार हुक्म सिंह** (कपूरथला––भटिण्डा) : मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का अड़सठवां प्रतिवेदन उपस्थित करता हूं ।

---

‡अतारांकित प्रश्न संख्या ७९ के उत्तर का संशोधन

कार्यमंत्रणा समिति

अड़तालीसवां प्रतिवेदन

† **संसद् कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह)** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के अड़तालीसवें प्रतिवेदन से, जो १९ मार्च, १९५७ को सभा में उपस्थिपित किया गया था, सहमत है ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

श्री कामत (होशंगाबाद) : क्या यह सत्र २८ मार्च को अवश्य समाप्त हो जायेगा ?

अध्यक्ष महोदय : जी हां । प्रश्न यह है :

"कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के अड़तालीसवें प्रतिवेदन से, जो १९ मार्च, १९५७ को सभा में उपस्थिापित किया गया था, सहमत है ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्ताव––जारी

अध्यक्ष महोदय : अब सभा २० मार्च, १९५७ को श्री व० बा० गांधी द्वारा प्रस्तुत किये गये निम्नलिखित प्रस्ताव पर और आगे विचार करेगी :—

"कि इस सत्र में समवेत लोकसभा के सदस्य राष्ट्रपति के उस अभिभाषण के लिए जो कि उन्होंने १८ मार्च, १९५७ को समवेत संसद् के दोनों सदनों के समक्ष देने की कृपा की है, अत्यन्त आभारी हैं ।"

---

† मूल अंग्रेजी में

‡ **देखिये** वाद विवाद भाग १, २१ मार्च १९५७, स्तम्भ––

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य तथा प्रतिरक्षा मंत्री (श्री जवाहर लाल नेहरू)**: अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रपति का अभिभाषण जिस पर इस सभा में चर्चा होती रही है, लगभग एक वर्ष की अवधि के सम्बन्ध में है। पर हम इस अभिभाषण पर इस रूप में चर्चा कर रहे हैं जैसाकि वह एक अधिक लम्बी अवधि के लिए हो अर्थात् इस संसद् का पूर्ण कार्यकाल; इस प्रकार के अभिभाषण पर विचार करने के लिए इस संसद् का यह अन्तिम अवसर है और हमारे सामने एक पांच वर्षों से भी अधिक समय का, यानी स्वतंन्त्रता मिलने से अब तक का समय, क्षेत्र खुला हुआ है।

यह ठीक है कि माननीय सदस्यों को हमारी घरेलू या अन्तर्राष्ट्रीय नीति या इस समय होने वाली किसी घटना या अन्य किसी बात की छानबीन उसकी आलोचना या उसकी निन्दा करनी चाहिए। पर, साथ ही साथ, यह अधिक आवश्यक है कि हमें एक इस सम्पूर्ण अवधि पर ध्यान रखना चाहिए कि इस देश के भाग्य को, चाहे राजनतिक क्षेत्र हो या आर्थिक या सामाजिक हो, स्वरूप देने में मुख्य मुख्य शक्तियां किस प्रकार कार्य करती रही हैं। उस संसद् का उच्च प्रयोजन पक्के आधार पर लोकतन्त्र की स्थापना के लिए भारत के इतिहास के नये अध्याय की नींव डालना और उसे आरंभ करना; समाजवाद की ओर भारतीय जनता को आगे बढ़ाने के लिए कार्य करना और परिश्रम करना; अपने सामने रखे आदर्श को प्राप्त करने के लिए कदम कदम आगे बढ़ कर निकट भविष्य में भारतीय जनता के रहन सहन के स्तर को ऊंचा उठाना है। अतः मैं अपील करूंगा कि इस अवसर पर विस्तृत दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए, इसलिए नहीं कि सीमित दृष्टिकोण को छोड़ दिया जाय बल्कि इसलिए कि यदि हम उसके विस्तृत तथा महान् स्वरूप को सामने रखेंगे तो उसके एक छोटे या सीमित स्वरूप को समझने में हमें अधिक आसानी होगी।

मेरा विचार यह यहीं है कि वाद-विवाद के इस प्रक्रम पर मैं पिछले १० वर्ष या ५ वर्ष के इतिहास को दोहराऊं। मैं सभा का ध्यान केवल इस विस्तृत दृष्टिकोण की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। प्रायः हम इधर उधर की बातों में पड़ कर मुख्य बात को छोड़ देते हैं। ऐसा करते समय यानी हमारी घरेलू या अन्तर्राष्ट्रीय नीति पर विचार करते समय यह अधिक लाभदायक होगा कि हम देखें कि संसार में अन्य स्थानों पर क्या परिवर्तन हुये हैं; दूसरे महायुद्ध के बाद संसार का स्वरूप किस प्रकार बदला है; हमें यह भी देखना चाहिए कि प्रत्येक क्षेत्र में क्या परिवर्तन हुये हैं एशिया में, क्या क्या घटनायें हुई हैं जिसने महायुद्ध के बाद महान् शक्ति तथा उत्साह का प्रदर्शन किया है; हमारे पड़ौसी देशों में तथा एशिया के अन्य देशों में क्या क्या घटनायें हुई हैं। इस प्रकार हम एक अच्छा मापदण्ड बना सकेंगे यह देखने के लिये कि हमें कितनी सफलता मिली है तथा कितनी सफलता नहीं मिली।

यह एक सरल और ठीक बात है कि हम अपनी गति को बढ़ाने के लिये, अपनी बुराइयों को दूर करने के लिये, अपनी शिथिलता, अपनी कार्य निपुणता की कमी तथा अन्य बातों के प्रति अधीर हों। ठीक है हमें सदैव अधीर रहना चाहिए। हमें कभी भी पूर्ण प्रकार संतुष्ट नही होना चाहिए। फिर भी अधीरता का सतुलन बनाये रखने के लिए हमें यह विस्तृत स्वरूप अपने सामने रखना चाहिये और यह देखना चाहिए कि हमारे आसपास के देश में क्या क्या घटनायें हुई हैं। क्यों लगभग इसी प्रकार की समस्यायें अन्य देशों को भी सुलझानी पड़ती हैं; पर प्रत्येक देश की समस्यायें अलग अलग होती हैं उनके आधार तथा उद्देश्य भी भिन्न भिन्न होते हैं। पर सारा संसार एक तार में गुथ कर बहुत नजदीक आ गया है और उसी प्रकार की समस्यायें तथा वही बुराइयां सारे संसार पर छाई रहती हैं।

मैं इस सभा के माननीय सदस्यों के समक्ष यह विचार इसलिए कर रहा हूं कि इस विस्तृत दृष्टि-कोण को ध्यान म रखने से हम मालूम होता है कि इस संसद् ने पिछले पांच वर्षों में और इसके पूर्व वाली संसद ने भी, यानी पिछले १० वर्षों में भारत तथा भारत की जनता की सफलता केवल पर्याप्त ही

---

† अंग्रेजी में

नहीं रही है बल्कि चकाचौंध कर देने वाली रही है। साथ ही साथ मैं इस अवधि में हुई अपनी असफलताओं को भी नहीं भूलता। पर मैं समझता हूं कि हमें अपनी सफलताओं पर ही या असफलताओं पर जोर नहीं देना चाहिए। हमें दोनों पहलुओं पर ध्यान देना चाहिए। न्यायपूर्वक देखने पर हम कह सकते हैं कि हमने राजनैतिक, आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्र में उन्नति की है। क्योंकि मेरा विश्वास है कि कोई भी देश आज प्रगति नहीं कर सकता जब तक कि वह इन सभी क्षेत्रों में साथ साथ प्रगति नहीं करता।

हम में से अधिकांश लोग, चाहे वह सरकारी दल के हों चाहे विरोधी दल के हों, वर्षों तक भारत की स्वतन्त्रता के युद्ध में रत रहे हैं। हमने भारत में क्रान्ति की और संसार जानता है कि यह एक बड़ी क्रान्ति थी पर शान्तिपूर्ण थी। यद्यपि उसका स्वरूप बदल गया और उसके उपाय भिन्न थे पर फिर भी हमने क्रान्ति की। यद्यपि उसका एक राजनैतिक पहलू पूरा हो गया है पर मैं समझता हूं कि क्रान्ति अभी समाप्त नहीं हुई है। हमने हमेशा विचार रखा है कि हमें तो आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्र में भी क्रान्ति करनी है। हो सकता है हमारे उपाय तथा साधन भिन्न भिन्न रहे हों, हो सकता है हमारे विचारों में मतभेद रहा हो। मोटे तौर पर हम सभी सहमत थे और हमने इस राजनैतिक क्रान्ति को आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्र में भी फैलाया। सब लोग नहीं पर हममें से अधिकांश लोग बीती हुई घटनाओं के आधार पर एकमत हो गये थे जैसे कि सम्पूर्ण देश एकमत था। जब हम लोगों ने इस नये काम की जिम्मेदारी ली उस समय, हम चाहे उस समय कितने ही कम योग्य क्यों न रहे हों, पर हमारे देश में उस समय भी क्रान्तिकारी या अर्धक्रान्तिकारी आधार था। मैं इसलिये यह कह रहा हूं कि लोग, हमारे देश के लोग नहीं बल्कि विदेशों के लोग, यह भूल गये हैं कि हम अब भी उस क्रान्ति के सैनिक हैं। हम सभी उसके सम्बन्ध में एक मत हो चुके हैं। हम उसे भूल जायें, हम कमजोर हो जायें, या हम मार्ग में गिर पड़ें या फिसल जायें, यह बात दूसरी है। ऐसे एक देश में जिसने क्रान्तिकारी उपायों से, शान्तिपूर्ण हो या नहीं, स्वतन्त्रता प्राप्त की है, और ऐसे एक देश में जिसे आकस्मिक रूप में स्वतन्त्रता मिल गई हो, अन्तर है। क्रान्तिकारी उपाय लोगों पर नियन्त्रण रखता है और उनके चरित्र, उनकी विरोध शक्ति और आगे बढ़ने की शक्ति और उनकी त्याग क्षमता आदि पर भी नियंत्रण रखता है। यह सच है कि क्रान्ति का विस्फोट होने के बाद प्रायः देखा जाता है कि वही क्रान्ति प्रायः क्रान्ति करने वाले लोगों को नष्ट कर देती है और इसी प्रकार की क्रियायें तथा प्रतिक्रियायें होती हैं। यह मुख्य मुख्य बातें थीं जिनसे हम गुजर चुके हैं। जब अन्य देश के लोग हमारे बारे में विचार करते हैं तो उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि हम भारतीय क्रान्ति के सैनिक हैं, ऐसे व्यक्ति नहीं हैं जिन्हें किसी अचानक घटना के परिणाम स्वरूप स्वतन्त्रता मिली हो और हमारे साथ कोई भी ऐसा व्यवहार नहीं कर सकता जैसा कि प्रायः अन्य देशों के साथ किया जाता है क्योंकि उनको स्वतन्त्रता दैवयोग से या भारत की स्वतन्त्रता के संघर्ष के परिणामस्वरूप मिली है।

यह महत्वपूर्ण अन्तर केवल भूतकाल पर ही नहीं बल्कि वर्तमान तथा भविष्य पर भी लागू होता है। चूंकि हमें परिवर्तन लाना है। अतः हमें उसके लिए कार्य करना पड़ेगा। हमारा ध्यान आर्थिक तथा सामाजिक परिवर्तनों तथा नवीन भारत की उन्नति तथा निर्माण पर केन्द्रित है। अन्य प्रत्येक बात हमारे लिए गौड़ है। अन्य बातों का हमारे सामने उतना ही महत्व है जितना कि वे हमारे मूल प्रयोजन पर प्रभाव डालती हैं। हम विदेशों में होने वाले अनेक परिवर्तनों से अपने को अलग नहीं रख सकते क्योंकि उनका उन कामों से घनिष्ट सम्बन्ध है जो हम करते हैं। हम संसार से बिल्कुल अलग नहीं रह सकते। इतना होते हुये भी हमारा मुख्य उद्देश्य भारत को सामाजिक तथा आर्थिक दृष्टि से और यथाशीघ्र तथा तेजी से ऊंचा उठान के काम को चलाते रहना है, हम यह भी जानते हैं कि इसके लिये कठिन परिश्रम, त्याग, तथा समय की आवश्यकता होती है। यह काम जादू के प्रभाव से नहीं किया जा सकता।

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

यह एक दिलचस्पी का विषय होगा यदि हम उन देशों की ओर देखें जो हमारे मित्र हैं या हम जिनका हित चाहते हैं। हमने लोकतन्त्र का निर्माण करना शुरू किया हमने समाजवाद को अपना लक्ष्य बनाया। हमने उच्चस्तर पर पहुंचने का उद्देश्य निश्चित किया। हमने कल्याणकारी राज्य बनाने का उद्देश्य बनाया। हम लोग लोकतन्त्रात्मक स्वरूप की रक्षा करते हुये कितने आगे पहुंच चुके हैं, हो सकता है उतना आगे न पहुंच सके हों जितना कि माननीय सदस्य उचित समझते हैं, फिर भी हम उतनी उन्नति कर चुके हैं जितनी उन्नति कोई भी देश इन परिस्थितियों में कर सकता है। लोकतन्त्रात्मक होने का दावा करने वाले देशों की ओर भी देखिए। उनमें से कितने देशों में लोकतन्त्र का आवरण भी है, उसकी आत्मा की बात को तो छोड़ दीजिए। ऐसे भी देश दुनिया में बहुत थोड़े हैं। कम से कम ऐशिया में तो बहुत ही कम हैं। उनकी संख्या बहुत थोड़ी है। हमारा पड़ौसी देश पाकिस्तान जिससे हम मित्रता रखते हैं, इतना होने पर भी लोकतन्त्रात्मक उपाय से काम चलाने में असमर्थ है।

आज सुबह की खबर है कि पश्चिमी पाकिस्तान में संविधान को वहां के राष्ट्रपति (प्रेसीडेंट) ने निलम्बित कर दिया है। धारा १९३ के अधीन उसे निलम्बित किया गया है और पश्चिमी पाकिस्तान में कोई संविधान काम नहीं कर रहा है मैं सहानुभूति प्रकट करता हूं, मैं आलोचना नहीं कर रहा हूं। मैं पाकिस्तान की जनता तथा पश्चिमी पाकिस्तान की सरकार के साथ सहानुभूति प्रकट कर रहा हूं मैं यह बताना चाहता हूं कि लोकतन्त्र को आवरण बनाने के लिए पाकिस्तान को कितनी कठिनाईयों का सामना करना पड़ा। मैं लोकतन्त्र की आत्मा की बात नहीं कहता क्योंकि उसको प्राप्त करना तो बहुत ही कठिन है।

दो या तीन वर्ष पूर्व पूर्वी पाकिस्तान में निर्वाचन हुये और एक दल को बड़ा बहुमत प्राप्त हो गया था और दो या तीन महीने बाद ही वहां संविधान को निलम्बित करना पड़ा था। मैं यह नहीं कहता कि वह उचित था या नहीं। मैं तो केवल यह बताना चाहता हूं कि हमारे पड़ोसी राज्य को प्रारम्भिक रूप में भी लोकतन्त्रात्मक ढंग पर काम करने में कितनी कठिनाई उठानी पड़ी। यह सच है कि वे नियंत्रित लोकतन्त्र चाहते हैं जो कि सामान्य लोकतन्त्र से भिन्न है। आसपास के अन्य देशों को देखिए, अच्छे देशों अच्छे व्यक्तियों को देखिए जो विध्वन्सक तथा विघटन कारी प्रवृत्तियों के विरुद्ध लड़ रहे हैं, वे भी अपने देश में ही लड़ रहे हैं; अनेक दल आपस में एक दूसरे से लड़ने में अपनी शक्ति का अपव्यय कर रहे हैं। कुछ देश विदेशी सहायता सैनिक सहायता तथा अन्य सहायता पाते हैं और फिर भी वे अपने देश में लोकतंत्र या अच्छी सरकार की जड़ जमाने में असमर्थ हैं। हम स्वतंत्र संसार की बात करते हैं। स्वतंत्र संसार के कितने देशों में लोकतंत्र था अच्छी सरकार का आवरण है। हम सब लोग यह बातें देखते हैं। पर यदि आप भारत की ओर देखेंगे तो आप पायेंगे कि इन सभी त्रुटियों के होते हुए भी, हमारे देश में लोकतंत्रात्मक ढंग ठीक तरह चल पाई है, पूर्ण प्रकार नहीं क्योंकि संसार की कोई भी चीज पूर्ण नहीं है ; और साथ ही साथ आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्र में हमारे देश ने जो उन्नति की है वह प्रशंसनीय है। मैं इस समय यह नहीं बताने जा रहा हूं कि हमने कितनी सफलता प्राप्त कर ली है। सभा को इस सम्बन्ध में पता है और सभा में सदस्यों के भिन्न भिन्न मत भी हो सकते हैं पर मैं कहना चाहता हूं कि भारत की तुलना किसी देश से करते समय केवल भारत को ही ध्यान में नहीं रखना चाहिए बल्कि उन सभी महान शक्तियों को भी ध्यान में रखना चाहिए जो दुनियां में अन्य देशों में काम कर रही हैं और उन देशों में उनका क्या परिणाम हुआ है जिनकी हालत बिल्कुल ऐसी ही थी जसी कि भारत की, जिनको ऐसी ही समस्याओं का सामना करना पड़ा। लोकतंत्र तथा आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्र में अपनी सफलता की तुलना को यदि हम देखें तो हमारी सफलतायें महत्वपूर्ण रही हैं। मैं सामाजिक प्रगति की बात कहता हूं क्योंकि भारत जैसे देश में लोकतंत्रात्मक ढंग से सामाजिक प्रगति करना साधारण काम नहीं है। हिन्दुओं

के कानून के सम्बन्ध में इस संसद् ने जिन विधियों का अनुमोदन किया है वह विधियां बहुत ही महत्वपूर्ण रही हैं क्योंकि यह एक ऐसा विषय रहा है कि इसका लोगों से घनिष्ट सम्बन्ध रहा है। इससे उन लोगों की सारी अकर्मण्यता दूर हो जाती है जिसमें वह रहते रहे हैं। इन अकर्मण्यताओं को दूर करना कठिन काम है।

लोग विरोध की बात करते हैं। भारत में मुख्य विरोध संसद् के विरोधी दल के सदस्यों का विरोध नहीं है बल्कि सभी प्रकार की ध्वंसात्मक तथा विघटनकारी प्रवृत्तियों तथा अकर्मण्यता का विरोध है और भारत जैसे बड़े देश में हमें इन प्रवृत्तियों का विरोध करना तथा उनसे लड़ना पड़ेगा। अतः मैं सभा से निवेदन करूंगा कि इस बात पर विचार करने के लिये कि हमें कितनी सफलता मिली है और किन किन बातों में सफलता नहीं मिली है, हमें १० वर्ष के बड़े स्वरूप को अपने सामने रखना चाहिए क्योंकि हमें अनुभव से लाभ उठाना चाहिए।

इस विस्तृत स्वरूप में वैदेशिक कार्य का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। ऐसा सोचा गया था कि बाद के किसी वादविवाद में वैदेशिक कार्य पर विचार करना अधिक उचित होगा। मैं इस सम्बन्ध में अधिक नहीं कहूंगा पर चूंकि कुछ माननीय सदस्यों ने इस बात की ओर संकेत किया अतः मैं कुछ भ्रान्त धारणाओं को ठीक करने के लिए कुछ कहूंगा।

काश्मीर का प्रश्न विचार तथा चर्चा का बहुत महत्वपूर्ण विषय रहा है। मैं इस सम्बन्ध में अधिक नहीं कहना चाहता। हमने इस सम्बन्ध में काफी कह दिया है और जहां तक सरकार का सम्बन्ध है सरकार ने अपनी नीति तथा सफाई के बारे में काफी कह दिया है।

एक माननीय सदस्या ने—मैं समझता हूं श्रीमती रेणु चक्रवर्त्ती ने—इस सम्बन्ध में लार्ड माउण्टबेटन का उल्लेख किया कि जब यह कठिनाई पैदा हुई थी तो लार्ड माउण्टबेटन ने ही काश्मीर में सेना भेजने के काम में विलम्ब किया या रुकावट डाली। मैं उनको तथा सभा को बताता हूं कि यह बात सही नहीं है। मैं उन कठिनाई पूर्ण दिनों के व्यक्तिगत अनुभव से यह बात कह रहा हूं।

लार्ड माउन्टबेटन ने, जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं—विलम्ब करने के बजाय एक सवैधानिक गवर्नर जनरल की हैसियत से ठीक ठीक काम किया। रक्षा तथा अन्य मामलों में हम प्रायः उनकी सलाह लेते थे क्यों कि वह एक अनुभवी व्यक्ति थे।

मैं एक ऐसी बात बताता हूं जो कि बिल्कुल असंगत नहीं है। विभाजन के बाद जब भारत और पाकिस्तान में गड़बड़ी फैली तो धर्मान्धता की स्थिति तथा उस भयानक स्थिति को रोकने में हमें लार्ड माउण्टबेटन के परामर्श से बहुत सहायता मिली। उस समय हमने एक समिति बना दी थी जिसमें कुछ मंत्री, कुछ विभागों के प्रधान और सेना तथा पुलिस के कुछ प्रमुख अधिकारी थे इनकी बैठक प्रतिदिन प्रातःकाल होती थी और वह समिति सारे भारत में सैनिक संचालन का नियंत्रण करती थी—उसके पास नकशे तथा चार्ट होते थे और वह पता रखती थी कि किस स्थान पर क्या हो रहा है, देश के भीतर स्थिति क्या है, पाकिस्तान की स्थिति क्या है आदि। बड़ी आश्चर्यजनक स्थिति थी। उस समय साधारण सरकार की भांति काम नहीं चलाया जा सकता था अतः हमें युद्ध की स्थिति में काम करना पड़ता था—हर एक काम का निर्णय शीघ्रता से तथा तुरन्त करना पड़ता था ऐसी स्थिति में लार्ड माउण्टबेटन की सहायता से ऐसे कार्य जिनमें कई सप्ताह या महीने लग सकते थे तुरन्त निबटाये जा सके। हमारी बैठक प्रतिदिन प्रातःकाल होती थी और प्रत्येक व्यक्ति को २४ घण्टे बाद बताना पड़ता था कि काम पूरा हो गया है। प्रत्येक व्यक्ति उत्तरदायी था। अतः यह कहना गलत है कि लार्ड माउण्टबेटन ने

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

विलम्ब किया। वास्तव में देर की कोई बात नहीं थी। बड़ी असाधारण स्थिति थी और हमारे विमान बल ने जो उस समय बच्चे के रूप में था, हमें काश्मीर की घटना के ४८ घण्टे बाद हमें सूचना दी। हम बहुत परेशान हो गये कि हमें क्या करना चाहिए। हमें कुछ जानकारी प्राप्त करनी थी अतः हमने कुछ व्यक्ति भेजे वह व्यक्ति जब आ गये तो हम दूसरे दिन सांयकाल को निश्चय कर सके कि हमें क्या करना चाहिए। हमारी प्रतिरक्षा समिति की बैठक कई घण्टे तक हुई क्योंकि यह एक बहुत महत्वपूर्ण मामला था क्योंकि हमारा वहां पहुंचना बहुत कठिन था। मुझे ठीक ठीक ध्यान नहीं, २४, २५ या २६ अक्तूबर, १९४७ को ६ बजे सांयकाल को हम निर्णय कर सके कि काश्मीर को उन आक्रमणकारियों के हाथों से बचाने के लिए, जिन्होने लोगों की हत्यायें की हैं, लूटा है, प्रत्येक खतरा मोल लेना चाहिए। हमने ६ बजे सांयकाल यह निर्णय किया। इसके पूर्व हमें कुछ भी पता नहीं था। पाकिस्तान का यह आरोप गलत है कि इस प्रकार की योजना काफी पहले से तैयार थी। हमारे पास काफी विमान नहीं थे। उस सांयकाल को आने वाले असैनिक एअर लाइन्स के विमानों को हमें रोकना पड़ा और दूसरे दिन प्रातःकाल हम २५० या २६० व्यक्तियों को इन्हीं विमानों द्वारा श्रीनगर के कच्चे विमान क्षेत्र तक पहुंचा पाये। उस समय आक्रमणकारी उससे केवल ७ या ८ मील की दूरी पर थे। यदि ये लोग ३ या ४ घण्टे बाद पहुंचते तो यह विमान क्षेत्र भी आक्रमणकारियों के कब्जे में चला गया होता। यह आश्चर्यजनक कार्य किया गया। ५ बजे सांयकाल को निर्णय कर के दूसरे दिन प्रातःकाल यह लोग विमान से रवाना हो गये तो विलम्ब का प्रश्न कहां उठता है। काश्मीर पर आक्रमण होने के ४८ घण्टे के भीतर हमें खबर मिली और हमने शीघ्र से शीघ्र निर्णय किया अतः निर्णय के बाद विलम्ब का प्रश्न ही नहीं उठता। काश्मीर के बारे में मैं और कुछ नहीं कहूंगा।

हमने साफ साफ बता दिया है कि काश्मीर के मामले में मूल बातें उसका भारत में प्रवेश तथा पाकिस्तान द्वारा उस पर आक्रमण है और इसी आधार पर इस प्रश्न पर विचार किया जायेगा। यह मल सत्य है, विधि और संविधान के अलावा यह बात बहुत ही महत्वपूर्ण है कि काश्मीर में क्या हो रहा है; हमें जम्मू और काश्मीर को भारत का एक अंग एक अभिन्न अंग मान कर इस बात पर विचार नहीं करना है बल्कि उसके अलावा हम लोग वहां की जनता के कल्याण के संबंध में चिन्तित हैं कोई भी पक्षपातपूर्ण या निष्पक्ष पर्यवेक्षक, यदि उसे काश्मीर जा कर युद्ध विराम रेखा के दोनों ओर की जनता को देखने का अवसर मिल, दोनों ओर रहने वाले व्यक्तियों की स्थिति के अन्तर को समझ पायेगा। मेरा विश्वास है कि इस व्यवस्था में यदि कोई गड़बड़ी की गयी तो उसके जो भयंकर परिणाम होंगे वे तो होंगे ही पर उसके अलावा काश्मीर की जनता नष्ट हो जायेगी। यह भी एक महत्वपूर्ण बात है। इसके और भी भयंकर परिणाम होंगे क्यों कि हम देखते हैं कि सारे पाकिस्तान में सरकार के संचालन तथा युद्ध विराम रेखा के उस पार लोगों की क्या स्थिति है। वहां सरकारें बनती हैं, बिगड़ती हैं, लोक-तंत्रात्मक प्रणाली तो समाप्त हो गयी है।

यह भी कहा गया है कि हमने काश्मीर में कुछ ऐसे भी काम किये हैं जो सुरक्षा परिषद् के निर्णय के विरुद्ध हैं। पहले तो मैं प्रायः की जाने वाली इस आलोचना को लेता हूं कि हम ने इस मामले को सुरक्षा परिषद में ले जा कर गलती की। मैं नहीं जानता कि वह ठीक था या गलत पर आज १० वर्ष बाद उस बात को बार बार दोहराने से कोई लाभ नहीं है। यदि यही मुख्य तर्क है तो इससे हमें इस अवस्था में कोई लाभ नहीं है। पर मैं समझता हूं कि मैं ने कोई गलती नहीं की क्यों कि उस समय दूसरा रास्ता हमारे सामने यही था कि पाकिस्तान से युद्ध किया जाय। हम जानबूझ कर पाकिस्तान से युद्ध नहीं करना चाहते यदि हम उसे टाल सकते हैं तो टालेंगे और हमने ऐसा ही किया भी। इसके अलावा भी, यह कोई प्रश्न नहीं है कि हम सुरक्षा परिषद में मामले को ले गये या नहीं ले गये। अन्य लोग भी वहां अपने मामले ले जा सकते हैं। जब तक हम संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य हैं हमें उसके सदस्य की हैसियत

से ही काम करना है। जब तक हम संयुक्त राष्ट्र संघ के अधिकार पत्र (चार्टर) में विश्वास करते हैं हमें उसी ढंग से काम करना पड़ेगा। हम यह नहीं कह सकते कि जब संयुक्त राष्ट्र संघ से हमें नुकसान होगा तो हम कहेंगे कि हम इसे नहीं मानते और जब उसका प्रभाव किसी अन्य पर पड़े तो हम कहें कि हम उसे मानते हैं। यही ऐसी स्थिति नहीं है जिसे हम माने।

हम सुरक्षा परिषद में गये। हम क्यों गये ? हमने संयुक्त राष्ट्र संघ से काश्मीर के भारत में विलय आदि का निर्णय करने के लिए नहीं कहा। एक सच्ची बात थी और हम किसी को इस संबंध में प्राधिकारी नहीं मानते कि वह विलय के बारे में निर्णय करे। हम तो सुरक्षा परिषद के पास इसलिए गये थे कि उससे कहें कि वह पाकिस्तान से कहे कि पाकिस्तान अपनी सेनायें भारत संघ के राज्य क्षेत्र से हटा ले। यही हमारा मुख्य उद्देश्य था।

हमारी आलोचना की जाती है कि हमने सुरक्षा परिषद के संकल्प की अवहेलना की है हमने उनका उल्लंघन किया है पर मैं स्पष्ट बताना चाहता हूं कि काफी अध्ययन करने के बाद भी मैं नहीं समझ पाया कि इस का क्या मतलब है—मैं ने लोगों से कहा भी कि वे मुझे बतायें कि क्या उल्लंघन मैं ने किया है पर किसी ने मुझे नहीं बताया—खास तौर पर २४ जनवरी को पास किया गया संकल्प जो किसी गलतफहमी में पारित किया गया था उसकी स्थिति हमारे प्रतिनिधि द्वारा उनके सामने स्पष्ट कर दी गयी थी। ऐसी भी कुछ गलत फहमी थी कि २६ जनवरी को कुछ होगा। उस दिन जम्मू और काश्मीर की संविधान सभा के भंग होने के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं होने वाला था।

जम्मू तथा काश्मीर राज्य के मिलाये जाने के बारे में बहुत कुछ कहा जाता है। मुझे तो पता नहीं कि "मिलाये जाने" का क्या अर्थ है। खैर इस का अर्थ यह है साथ मिलना—जम्मू तथा काश्मीर राज्य हमारे साथ ९ १/२ वर्ष पहले मिल चुका है। जो चीज आप के साथ पहले से ही है उसे आप बाद में नहीं मिला सकते इस बात का एक और भी पहल है। जो लोग हम पर दोष लगाते हैं वह कभी भी यह नहीं कहते या बात को बिल्कुल भूल जाते हैं कि जम्मू तथा काश्मीर का लगभग आधा क्षेत्र पाकिस्तान ने छीन रखा है। हिन्दुस्तान के वहां रहने पर चाहेकुछ भी हो हमारा विचार है कि हम ठीक ही हैं। किसी ने तनिक भी नहीं कहा कि पाकिस्तान को किस तरह वहां रहने का हक है—वह वहां किस आधार पर कब्जा जमाए हुए है। यह स्पष्ट बात है कि पाकिस्तान को वहां रहने का कोई भी हक नहीं है। और फिर भी नौ साल के समय से उसने उस क्षेत्र पर कब्जा कर रखा है।

इन मामलों के बारे में हमारी स्थिति स्पष्ट है—दसरी समस्याओं के बारे म भी हमने शान्ति-पूर्ण तरीकों का सुझाव दिया है। काश्मीर के बारे में हम कोई और तरीका नहीं अपना सकते—और गोआ के बारे में भी हम उस तरीके को नहीं छोड़ सकते—हां यदि उसका उल्लंघन करें तो दूसरी बात है। यही हमारी शक्ति तथा कमजोरी रही है। मैं इस बात को मानता हूं। आखिर कार एक व्यक्ति दोहरी नीति तो अपना नहीं सकता। हां यदि हम पर आक्रमण किया जाता है तो मामला पृथक है। कुछ मित्र समझते हैं कि यह हमारी कमजोरी है कमजोरी यही थी कि हम शान्तिपूर्ण नीति पर चलते थे—हम भविष्य का भी विचार करते हैं—क्योंकि हमें दुनिया में शान्ति देखने की इच्छा है और पड़ोसी देशों से भी हम शान्तिपूर्ण व्यवहार करना चाहते हैं।

किन्तु आप दुनियां के हालात देखिये। इस दुनिया में लगातार आणविक शस्त्र बनाये जा रहे हैं और उनके प्रयोग केलिये विस्फोट किये जाते हैं और कहीं कहीं पर यकायक झगड़े आरंभ हो जाते हैं, इस प्रकार संसार युद्ध के किनारे खड़ा है। इस तथ्य को कोई नहीं भूल सकता। एक बात और भी याद रखें—हमें संसार के इतिहास में शायद पहली बार एक नयी आकस्मिकता का सामना करना पड़े। पहले जंग हुए हों, पहले चाहे दुनिया म कितने संकट आये हों—चाहेवे किसी देश में हुए या दुनिया

[श्री जवाहरलाल नेहरु]

के एक बड़े भाग में हुए—किन्तु उसके बावजूद भी वहां कुछ न कुछ शेष रहा—कुछ सभ्यता, संस्कृति और वहां की जनता की परम्परायें जीवित रहीं। और युद्ध के समाप्त होने के बाद उन चीजों का फिर से विकास हुआ।

आज हमारे सामने यह स्थिति है कि शायद सर्वनाश ही हो जाये। कुछ भी शेष न रहे। यह पहली बार ऐसी समस्या हमारे सामने आई है। यह सारी समस्या सर्वनाश करने वाले उन हथियारों के कारण सामने आई है जो केवल बाहर से ही बर्बादी नहीं लाते बल्कि उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है—उनमें ऐसे तत्व हैं जो हड्डियों तथा मज्जा में प्रवेश करती है और वह रेडियेशन बहुत खतरनाक है। तुरन्त ही यह बात स्पष्ट नहीं होती—इसमें सप्ताह, महीने तथा वर्ष लगते हैं। इसी बात का हमने सामना करना है। आपकी सब समस्याये तथा वह परिश्रम जो आप उन समस्याओं को सुलझाने के लिये करते हैं—विचारधाराओं के सभी झगड़े इस बात के आगे महत्वहीन हो जाते हैं और यदि किसी तरह हम उस किनारे पहुंच भी गये तब हमारा सभी इतिहास—हमारे सभी अनुभव एकदम समाप्त हो सकते हैं।

मैं इस बात को दोबारा कहता हूं क्योंकि मैं समझता हूं कि लोग इस खतरे को महसूस नहीं करते। वह आणविक बम की बात मजाक में लेते हैं और सभी बातों पर गंभीरता से नहीं सोचते। दुनिया के सामने जो गंभीर संकट है वे लोग इस बात को नहीं समझते। इस संभावना से मुझे मायूसी होती है—मैं समझता हूं इस खतरे को केवल चरित्र के बल पर तथा शान्तिपूर्ण तरीकों से ही रोका जा सकता है। आप एक दूसरे से बोल सकते हैं किन्तु जब आपके दिलों में एक दूसरे से घृणा है तब उन हालात में मैं समझता हूं कि यह झगड़ा कभी भी उठ खड़ा हो सकता है और प्रत्येक को नष्ट कर सकता है।

इसी कारण मैं समझता हूं कि एक दूसरे को कोसते रहने का जो तरीका है यह गलत तरीका है। मैं कोई शिक्षा नहीं दे रहा। किसी को कुछ कहने वाला मैं कौन हूं? मैं यह नहीं कह रहा कि हम लोग इस दृष्टि से कही और लोगों से अच्छे हैं। मैं अपने लोगों के लिये शेखी नहीं बघार रहा। मैं अपने देश-वासियों को चाहता हूं उनसे प्रेम करता हूं मैं उन्हीं में से हूं किन्तु मैं यह नहीं कहता कि वे अधिक अच्छे हैं या ज्यादा आध्यात्मिक हैं या ज्यादा अच्छे चरित्र वाले हैं। मैं इस बात को नहीं मानता। प्रत्येक देश अपनी आध्यात्मिकता तथा नैतिकता रखता है। प्रत्येक देश की किसी समय प्रगति तथा ह्रास हुआ है। हां जो कुछ भारत के पास है मैं उस की सराहना करता हूं मैं समझता हूं कि यह बड़ी ही महत्वपूर्ण चीज है। हो सकता है मैं अपने देश का पक्ष करता हूं। या हम सभी अपने देश का पक्ष करते हों। किन्तु हमें अपने आप को उच्चतर नहीं समझना चाहिये।

मैं नम्रता के साथ यह कहना चाहता हूं कि यह एक दूसरे को कोसने तथा दोष देने का तरीका हिंसा तथा घृणा पर आधारित है जो कि बहुत बुरा है—और यदि इसे रोका नहीं गया तो इससे सर्वनाश हो सकता है।

इस तथ्य को ही लीजिये। इस आपसी दोषारोप के कारण—शस्त्र बनते जा रहे हैं—इसी डर के कारण आणविक आयुधों के प्रयोग किये जा रहे है उनका विस्फोट कर के देखा जा रहा है। कुछ दिन हुए शायद सोवियत रूस में एक आणुबम का विस्फोट हुआ था। शीघ्र ही शान्त महासागर के क्रिसमिस द्वीप में एक और विस्फोट होने वाला है। इन विस्फोटों के बारे में जापान के लोग तथा वहां के संगठन दुखभरी शिकायतें कर रहे हैं। उन्हें उन चीजों का अनुभव है। वे उस बात से बहुत डरते हैं। किन्तु हम इस सम्बन्ध में क्या कर सकते हैं? ऐसे प्रयोगात्मक विस्फोट होते रहें यह बड़ी दुखद बात है—वैज्ञानिकों के मतानुसार भी प्रत्येक विस्फोट से वातावरण विषाक्त होता है और खतरनाक हो जाता है।

यह बात कोई नहीं कह सकता कि वातावरण में उन विस्फोटों के परिणामस्वरूप कितनी जहर फैलती है—किन्तु प्रत्येक वैज्ञानिक जानता है कि जहर अवश्य मौजूद होती है। कुछ लोग तो कहते हैं कि विष उतनी अधिक नहीं जिससे आप मर जायें—यह थोड़ी होती है—किन्तु कुछ लोग कहते हैं कि यह आपको अधिक प्रभावित करेगी। कोई भी व्यक्ति ठीक ठीक नहीं जानता क्यों कि इस समय स्थिति ही ऐसी है। मान लीजिये इस बात में सन्देह की गुंजाइश हो—तो निश्चित रूप से एक पहलू तो इस का है ही—यह मनुष्य की नस्ल के लिये बड़ा खतरनाक है। इस दृष्टि से कि यह प्रयोग अब भी किये जा रहे हैं यह और भी अधिक दुखद मालूम होता है।

ऐसा किस लिये किया जाता है? हम फिर उसी कोसने तथा दोषारोप की बात पर आते हैं। हम फिर उसी बात पर आते हैं कि हम युद्धास्त्रों को इकट्ठा करने—नवीनतम हथियारों को बनाने तथा सैनिक गुटबन्दियों में विश्वास करते हैं। कुछ दिन हुए दक्षिण पूर्व एशिया सन्धि संगठन के बारे में बोलते हुए किसी महाशय ने कहा था कि इस सन्धि से उस क्षेत्र में हजार वर्ष तक शान्ति कायम रहेगी। खैर वह चाहे कितना भी समय था किन्तु उसका अर्थ यह था कि उस समय तक के लिये झगड़ा चलता ही रहेगा। इसके साथ मुझे और एक बात का स्मरण आया। हिटलर ने कहा था कि जर्मनी में नाजी हकूमत एक हजार वर्ष तक कायम रहेगी।

इसलिये एक दूसरे पर आरोप लगाने तथा सैनिक गुटबन्दियों बनाने का जो यह तरीका है यदि यह चलता रहा तो मैं समझता हूं कि यह सर्वनाश की ओर ले जायगा। मैं किसी को नसीहत नहीं करता। किसी देश को मंत्रणा देने वाला मैं कौन हूं। मैं यह जानता हूं कि कई बातें जो हम करना चाहते हैं वह नहीं कर सकते क्यों कि हमें डर है कि हम कमजोर न रह जायें। हम यह खतरा मोल नहीं ले सकते—मैं किसी दूसरे देश से भी यह खतरा मोल लेने को नहीं कह सकता। उसी के साथ यह दोषारोप की जंग तथा शस्त्रों का उत्पादन उससे भी बड़ा खतरा है।

मैं बड़े देशों को जिन पर यह जिम्मेदारी है बड़े अदब से यह सुझाव देता हूं कि दूसरी दिशा में कार्यवाही करने का समय आ गया है—वास्तव में अवसर सदैव ही रहता है। मैं महसूस करता हूं कि एकदम बड़ी बड़ी नीतियों को तो बदला नहीं जा सकता किन्तु ऐसी कार्यवाही की जा सकती है जिससे आप उन संकटों का सामना कर सकें जिसका सामना करने को आप तैयार नहीं हैं। चाहे कदम छोटा ही हो किन्तु यह ठीक दिशा में होना चाहिये और ऐसा कोई कदम न उठाया जाये जिससे आपसी वैमनस्य और बढ़े।

मेरे विचार में—कुछ लोग हमारे द्वारा इन गुटों की आलोचना पसंद नहीं करते। जहां तक हमारा सम्बन्ध है—चाहे वारसा पैक्ट हो, सीटो या बगदाद पैक्ट हो—हम तो यही समझते हैं कि यह सभी खतरनाक हैं और इन से पारस्परिक घृणा बढ़ती ही है। किसी भी तरह से उन में से प्रत्येक यही सोचता है कि चूंकि दूसरा पक्ष हथियार इकट्ठे कर रहा है इसलिये वह क्यों रुके—और सभी यह कहते हैं कि वे आणविक विस्फोट तभी बंद करेंगे जब दूसरे बंद करेंगे। सब यही कहते हैं और बंद कोई नहीं करता और इसी प्रकार उनका कदम उनका काम चलता रहता है।

हाल ही में हम ने देखा है कि काश्मीर के मामले में किस प्रकार सीटो तथा बगदाद सन्धि को लाया गया। आपने देखा कि किस तरह से एक गलत कदम कई गलत कदमों का कारण बनता है। अभी कुछ दिन हुए पाकिस्तान के प्रधान मंत्री ने बगदाद सन्धि के बारे में कहा था—उनकी भाषा बड़ी ही विचित्र थी—मैं तो ऐसा नहीं कह सकता। उन्होंने कहा था कि शून्य में शून्य जोड़ने से परिणाम शून्य ही रहता है। उनका अभिप्राय यह था कि जब तक इस संगठन में इंग्लैण्ड या अमेरिका जैसा बड़ा देश सम्मिलित न हो—तो उसके दूसरे सदस्य देश शस्त्रों की दृष्टि से शन्य के बराबर ही हैं। इसका आशय यह हुआ

[श्री जवाहरलाल नेहरु]

कि इसका दूसरा पहलू भी है। जब एक देश जो अपने आपको शून्य समझता है किसी अंक के साथ मिलता है तब महत्व तो अंक का ही रहता है—शून्य का कोई महत्व नहीं रहता। इस कारण प्रत्येक बात दूसरे पहलू से निर्धारित होती है।

हाल की घटनाओं ने हमें बता दिया है कि चाहे काश्मीर हो या कोई अन्य देश—वहां पर विकास नहीं हो सकता यदि उसका अपना कोई इतिहास न हो। आप किसी देश पर कोई चीज लाद नहीं सकते। इसी प्रकार आप किसी देश की राष्ट्रीय जड़ें नहीं उखाड़ सकते। केन्द्रीय यूरोप में हंगरी में हमने हाल ही में देखा कि १० या ११ वर्षों की हकूमत से भी वहां की राष्ट्रीयता न दब सकी और वहां के लोगों ने डट कर मुकाबला किया। और भी बहुत सी बातें हैं किन्तु मैं तो इस मुख्य तथ्य का वर्णन कर रहा हूं—कि राष्ट्रीयता किसी देश की जड़ों में कितनी गहरी होती है। राष्ट्रीयता चाहे समाजवादी हो जाये या साम्यवादी यह दूसरी बात है। किन्तु राष्ट्रीयता लादी नहीं जा सकती। जिस देश में यह राष्ट्रीयता की जड़ें नहीं हैं वह देश बिना जड़ों के हैं।

अब यह जो सिद्धान्त रखा गया था दो राष्ट्रों का सिद्धान्त—भारत में स्वतंत्रता से पहले रखा गया था और हमारे पड़ोसी देश में अब भी इसकी आवाजें उठती है—यह सिद्धान्त देश को बिना जड़ों के बना देता है। इस सिद्धान्त के कारण देश के वास्तविक जीवन को भुलाना पड़ता है और पृष्ठभूमि के न होने के कारण इस सिद्धान्त से कोई और चीजें लादी जाती हैं—उसका परिणाम यह होता है कि देश में कठिनाइयां होती हैं। मौजूदा इतिहास में ये सब चीज़ें हमदेख सकते हैं। मैंने पास्कितान के लोगों से उनकी कठिनाइयों में सहानुभूति दिखाई है किन्तु उनकी मुख्य कठिनाई यह है कि उन्होंने अपने आपको उखाड़ लिया है—भारत के बारे में नहीं—और उन्होंने दो राष्ट्रों के सिद्धान्त पर हवा में कुछ बनाने की कोशिश की है। उसका परिणाम यह है कि वे नियंत्रण नहीं कर सकते और उन्हें सदैव विदेशी सहायता पर निर्भर करना पड़ता है—क्योंकि वह धर्म के आधार पर राष्ट्रीयता निर्माण करना चाहते हैं। यह मध्ययुग की धारणा है। पुराने समय में यह बात सफल हो सकती थी क्योंकि संचार साधन कम थे और बहुत सी ऐसी बातें होती थीं जो आजकल नहीं हो सकतीं। किन्तु राष्ट्रीय राज्य से धर्म का नाता जोड़ना अवास्तविक है और बार बार कहने पर भी यह बात वास्तविक नहीं हो सकती—और जब काश्मीर से इस बात के जोड़ने का प्रयास किया जाता है यह बिल्कुल अवास्तविक हो जाती है। यह व्यर्थ बात है। काश्मीर में दोहरी राष्ट्रीयता का कोई प्रश्न नहीं है। हमारे मित्र—पाकिस्तान में तथा कुछ दूसरे देशों में—हम से यही बातें करते हैं।

काश्मीर के मामले में हम इन्हीं बुनियादी बातों को नहीं देखते—बल्कि वहां तो आधुनिकता तथा मध्य युगीन विचारधारा का बुनियादी झगड़ा है, प्रगति तथा प्रतिक्रिया का झगड़ा है, काश्मीर की जनता के कल्याण तथा उनकी बर्बादी के बीच टक्कर है। कुछ समय पूर्व पाकिस्तान के प्रधान मंत्री ने कहा था कि वह दो राष्ट्रों के सिद्धान्त को नहीं मानते। मुझे उसे पढ़ कर प्रसन्नता हुई थी क्योंकि मैं समझता था कि उससे अन्य लाभ होंगे। मुझे अब भी आशा है किन्तु दुर्भाग्य से नई दिशा में कदम रखना उसके लिये भी आसान नहीं है। शायद यह बात आहिस्ता आहिस्ता हो। इसी दो राष्ट्रों के सिद्धान्त के परिणामस्वरूप पूर्वी पास्कितान से इतने लोग बाहर निकाले गये हैं। जब तक यह सिद्धान्त रहेगा तब तक—चाहे दूसरे लोग बाहर निकाले जायें या न—उन लोगों म वास्तविक संतोष नहीं हो सकता जो इस प्रकार कम दर्जे के हो गये हैं।

यदि मैंने आलोचनाओं का उत्तर न दिया हो--सभा मुझे क्षमा करे। हम समय समय पर उन आलोचनाओं का उत्तर देते रहते हैं और भविष्य में भी देंगे। मैं केवल एक दो वक्तव्यों में जो दिये जा चुके हैं शुद्धि करूंगा। मैं समझता हूं कि कुछ विरोधी सदस्यों ने कहा कि कांग्रेस दल को उद्योगपतियों ने बड़ी रकमें चन्दे में दी। उन्होंने कहा कि २५ लाख, ५० लाख तथा करोड़ों रुपये दिये गये। मुझे तो पता नहीं कि वे रकमें हैं कहां। मुझे यह पता है कि औद्योगिक नेताओं ने राजनैतिक दल को चन्दे दिये और हमने उन्हें स्वीकार किया। किन्तु जो आंकड़े हमें बताये गये हैं उनके बारे मे मुझे कोई पता नहीं है। ये रकमें कोई एक जगह तो रखी नहीं गईं। मैं आपको यह भी बता देना चाहता हूं कि भारत में जो कुछ हुआ है उस के बारे में तथ्य है कि स्थानों की संख्या देखते हुये कांग्रेस ने प्रत्येक स्थान पर चुनाव लड़ने के लिये अन्य दलों की तुलना में कम व्यय किया है ।

†**श्री कामत** (होशंगाबाद) : टाटा ने १५ या २० लाख रुपये दिये हैं।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैं आपको अपनी जानकारी दे रहा हूं। मैं गलत हो सकता हूं। किन्तु आपको याद रखना चाहिये कि समवाय के हिसाब किताब में यह रकम होनी चाहिये--उसे छिपाया नहीं जा सकता। मैं ईमानदारी से बताता हूं कि मुझे कुछ नहीं पता--यदि मैं जानता तो बता देता। मुझे साधारण सा पता है क्योंकि समय समय पर मुझे जानकारी मिलती रहती थी ।

†**श्री कामत** : क्या प्रधान मंत्री को पता है कि टाटा कम्पनी वालों ने २० लाख रुपये का चन्दा दिया है। यह बात किसी से छिपी नहीं है।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : यह बात किसी से छिपी नहीं है। आप ने टाटा का उल्लेख किया यह बात उनके हिसाब में आजायगी और इस बात में कोई भेद नहीं है। किन्तु यदि कोई ऐसी प्रक्रिया अपना ली जाये कि दलों की सारी रकमें बाद में बता दी जाया करें तो यह अधिक अच्छा होगा ।

†**श्री कामत** : हमें मंजूर है।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : एक और छोटा सा मामला है। श्री साधन चन्द्र गुप्त ने कहा कि लेडी माउंट बैटिन की सिफारिश से एक ब्रिटिश ने नागा पहाड़ियों का दौरा किया। यह कहा गया कि प्रधान मंत्री ने उसकी सिफारिश की। मैंने इस बात की जांच की--मुझे इसके सम्बन्ध में कुछ पता नहीं था। बाद में मुझे यह जानकारी मिली कि नागा पहाड़ियों में कोई अंग्रेज नहीं गया था और बेचारी लेडी माउंट बैटिन का उस मामले से कोई सम्बन्ध नहीं था। कुछ वर्ष पहले एक मामला हुआ था जिसका नागा पहाड़ियों या माउंट बैटिन से कोई सम्बन्ध नहीं था। कुछ वनस्पति शास्त्रवेत्ता यहां आये थे और आसाम में गये थे। उनका सामान्य व्यवहार हमें पसंद नहीं आया--हमने उन्हें यह बात बता दी। हो सकता है कि इस घटना को इस से मिला दिया गया हो। यह बात अलग थी। कई बार विदेशियों को हमने यहां से चले जाने को भी कहा है ।

मैं सभा से क्षमा मांगता हूं क्योंकि मैं आलोचनाओं का उत्तर नहीं दे सका हूं और सामान्य बातें मैंने कही हैं। किन्तु राष्ट्रपति के अभिभाषण पर विचार करते समय हमें इन्हीं बातों का ध्यान रखना पड़ता है और इसी कारण मैं ने इस ढंग से बातें कहीं हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : अब मैं सभा में संशोधनों पर मत लूंगा। मैं समझता हूं कि संशोधन संख्या १ के बारे में आग्रह नहीं किया जा रहा ।

संशोधन सभा की अनुमति से वापस लिया गया ।

---

†मूल अंग्रेजी में

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या २ सभा में मतदान के लिए रखा गया संशोधन के पक्ष में १७ तथा विरोध में १७२ मत पड़े। संशोधन अस्वीकृत हुआ।

†**अध्यक्ष महोदय** : संशोधन संख्या ९, १० तथा ११ प्रस्तुत नहीं किये गये। संशोधन संख्या ३, ४, ५, ६, ७ और ८ वापस लिये जा रहे हैं।

संशोधन सभा की अनुमति से वापस लिये गये

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या १२ सभा में मतदान के लिये रखा गया। संशोधन के पक्ष में १८ तथा विरोध में १६८ मत पड़े। संशोधन अस्वीकृत हुआ।

†**अध्यक्ष महोदय** : संशोधन संख्या १३ संशोधन संख्या २ के अन्तर्गत आ जाता है।

संशोधन संख्या १४ और १६ सभा की अनुमति से वापस लिये गये।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि इस सत्र में समवेत लोक-सभा के सदस्य राष्ट्रपति के उस अभिभाषण के लिये जो कि उन्होंने १८ मार्च, १९५७ को समवेत संसद् के दोनों सदनों के समक्ष देने की कृपा की है अत्यन्त आभारी है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

---

*अनुदानों की अनपूरक मांगें (रेलवें)

†**अध्यक्ष महोदय** : अनुदानों की निम्न अनुपूरक मांगें प्रस्तुत की गई हैं। इन के लिये एक घंटा निश्चित हुआ है। प्रत्येक सदस्य को १० मिनट का समय मिलेगा—

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
२	विविध व्यय	१,००० रुपये
३	चालू लाइनों तथा अन्य लाइनों के लिये भुगतान . .	१०,३८,००० रुपये
९	साधारण संचालन व्यय-विविध व्यय . . .	६३,३८,००० रुपये
२०	विकास निधि में विनियोग	३,९५,६३,००० रुपये

†**श्री नम्बियार** (मयूरम) : मैं मांग संख्या ९ के बारे में कहूंगा जो कि दुर्घटना ग्रस्त लोगों को मुआवजा आदि देने के बारे में है। इस सम्बन्ध में मैं अरियालूर दुर्घटना के बारे में कहना चाहता हूं। इस मामले में न्यायाधीश श्री एच० के० बोस ने जांच की। जांच केवल दोष जानने के लिये थी। हानि का अनुमान नहीं लगाया गया। इसलिये जो सरकारी अनुमान है उसी पर हम भरोसा करना है। सरकार के अनुसार १५४ व्यक्ति मरे और ७० व्यक्ति पहिचाने नहीं गये। इसलिये उन लोगों के परिवारों को प्रतिकर देने के प्रश्न का निश्चय नहीं हुआ।

---

*राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत की गईं।

उस समय पानी के बहाव में बहुत सी लाशें तो दूर बह गईं उनका कोई पता न चला। बहुत सी लाशें नीचे दबी रहीं उनका पता भी न लगा। एक पूरे डिब्बे को तो पेट्रोल गिरने से आग लग गई थी। उस समय मैंने वहां जाने की कोशिश की किन्तु मुझे रोक दिया गया। उसके बाद मैं डालमियापुरम गया—वहां से मैं एक मोटरकोच में चढ़ा—किन्तु ज्योंही रेलवे पदाधिकारियों को इस बात का पता चला वह गाड़ी रोक दी गई। इसके बाद मैं जीप में तथा पैदल वहां पहुंचा। उस समय वहां पर मिट्टी डाली जा रही थी। लोगों ने बताया कि अभी लाशें दबी हुई हैं। इस प्रकार गाड़ियां उन लाशों पर से गुजरती है। यह संख्या गलत है।

हमने इस मामले को जांच आयोग के सामने उठाया किन्तु उन्होंने इन्कार किया और कहा कि यह मामला जांच की व्याप्ति से बाहर है। जान और माल की कुल हानि का अनुमान नहीं लगाया जा सका। उस जानकारी को दबा दिया गया। लोग अब भी यही समझते हैं। हमें मृत लोगों के परिवारों से न्याय करना चाहिये—उन्हें कुछ न कुछ तो मुआवजा दिया जाये।

मुआवजा शीघ्रातिशीघ्र देने के प्रश्न पर मैं यह चाहता हूं कि सरकार इस काम में रुकावट पैदा न करे।

मैं सरकार से प्रार्थना करता हूं कि इस दुर्घटना के वास्तविक कारणों का पता लगाया जाये। जांच आयोग ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है। जिसे सरकार ने स्वीकार कर लिया है। पता नहीं सरकार कहां तक उसे क्रियान्वित करेगी। जांच आयोग ने रेलवे के इंजीनियरों की आलोचना की है—उनकी भी जिम्मेदारी है—केवल वर्षा ही उसके लिये उत्तरदायी नहीं है। पदाधिकारियों के बारे में न्यायाधीश ने बड़ी आलोचना की है। सरकार को उन अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करनी चाहिये—उन्हें दण्ड दिया जाना चाहिये। रेलवे अधिनियम की धारा १०१ के अधीन रेलवे के अफसरों पर अपने कर्तव्य पालन में कोताई करने के अपराध पर अभियोग चलाया जा सकता है। यदि कोई छोटा कर्मचारी गलती करता है उस पर तुरन्त मुकदमा चलाया जाता है। डिवीजनल इंजीनीयर ने भी परवा नहीं की? लाइन निरीक्षक की भी गलती है। किन्तु उन पर अभियोग नहीं चलाया गया है? यदि इसी प्रकार का काम चला तो ऐसी बहुत सी दुर्घटनायें होंगी और उनकी जिम्मेदारी रेलवे मंत्रालय पर होगी।

हमें पुरानी बातें दोहरानी नहीं चाहियें। हमें यह देखना चाहिये कि यात्रियों के लिये सुरक्षित यात्रा की व्यवस्था किन तरीकों से हो सकती है। मैं माननीय मंत्री से सविनय प्रार्थना करता हूं कि वह अपराधी पदाधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करें।

†**श्री रामचन्द्र रेड्डी** (नेल्लोर): मैं अनुपूरक मांग संख्या २ के बारे में कुछ शब्द कहना चाहता हूं। सभा में कई बार आन्ध्र प्रदेश में मीटर गेज को ब्राड-गेज में परिवर्तित करने अथवा दोहरा बनाने का सवक्षण करने के लिये कहा गया है। मैं विशेषतः बेजवाड़ा—मंसुलीपटम लाइन को परिवर्तित करने के प्रस्ताव पर कुछ कहना चाहता हूं सभा में काज़ीपेट—नागार्जुनसागर लाइन के बारे में भी कहा गया। मेरे विचार से सभा में इन दोनों लाइनों का सर्वेक्षण करने के लिये आश्वासन दिये गये हैं। परन्तु अभी तक यह नहीं बताया गया कि इस बारे में क्या किया गया। मैं जानना चाहता हूं कि इस बारे में क्या किया गया है क्योंकि इन दोनों लाइनों का मांग में कोई जिक्र नहीं है।

इसके अतिरिक्त मैं रेनीगुंटा से तिसपती तक ब्राड गेज को बढ़ाने के बारे में कुछ कहना चाहता हूं मेरे विचार से इस लाइन को बढ़ाने से मद्रास और बम्बई के बीच कम समय में आया जाया जा सकेगा। मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय यह बतायें कि इन प्रश्नों पर कहां तक विचार किया गया है तथा इन पर कितना धन व्यय करने का विचार है।

---

†मूल अंग्रेजी में।

†श्री व० स० मूर्ति (एलुरु) : मैं कोय्यापल्ली तथा काकिनाडा लाइन, जो युद्ध-काल में हटा दी गई थी के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। काकिनाडा, ज़िले का मुख्य कार्यालय है तथा बन्दरगाह है जिसका सम्बन्ध विश्व के अन्य बन्दरगाहों से है। इसीलिये यहां यातायात का बहुत आधिक्य है। मैं नहीं जानता कि इस प्रश्न पर विचार क्यों नहीं किया गया। मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री इस पर विचार करेंगे तथा यह लाइन शीघ्र बना दी जायेगी।

निदादावोलु से नरसपुर तक गाड़ियों का चलना बड़ा असंतोषजनक है। ४१ मील जाने में पांच घंटे लगते हैं जिससे जनता को बड़ी कठिनाई होती है। मेरा श्री रामचन्द्र रेड्डी के समान ही यह विचार है कि संचार के बारे में आन्ध्र पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। इसलिये मेरा विचार है कि रेलवे मंत्री को आन्ध्र पर कुछ अधिक ध्यान देना चाहिये जिससे द्वितीय योजना काल में आन्ध्र में रेलवे संचार लगभग दुगना हो जाये।

†श्री दी० चं० शर्मा (होशियारपुर) : कुछ भूतपूर्व रेलवे मंत्री तथा इंजीनियरों को अरियालूर दुर्घटना के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि उन्होंने अपने पद से नैतिकता के कारण ही त्यागपत्र दिया। श्री पांडे अपने पद से इसलिए अलग हुए क्योंकि उनका सेवा काल ही समाप्त हो गया था। मेरा विचार है कि उन्होंने कार्य बड़ी पटुता से किया था। हमें मंत्रियों तथा सरकारी कर्मचारियों की सराहना उनके काम के लिए अवश्य करनी चाहिए।

यह कहा गया कि भारत के कुछ भाग पर रेलवे मंत्रालय ने उतना ध्यान नहीं दिया है जितना उसको देना चाहिए था। मैं प्रादेशिक मामले के बारे में न उलझ कर केवल इतना कहना चाहता हूं कि इस मांग में उत्तर रेलवे पर उतना ध्यान नहीं दिया गया जितना दिया जाना चाहिए था। मैं उन से नांगल तक ९ मील लम्बी लाइन बनाने के लिए सभा में कई बार कह चुका हूं परन्तु उसका सेर्वक्षण करने के लिए भी कुछ नहीं कहा गया है। साथ ही साथ कुछ लाइनों का दोहरा बनाया जाना भी आवश्यक है। परन्तु मैं देखता हूं कि इस मामले में केवल कुछ प्रदेशों पर ही ध्यान दिया गया है। इसलिए मेरा निवेदन है कि लाइनें बढ़ाने आदि का काम अन्य क्षेत्रों में ही होना चाहिए। मुझे आशा है कि कोई ऐसा तरीका अपनाया जायेगा जिससे केन्द्रीय सरकार अतिरिक्त राजस्व इन रेलों को दे सकें।

मुझे यह जान कर आश्चर्य हुआ कि देश में अब भी कुछ ब्रान्च लाइनें हैं तथा इनके स्वामियों को अब भी धन दिया जाता है। मैं समझता था कि सभी रेलें केन्द्रीय सरकार की हो गई हैं। मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि यथासंभव शीघ्र इस प्रकार की बातें समाप्त हो जानी चाहिए।

जहां तक भविष्य निधि और उपदान का सम्बन्ध है, मैं समझता हूं कि यह मांग बहुत उत्तम है। मुझे आशा है कि जिन लोगों को अभी तक ठुकरा दिया गया था वह सभी इस से लाभ उठा सकेंगे।

मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि विकास निधि का किस प्रकार उपयोग किया जा रहा है। आय-व्ययक का विनियोग करते समय इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया गया। मैं मंत्री महोदय से यह भी कहना चाहता हूं कि रेलवे दुर्घटनाग्रस्त सभी व्यक्तियों से उदारतापूर्वक व्यवहार करना चाहिये।

श्री मो० दि० जोशी (रत्नगिरि--दक्षिण) : मेरे मित्र ने आन्ध्र की उपेक्षा करने के बारे में कुछ कहा। परन्तु मेरा विचार है कि मेरा प्रदेश अर्थात् कोलाबा और रत्नगिरि ज़िले भी बहुत उपेक्षित हैं। बम्बई से मंगलौर तक कोई आपकी रेलवे लाइन नहीं है। मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री इसकी आवश्यकता समझेंगे तथा वहां का दौरा करके वहां की संचार अवस्था का अध्ययन करेंगे।

मूल अंग्रज़ी में।

अनुदान की मांगों के पृष्ठ ७ पर दिया है कि दीवा-दासगांव इंजीनियरिंग सर्वेक्षण की अनुमानित लागत १९७,००० रुपये थी। १९५६–५७ में ९,००० रुपये की व्यवस्था की गई थी तथा १९५७–५८ में केवल २००० रुपये की व्यवस्था की गई है। मैं समझा नहीं क्योंकि यदि सर्वेक्षण पूरा हो चुका है तो उसकी ज़रूरत नहीं है और यदि पूरा नहीं हुआ है तो अधिक व्यवस्था होनी चाहिए थी। मैं इसकी सही स्थिति जानना चाहता हूं। क्योंकि इसके बारे में बड़ा आन्दोलन हुआ था।

पृष्ठ ९ पर दासगांव-रत्नागिरि-मंगलौर विमानीय सर्वेक्षण के लिए २००,००० रुपये का प्राक्कलन १९५६–५७ के लिए किया गया था परन्तु १९५७–५८ के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है। मैंने यह सुना है कि विमानीय सर्वेक्षण पूरा हो चुका है तथा बम्बई-मंगलौर लाइन पर निर्णय होना शेष है। मैं माननीय मंत्री से ज़ोरदार शब्दों में कहना चाहता हूं कि इसमें और अधिक विलम्ब नहीं होना चाहिए।

अन्त में, मैं भूतपूर्व रेलवे मंत्री, श्री लाल बहादुर शास्त्री को अपने निर्वाचन क्षेत्र की जनता की ओर से धन्यवाद देता हूं कि वह मेरे ज़िले में गये तथा वहां की दशा देखी।

पंडित ठाकुरदास भार्गव (गुड़गांव) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज जब कि आनरेबिल मिनिस्टर (माननीय मंत्री) के सामने रेलवे के मुताल्लिक बहुत सी तजावीज़ पेश हो रही हैं तो मुझे एक पुराना वाकया (घटना) याद आता है। जब मैं सन् १९२७ से १९३० तक सेंट्रल असेम्बली का मेम्बर था तो मेरी दरख्वास्त पर मेरे इलाके के लिए एक सर्वे (सर्वेक्षण) मंजूर हुई थी और उसके ऊपर तीन लाख रुपया भी खर्च हुआ था। यह सर्वे भिवानी से रोहतक तक रेलवे लाइन बनाने के लिए की गयी थी। लेकिन न मालूम कि इतने अर्से के बाद अब उस सर्वे का क्या बना। इसलिए मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि कम से कम उसके कागजात को निकलवाकर देखा जाये कि वह स्कीम मैरिट्स पर कहां तक जस्टीफायेबिल (उचित) है।

दूसरी बात मैं यह याद दिलाना चाहता हूं कि दो तीन बरस हुए मैं ने गुड़गांव के इलाके के लिए अर्ज किया था कि गुड़गांव से लेकर जो कि यहां से १६ मील है, अलवर तक कोई रेलवे लाइन नहीं है। नूह और फीरोजपुर झिरका तहसीलों के हैडक्वार्टर्स में जो इसी इलाके में पड़ते हैं कोई रेलवे लाइन नहीं है। उस वक्त यह फरमाया गया था कि सैकिंड फाइव इअर प्लान (द्वितीय पंचवर्षीय योजना) में हम इस तजवीज़ को देखेंगे। इस बारे में मेरे पास रेलवे मिनिस्टर साहब की दस्तखती चिट्ठी मौजूद है। उस वक्त हाउस में यह सिस्टम जारी किया गया था कि जिसको अपने इलाके की कोई बात कहनी हो वह मिनिस्टर साहब को लिखकर भेज दे। चुनांचे मैं ने जो खरीता (आवेदन पत्र) भेजा था उसका जवाब मेरे पास पहुंचा था कि हम सैकिंड फाइव इअर प्लान में गुड़गांव की दिक्कत को देखेंगे। लेकिन उस तहरीर के बाद उसमें क्या प्रोग्रेस (प्रगति) हुई मुझे मालूम नहीं। मैं चाहता हूं कि उसकी तरफ तवज्जह की जाये। सिर्फ यही मामला नहीं है। अगर सिर्फ यही बात होती तो मैं शायद इसके बारे में इस मौके पर जिक्र न भी करता। लेकिन अब जिस इलाके में भाखरा डाम का पानी पहुंच रहा है यानि इलाका ज़िला हिसार उसके सिलसिले में यहां बतलाया गया था कि वहां पर मंडियां और रेलें बनेंगी। मंडियां तो वहां बननी शुरू हो गयी हैं पर अभी तक रेलवे का सर्वे जारी नहीं हुआ है। इस इलाके में कोई सफर का इन्तिजाम नहीं है। भाखरा डाम बनने से इस इलाके की शक्ल बहुत तबदील हो गयी है और अब वक्त आ गया है कि वहां पर रेलवे लाइन के लिए सर्वे जल्द किया जाये। और इस इलाके में रेलवे होने से सिर्फ वहां वालों का ही फायदा नहीं होगा बल्कि सारे मुल्क का फायदा होगा। हमको बतलाया गया है कि

[पंडित ठाकुरदास भार्गव]

भाखरा डाम बनने से इस इलाके में गल्ले की बहुत पैदावार होगी और बहुत रुई होगी। अगर वहां पर रेलवे नहीं होगी तो इन चीजों का सारे हिन्दुस्तान को कैसे फायदा पहुंच सकेगा।

कांस्टीट्यूशन (संविधान) की दफा १४ सिर्फ इक्वालिटी बिफोर ला (विधि के समक्ष समानता) के लिए ही नहीं है बल्कि उसका मतलब यह भी है कि बैकवर्ड (पिछड़े) इलाकों को वे सारी एमेनिटीज़ (सुविधायें) मिलनी चाहिएं जो कि बाकी के फारचुनेट इलाकों को मिल रही हैं।

इन बातों के बारे में मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूं। लेकिन अगर आप चाहें कि मैं पंजाब गवर्नमेंट को सेंक्शन आपको लादूं कि हरियाना के इलाके की तरफ तवज्जह दी जाये, तो यह मेरे लिये मुमकिन नहीं है इसी तरह जिस तरह कि मेरे लिए बैल का दूध लाना मुमकिन नहीं है। मैं अदब से अर्ज करता हूं कि अगर आप इन चीजों को जस्टीफायेबिल समझते हैं तो इनकी तरफ तवज्जह फरमावें। मैं ने आपके सामने ये तीन चार तजवीजें रखी हैं इनकी तरफ तवज्जह दी जाये। मैं यहां पर ब्राडगेज का जिक्र नहीं करना चाहता। अगर इस इलाके में ब्राडगेज होता तो यहां की शक्ल ही दूसरी होती। हम पसमान्दा लोग ऐसे बदकिस्मत हैं कि हमारी तरफ़ नज़रे-इनायत नहीं की जाती है। मैं तो यह कहूंगा कि ब्राडगेज की स्कीम को आप चाहे पीछे डाल दें, लेकिन इन दो तीन बातों की तरफ जो कि बहुत ज़रूरी हैं और जिन के बारे में बहुत देर से डिमांड की जा रही है, फ़ौरन ध्यान दिया जाय और इस बैकवर्ड इलाके की इन ज़रूरियात को पूरा किया जाये। कम से कम सैंट्रल गवर्नमेंट से तो यह शिकायत न हो कि चूंकि यह एक बैकवर्ड इलाका है, इसीलिए उस की तरफ़ तवज्जह नहीं दी जाती है। दुनिया को तो आप डबल लाइन और न जाने क्या कुछ दैने जा रहे हैं। इस इलाके में तो पचासों मील तक रेलवे लाइन का नामो-निशान नहीं है। मुझे उम्मीद है कि अब इस बैकवर्ड इलाके की तरफ कुछ नज़रे-इनायत की जायेगी।

† **रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री जगजीवन राम)** : श्रीमान्, रेलवे के इतिहास में अरियालूर बड़ी ही भयंकर घटना है परन्तु माननीय सदस्यों ने जो कुछ कहा उसमें कुछ अतिशयोक्ति भी है। मेरे से पहले मंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री ने इस दुर्घटना के कारण त्यागपत्र देकर बड़ा उत्तम आदर्श प्रस्तुत किया है। व्यक्तिगत रूप में मेरा विचार है कि वह इस दुर्घटना के लिए जिम्मेदार नहीं थे। किसी भी व्यक्ति के निधन का सभी को शोक होता है और इसी कारण केवल दक्षिण में नहीं वरन् समस्त देश में इस पर शोक प्रकट किया गया।

मैं इस बारे में कुछ कहना नहीं चाहता था परन्तु कुछ सदस्य सर्वदा अतिशयोक्ति करने के लिए उत्सुक रहते हैं। अरियालूर दुर्घटना के तथ्यों को भुला देना उचित नहीं है। अरियालूर दुर्घटना जांच समिति ने इस दुर्घटना की जांच की। प्रतिवेदन हमें मिल चुका है। सरकार इस पर विचार कर रही है तथा मैं माननीय सदस्यों को आश्वासन देता हूं कि जो भी कोई व्यक्ति अपने कर्त्तव्य पालन में उपेक्षा करता पाया गया होगा उसके साथ उपयुक्त कार्यवाही की जायेगी। मैं उन्हें एक बार फिर आश्वासन देना चाहता हूं कि मैं किसी भी पदाधिकारी को जिसको कर्त्तव्य-पालन में उपेक्षा करता पाऊंगा, कभी भी नहीं छोड़ूंगा। इसलिए हमें पूर्वधारणायें नहीं बना लेनी चाहिएं। हम इस आधार पर विचार करना प्रारम्भ करते हैं कि जिनके विरुद्ध आरोप लगाये जा रहे हैं वह निर्दोष हैं जब तक उसका दोष सिद्ध नहीं हो जाता है। रेलवे में बड़े उत्तम कर्मचारी तथा पदाधिकारी हैं। यदि इतनी सावधानी बर्तने पर भी कोई दुर्घटना होती है तो यही कहा जा सकता है कि क्या किया जाये। बस केवल इतना किया जा सकता है कि इसका पता लगाया जाये कि उस व्यक्ति ने ईमानदारी से अपना कर्त्तव्य पूरा किया अथवा नहीं। इसलिए मेरा

†मूल अंग्रेजी में।

यही कहना है कि जांच आयोग का प्रतिवेदन मिल चुका है तथा सरकार उस पर विचार कर रही है तथा जांच आयोग की सिफारिशों पर उपयुक्त कार्यवाही की जायेगी ।

संसद् के गत सत्र में श्री कामत ने एक इश्तहार पढ़ा था जिसको दक्षिण के जिला बोर्ड के किसी सदस्य ने प्रकाशित कराया था । मैं उन्हें तथा सभा को विश्वास दिलाता हूं कि मैं उस पर और आगे विचार कर रहा हूं तथा उस मामले में भी उचित कार्यवाही की जायेगी ।

मैं यह फिर दोहराता हूं कि शवों को जलाना तथा उनको बुलडोजरों से जमीन में दबा देना आदि बातें सभी एकदम गलत हैं । मैं इसकी जांच कर रहा हूं तथा इस मामले में उपयुक्त कार्यवाही की जायेगी ।

प्रतिकर के बारे में, मैं यह कहना चाहता हूं कि जीवन समाप्त हो जाने के पश्चात् उसको पुनर्जीवित करना बड़ा कठिन है । इसके लिये कोई भी धनराशि पर्याप्त नहीं होगी । मैं यह बता देना चाहता हूं कि इन प्रतिकरों का निबटारा रेलवे नहीं करती है । प्रतिकरों का निबटारा करने का कार्य दावा आयुक्त करते हैं तथा जो भी धनराशि देने को कहा जाता है, हम वह दे देते हैं ।

मैं श्री नम्बियार को आश्वासन देता हूं कि मैं ऐसे आदेश जारी करूंगा कि रेलवे प्रविधिक आधार पर कोई आपत्ति न उठाये । दावा आयुक्तों द्वारा स्वीकार की गई धनराशि को बढ़ाने की मैं जांच करूंगा । मैं दुबारा यह बता देना चाहता हूं कि जीवन के एवज में कोई भी प्रतिकर पर्याप्त नहीं होता है ।

कुछ माननीय सदस्यों ने पिछड़े क्षेत्रों के बारे में कुछ कहा । मैं इसके विरोध में कुछ कहना नहीं चाहता हूं । यदि श्री जोशी पिछड़े वर्ग में रहने से प्रसन्न हैं तो मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है । हमारे देश में ऐसे कितने ही क्षेत्र हैं जहां नई रेलवे लाइन खोलने की आवश्यकता है तथा जो भी सुविधायें रेलवे दे सकती है उसकी व्यवस्था करने की आवश्यकता है । परन्तु सभा जानती है कि द्वितीय योजना काल में हम ने ८३४ मील नवीन रेलवे लाइनें बनाने की व्यवस्था की है । सभा को यह नहीं भूलना चाहिए कि हमें उन स्थानों को तथा क्षेत्रों को प्राथमिकता देनी है जहां से कच्ची सामग्री जैसे कोयला, लोहा और इस्पात लाना है । इसके पश्चात् ही हम उन क्षेत्रों पर विचार करेंगे जहां यातायात अधिक है तथा वह नये क्षेत्र इसके बाद आते हैं जहां आवश्यकता अधिक है । जैसा मैं कह चुका हूं कि इस समय लोहा और इस्पात, सीमेंट, तथा इसी प्रकार की अन्य सामग्री की बहुत कमी है । नई लाइनों को खोलने में इसका भी पर्याप्त असर पड़ता है । परन्तु मैं उन माननीय सदस्यों को आश्वासन देता हूं जिन्होंने अपने क्षेत्र का पक्ष प्रस्तुत किया है कि विभिन्न लाइनों को खोलने, बढ़ाने तथा दोहरा करने पर रेलवे बोर्ड विचार करेगी ।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

सरकार उपलब्ध धन को ध्यान में रखते हुए सभी प्रकार की रेलवे सुविधायें देने के प्रयत्न करेगी ।

संभवतया श्री शर्मा को रेलवे की पूरी जानकारी नहीं है क्योंकि उन्होंने प्रादेशिक आधार पर निधि आवण्टन का प्रस्ताव रखा है । संभवतया वह यह भूल जाते हैं कि रेलवे एकीकृत हो कर ही कार्य कर सकती है क्योंकि एक स्थान पर रुकावट आ जाने पर उसका असर अन्य स्थानों पर भी पड़ेगा । हम जब लाइनों को दोहरा करने अथवा यार्ड को बढ़ाने पर विचार

[श्री जगजीवन राम]

करेंगे तब हम समस्त रेलवे पर विचार करना होगा यद्यपि इतनी खंडीय रेलवे हैं। हम निधि का आवण्टन उन स्थानों के लिए करते हैं जहां निधि लगाने से समस्त देश का हित होता होगा ।

देश में अब भी कई गैर-सरकारी ब्रान्च लाइनें है तथा हम ने उन को अपने नियंत्रण में न लेने का निर्णय किया है क्योंकि हम इन पुरानी रेलों पर अपने संसाधन व्यय करना नहीं चाहते है। यह बहुत सी ब्रान्च लाइनें, बेरो गेज की हैं तथा उन स्थानों पर बड़ा अच्छा काम हो रहा हैं। परन्तु ज्यूं ही उनको हम अपने कब्ज़ में कर लगे उनमें परिवर्तन करने पड़गे क्योंकि फिर उनको भारतीय रेलों के समान चलाया जायेगा। इसलिए इस समय हमने इन रेलों पर कब्ज़ा न करने का निर्णय किया है। मैं श्री शर्मा को बता देना चाहता हूं कि रेलवे, सरकार का कब्ज़ा कराने को उत्सुक है। हम इनको इसीलिए लेना नहीं चाहते हैं क्योंकि हम धन को उत्तम रूप से व्यय करना चाहते हैं। मेरा विचार है कि नई लाइनों को बनाने से राष्ट्र का अधिक व्यय होगा, बजाये इसके कि पुरानी लाइनों पर कब्ज़ा कर के धन व्यय किया जाये ।

मुझे इस से अधिक और कुछ नहीं कहना है। मैं माननीय सदस्यों को पुनः आश्वासन देता हूं कि जिन क्षेत्रों के बारे में यहां कहा गया है अथवा उन क्षेत्रों के बारे में जिन का जिक्र यहां नहीं हुआ है उस सभी पर निधि की प्राप्यता के आधार पर काम किया जायेगा।

† **उपाध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि कार्य सूची के तीसरे स्तम्भ में दिखाई गई राशियों से अनधिक राशियां, राष्ट्रपति को, निम्नलिखित मांगों के सम्बन्ध में, जो दूसरे स्तम्भ में दिखाई गई हैं, उन भारों के लिए दी जायें जिनका भुगतान ३१ मार्च १९५७ को समाप्त होने वाले वर्ष में किया जायेगा ।

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
२	विविध व्यय	१,००० रुपये
३	चालू लाइनों तथा अन्य लाइनों के लिए भुगतान .	१०,३८,००० रुपये
९	साधारण संचालन व्यय विविध व्यय . .	६३,३८,००० रुपये
२०	निधि विकास में विनियोग . . .	३,९५,६३,००० रुपये

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

* अनुदानों की अनुपूरक मांगें, १९५६–५७
तथा
* अनुदानों की अतिरिक्त मांगें, १९५२-५३

† **उपाध्यक्ष महोदय :** इन मांगों के लिए तीन घंटे हैं। इन दोनों के लिए कितना समय निर्धारित करना चाहिए दो घंटे अथवा २½ घंटे या ½ घंटा ।

†मूल अंग्रेजी में ।

*राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत की गई ।

† **रेलवे तथा परिवहन मंत्री (जगजीवन राम)** : इसमें तीन घंटे नहीं लगने चाहिएं।

† **उपाध्यक्ष महोदय** : यदि इस से शीघ्र समाप्त हो गया तो ठीक है।

१९५७ के लिए अनुदानों की ये अनुपूरक मांगें प्रस्तुत की गईं :

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
१	वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय . . .	२,८१,००० रुपये
१२	प्रतिरक्षा सेवायें—क्रियाकारी-सेना . . .	५,६७,१२,००० रुपये
२३	बैदेशिक कार्य	५,५१,००० रुपये
३१	स्टाम्प	४,३६,००० रुपये
३४	मुद्रा	१९,२६,००० रुपये
३७	अतिवयस्कता भत्ते तथा निवृत्ति वेतन . .	१६,००,००० रुपये
४७	स्वास्थ्य मंत्रालय	९३,००० रुपये
७६	न्याय-व्यवस्था	८,००० रुपये
८९	उत्पादन मंत्रालय के अधीन अन्य संगठन . .	३,१६,१८,००० रुपये
९१	उत्पादन मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय .	२,५६,००० रुपये
१०४	लेखन सामग्री तथा मुद्रण . . .	२१,८०,००० रुपये
१२३	निवृत्ति-वेतनों का राशिकृत मूल्य . . .	६,७८,००० रुपये
१३५	सिचाई और विद्युत मंत्रालय का अन्य पूंजी व्यय .	३४,०७,००० रुपये
१४५	निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय का अन्य पूंजी व्यय .	२१,८०,००० रुपये

१९५२–५३ के लिये अतिरिक्त अनुदानों की ये मांगें प्रस्तुत की गईं :—

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
३९	संघ तथा राज्य सरकारों के बीच विविध समायोजन .	७०,०८४ रुपये
६७	असैनिक प्रतिरक्षा . . .	२,८५५ रुपये
७५	बहुप्रयोजनीय नदी परियोजनायें . . .	१०,३७,१७७ रुपये
९५	निर्माण, उत्पादन और संभरण मंत्रालय .	४३,१७९ रुपये
९९	अन्य असैनिक निर्माण कार्य . . .	२,३३,१४,३७६ रुपये
१०१	निर्माण, उत्पादन और संभरण मंत्रालय के विविध विभाग तथा व्यय . . .	२५,००५ रुपये
१०३	संसद् सचिवालय के अधीन विविध व्यय	११० रुपये
१०५	भारतीय डाक तथा तार विभाग का पूंजी व्यय .	६२,३८,३३३ रुपये
११८	वित्त मंत्रालय का अन्य पूंजी व्यय .	६,१८,०३२ रुपये
११९	स्वास्थ्य मंत्रालय का अन्य पूंजी व्यय . .	३३,३९,५०९ रुपये

† मूल अंग्रेजी में।

† **उपाध्यक्ष महोदय** : कोई सदस्य मांग संख्या १ पर कुछ कहना चाहते हैं । कोई नहीं । प्रश्न यह है :

"कि २,८१,००० रुपये से अधिक अनुपूरक राशि, राष्ट्रपति को उन भारों के लिए दी जाये, जिनका भुगतान, 'वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय' के लिए ३१ मार्च १९५७ को समाप्त होने वाले वर्ष में किया जायेगा" ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

† **उपाध्यक्ष महोदय** : अब मांग संख्या १२ पर विचार होगा ।

† **श्री कामत** (होशंगाबाद) : पुस्तिका के पृष्ठ ६ और ७ के फुटनोट में जो कुछ दिया गया है उस से पता चलता है कि सरकार द्वारा ठेकेदारों को दिये गये ठेकों में कुछ गड़बड़ है । इस में चार अथवा पांच मामले बताये गये हैं परन्तु मैं केवल एक के बारे में कुछ बताऊंगा । एक ठेकेदार को ४०,००० मन घास का ठेका १९४८ में दिया गया था परन्तु उसमें से ७,५०० मन घास ली गई शेष का ठेका समाप्त कर दिया गया । ठेकेदार ने दावा दायर किया । परन्तु उसका दावा खारिज कर दिया गया और ठेकेदार को ३०,००० रुपया देने को कहा गया । मैं जानना चाहता हूं कि जब उसका दावा निराधार पाया गया तब यह रुपया उसको किस कारणवश देना स्वीकार किया गया । सब से महत्वपूर्ण बात मैं अब बतलाता हूं कि ठेकेदार ने इस धन को लेने से इन्कार कर दिया तथा सरकार पर उच्च न्यायालय में दावा कर दिया । अन्त में मामला ठेकेदार के पक्ष में १.८२ लाख रुपये पर तय हुआ ।

हम जानना चाहते हैं कि इस सरकारी न्यायालीय जांच में कौन कौन थे जिसने ठेकेदार के आरोपों को निराधार पाया और ३०,००० रुपया देने की स्वीकृति दी । मैं चाहता हूं कि सरकार इस बारे में सभा को स्पष्टतया सब कुछ बताये । ठेकेदार का नाम क्या था तथा सरकार उसको ३०,००० रुपया क्यों देना चाहती थी जब उसके सभी आरोप ग़लत बता दिये गये थे ।

यह एक उदाहरण है । मैं और उदाहरण बताना नहीं चाहता हूं क्योंकि यह एक उदाहरण ही पर्याप्त है कि सरकार किस प्रकार काम कर रही है । मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री इस पर प्रकाश डालें ।

† **श्री नम्बियार (मयूरम)** : अपने मित्र श्री कामत के द्वारा पूछी गई बात के अतिरिक्त मैं यह भी पूछना चाहता हूं कि जब ४०,००० मन घास का आर्डर दिया गया था तब केवल ७,५०० मन घास क्यों ली गई । इसका तात्पर्य है कि उनको इतनी घास की आवश्यकता नहीं थी और आवश्यकता थी तो इसका संभरण क्यों रोका गया ।

दूसरी बात मैं यह पूछना चाहता हूं कि जब संभरण रोक दिया गया तब मामले को ठीक प्रकार से क्यों नहीं निबटाया गया । इससे यही पता लगता है कि कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ अवश्य थी । उच्च न्यायालय के फैसले के कारण यह धन दिया जा रहा है इसलिए माननीय मंत्री यह भी बतायें कि इस मामले के लिए जिम्मेदार सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई । मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री हमें यह आश्वासन दें कि वह उन व्यक्तियों को जिन्होंने ग़लती की है अवश्य दण्ड देंगे ।

† **पंडित ठाकुर दास भार्गव** : (गुड़गांव) : मैं ने इस मामले को पढ़ा है और मुझे अपने मित्रों की आलोचना पर आश्चर्य होता है ।

जब तक हम परिस्थितियों को न जानें हम श्री कामत के इस निष्कर्ष पर कैसे पहुंच सकते हैं कि न्यायालय ने गलती की है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

जांच न्यायालय सम्बन्धी प्रश्न बड़ा नाजुक है। हम नहीं जानते कि उन्होंने कैसे कार्य किया है। ४०,००० मन का संभरण करना था जिसमें से ७,५०० मन स्वीकार किये गये। विवाद संभवतः घास की किस्म के सम्बन्ध में हो। परन्तु आखिर पदाधिकारी भी सख्त नहीं रहे और उस हानि की क्षतिपूर्ति के लिए उन्होंने ३०,००० रुपये मुफ्त देने चाहे। उन्होंने यह ठीक ही किया परन्तु ठेकेदार ने अपील की, जिस पर उच्च न्यायालय ने उसे १.८२ लाख रुपये देने का निर्णय दिया।

इस के पश्चात् सब आलोचना समाप्त हो जानी चाहिये। तत्पश्चात् पदाधिकारियों ने बहुत अच्छा कार्य किया और ठेकेदार को १·४५ लाख रुपया देने का समझौता किया। यह समझौता राज कोष के लिए बहुत अच्छा था। मुझे संतोष है कि पदाधिकारियों का व्यवहार अच्छा रहा।

मद (१) (२) और (३) के विषय में ठीक निर्णय किया गया था और धन बचाया गया था।

(घ) में प्रतिरक्षा संबंधी कुछ सामान खरीदने के लिए भुगतान के अतिरिक्त उपबंध का उल्लेख है। जहां इस सभा का सम्बन्ध है इस सामान के लिए इस अवसर पर धन की मंजूरी दे देनी चाहिये। यद्यपि यहां ब्योरा नहीं दिया गया परन्तु मैं फिर भी समझता हूं कि अवश्य ठीक बात ली गई होगी।

† **प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया)** : जब मेरे मित्र पंडित ठाकुर दास भार्गव ने मामले का स्पष्टीकरण कर दिया है तो वस्तुतः मेरे लिए अधिक कहने को कुछ नहीं बचा। यह सच है कि इस ठेकेदार ने घास का संभरण किया था और बाद में काश्मीर की कार्यवाहियों में स्थिति परिवर्तन के कारण, हम ने देखा कि घास की आवश्यकता नहीं रही अतः हम ने उसे लेना बंद कर दिया।

जहां तक मांग का सम्बन्ध है आप ने ठीक ही कहा है कि जांच न्यायालय ने कार्यवाही की थी और तत्पश्चात् उच्च न्यायालय ने निर्णय किया कि सरकार ठेकेदार को १;८२,००० रुपये दे। तब पदाधिकारियों ने ही स्व-स्फूर्ति से काम लिया और ठेकेदार के साथ १,४५,००० रुपये का फैसला कर लिया और इस प्रकार सरकार को कुछ लाभ पहुंचाया। इसलिए मैं समझता हूं कि इस पर पदाधिकारियों को बधाई देनी चाहिये।

जैसा बताया गया है, जांच न्यायालय ने कार्यवाही की थी और मैं नहीं कहता कि वे इस बारे में सर्वथा ईमानदार थे। परन्तु ठेकेदार ने बाद में उच्च न्यायालय को कुछ और बातें बताईं जो उसने पहले नहीं बताई थीं। अतः मैं समझता हूं कि उच्च न्यायालय ने ठीक निर्णय दिया कि अतिरिक्त राशि देनी चाहिये और वह दे दी गई।

इस के अतिरिक्त और कोई आलोचना नहीं हुई। मैं इसे विस्तार से नहीं कहना चाहता परन्तु सभा को केवल यह आश्वासन देना चाहता हूं कि विदेश से कतिपय सामग्री लेने के लिए जो ५,६७,१२,००० रुपये की राशि व्यय की गई है उस में आवश्यकता और अविलम्बनीयता का ध्यान रखा गया है। इस सम्बन्ध में हम सब जानते ही हैं। इस से अधिक कहने की आवश्यकता नहीं। पाकिस्तान ने अमरीकी सहायता के कारण कतिपय युद्ध सामग्री प्राप्त की और हमें अपने सीमित संसाधनों से अधिकाधिक प्रयत्न करना पड़ा है। मुझे इस बात पर हर्ष है कि सभा इसे अनुभव करती है और इस मांग के औचित्य को समझती है। मैं आशा करता हूं कि सभा इसे पारित करेगी।

---

†अंमूल अंग्रेजी में

† **श्री नम्बियार** : मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं । उन्होंने कहा है कि काश्मीर की स्थिति में सुधार के कारण और घास संभरण की आवश्यकता नहीं रही थी । तब तो जांच न्यायालय की आवश्यकता नहीं थी । इस बात की पहले से आशा की जा सकती थी और इस का उपबंध संविदा में किया जा सकता था ।

† **उपाध्यक्ष महोदय** : इस की कौन प्रत्याशा कर सकता था कि स्थिति में परिवर्तन हो जाएगा ?

† **श्री नम्बियार** : ऐसे मामलों में प्रायः संविदा में इस विषय का एक खंड हुआ करता है ।

† **उपाध्यक्ष महोदय** : स्थिति हमारे बस में नहीं थी ।

प्रश्न यह है :

"कि ५,६७,१२,००० रुपये से अधिक अनुपूरक राशि, राष्ट्रपति को उन भारों के लिए दी जाए जिन का भुगतान "प्रतिरक्षा सेवायें—क्रियाकारी—सेना" के लिए ३१ मार्च, १९५७ को समाप्त होने वाले वर्ष में किया जाएगा ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

† **उपाध्यक्ष महोदय** : अब मांग संख्या २३ ली जायेगी ।

† **श्री कामत** : पृष्ठ १० पर दिये गये फुट-नोट में बताया गया है कि अतिरिक्त आवश्यकताएं पीकिंग में राजदूत के आवास के लिए खरीदे गये फरनीचर के बारे में बकाया रुपया देने, फाम पेन१ के अतिरिक्त भारतीय शिष्टमंडल के मुख्याधिकारी के आवास का किराया देने और मिस्र और हंगरी में दवाइयां, कम्बल, कपड़े, चाय आदि सामान भेजने के कारण हुई हैं ।

मिस्र और हंगरी को भेजी गई वस्तुओं के लिए किसी को आपत्ति नहीं हो सकती । परन्तु उन के बारे में मैं यह जानना चाहता हूं कि कितने कितने मूल्य की वस्तुएं दोनों को भेजी गईं ।

पीकिंग में राजदूत के आवास के लिए गत वर्ष खरीदे गये फरनीचर की बात अवश्य रहस्यपूर्ण है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या वहां अतिरिक्त फरनीचर की आवश्यकता श्री नेहरू के राजदूत बनने पर ही पड़ी और उन के पूर्वाधिकारी इस के बिना गुजारा करते रहे । मैं जानना चाहता हूं कि भूतपूर्व राजदूत कितने फरनीचर से काम चलाते थे और अतिरिक्त फरनीचर कितने का खरीदा गया था ।

मद (ग) में भी ढाका और कोलम्बो भारतीय राजदूतावासों में अतिरिक्त फरनीचर खरीदने का उल्लेख है । परन्तु वहां उसका कारण वेतन क्रमों में वृद्धि बताया गया है । पीकिंग के मामले में किसी कारण का उल्लेख नहीं ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : यहां अतिरिक्त फरनीचर का उल्लेख है जब कि पीकिंग के मामले में केवल 'फरनीचर' का उल्लेख है ।

†**श्री कामत** : मैं इस स्पष्टीकरण के लिए आभारी हूं ।

माननीय मंत्री कृपया बताएं कि मद (ग) के विषय में वेतन क्रमों में कितनी वृद्धि की गई और क्या हमारे देश के अन्य राजदूतावासों में वेतन क्रम बढ़ाये गये हैं ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** (होशियारपुर) : मुझे खेद है कि मेरे पूर्व वक्ता ने विधि युक्त ढंग से विषय पर चर्चा नहीं की । हमें राजदूतावासों को संस्थाओं के रूप में लेना चाहिये न कि राजदूतों के आधार पर और पीकिंग में चाहे कोई राजदूत हो हमें उस का उल्लेख संस्था के रूप में करना

---

†मूल अंग्रेजी में

Phnom-Penh

चाहिये। फरनीचर पर व्यय का अभिप्राय यह नहीं कि किसी राजदूत की इच्छापूर्ति के लिए व्यर्थ व्यय किया गया है। अतः इसे इस दृष्टि से देखना चाहिये कि हमारे देश के महत्व बढ़ने के साथ हमारे दूतावास में भी प्रगति हुई है। सभी दूतावासों की आवश्यकताओं में वृद्धि हुई है।

टर्की में भारतीय दूतावास को देखने पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि वैदेशिक कार्य मंत्रालय दूतावासों पर अधिक व्यय नहीं कर रहा और कि अन्य छोटे देश भी हम से अधिक व्यय कर रहे हैं।

यह पूछा गया है कि ढाका और कोलम्बो के लिए फरनीचर का उपबंध किया गया और अन्य दूतावासों के लिए क्यों नहीं किया गया। संभवतः उस पर तो और भी अधिक आपत्ति होती।

चिकित्सा की वस्तुओं और कम्बलों आदि के बारे में यह पूछना कितने कितने मिस्र और हंगरी को भेजे गये ठीक नहीं है क्योंकि यह मानवता के प्रति सहानुभूति के लिए किया गया है।

†**वित्त तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)** : मिस्र और हंगरी के पीड़ितों के प्रति भारत की सहानुभूति के नाते २½ लाख रुपये की राशि की चिकित्सा वस्तुओं, कम्बलों, कपड़ों, चाय आदि के संभरण के सम्बन्ध में, हम पहले ५ लाख रुपये तक व्यय करना चाहते थे, परन्तु वित्त मंत्रालय ने आरम्भ में २½ लाख रुपये की मंजूरी दी—हमारे पास अभी लेखे नहीं हैं। शीघ्र ही लेखे मिल जायेंगे और लगभग सारी राशि व्यय की जा चुकी है। मैं अब भी निश्चित रूप से नहीं कह सकता कि मिस्र और हंगरी में क्या अनुपात है परन्तु मिस्र की अपेक्षा हंगरी के लिए कुछ अधिक व्यय किया गया है। मिस्र की अपेक्षा हंगरी को वस्तुएं भेजने में हमें अधिक सुविधाएं प्राप्त हैं। दोनों देशों को किस प्रकार की वस्तुएं चाहियें इसका भी उनको भेजे गये सामान के मूल्य पर प्रभाव पड़ता है। मैं अपने माननीय मित्र से केवल यह कह सकता हूं कि लेखे तैयार होने पर पूरी सूचना मिल जायेगी। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि यह राशि अच्छी प्रकार और प्रयोजनार्थ व्यय की गई है। मेरे विचार में हम ने आवश्यकता से अधिक पैसे नहीं दिये, वस्तुतः मैं यह बताना चाहता हूं कि हमें ये वस्तुएं इस कारण बहुत सस्ती मिली थीं कि वे उस प्रयोजन के लिए भेजी जा रही थीं।

फरनीचर की मद के बारे में मैं श्री शर्मा का आभारी हूं कि उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि विदेश में हमारे दूतावासों में विलासपूर्ण सजावट नहीं है। वस्तुतः जैसा कि मेरे कुछ माननीय मित्रों को विदेश जाने का सुअवसर मिला है, उतना मुझे नहीं मिला परन्तु कुछ बार मैं विदेश गया हूं। मैं ने अपने दूतावास देखे हैं और मैं कह सकता हूं कि उनकी सजावट बहुत मामूली है। माननीय सदस्य अनुभव करेंगे कि यदि दिल्ली में भी फरनीचर के मूल्य पर विचार किया जाए तो तीन दूतावासों के लिए १,८५,००० रुपये की राशि बहुत अधिक नहीं है। मुझे बताया गया है कि यदि आप एक या दो घरों की सजावट करना चाहें तो ६०,००० से ७०,००० रुपये तक व्यय करना पड़ेगा। स्वभावतः यह इच्छा की जा सकती है कि हमारे राजदूतों के कार्यालय अच्छी प्रकार सुसज्जित होने चाहियें, बहुत भव्य प्रकार से न सही परन्तु शिष्ट प्रकार से। ढाका के उच्च आयोग पर व्यय लगभग ५०,००० रुपये है, कोलम्बो के उच्च आयोग पर ७७,००० रुपये और पीकिंग के राजदूतावास पर ६०,००० रुपये। स्वभावतः यथा समय हमें लेखे मिल जाएंगे। वस्तुतः महा- लेखापरीक्षक इस की लेखा परीक्षा करेंगे, और मैं माननीय मित्र को यह बता देना चाहता हूं कि विशेषतः मैं उदार नहीं हूं। यद्यपि पदभार संभाले थोड़ा समय हुआ है परन्तु मैं इन विषयों में अनुदार होने के लिए कुख्यात हो गया हूं। हम ने केवल ऐसे अनुदान दिये हैं जो एक असाधारण स्तर पर नहीं वरन् औसत शिष्ट स्तर पर दूतावासों को रखने के लिए अत्यधिक आवश्यक थे।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री ति० त० कृष्णमाचारी]

यदि मेरे माननीय मित्र इस व्यय के औचित्य को सिद्ध करने के लिए और जानकारी चाहते हैं तो मैं केवल यह कह सकता हूं कि जो कुछ आय-व्ययक में किया जाता है उस से अधिक हमने इस समय कुछ नहीं किया है। निकट भविष्य में सभा आय-व्ययक को मंजूरी देगी। सभा को यह बताने के लिए कि ये व्यय कैसे किया गया हमें अन्तिम लेखों की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। अन्तिम व्यय और लेखे अभी उपलब्ध नहीं हैं और इस समय मैं केवल माननीय सदस्य को आश्वासन दे सकता हूं कि जो अनुदान दिये गये हैं वे बिल्कुल हाथ खोल कर नहीं दिये गये हैं।

†**श्री कामत** : क्या ८०,००० रुपये कम हैं ?

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : यह ६०,००० रुपये हैं। प्रश्न यह है कि उस से आपको कितनी चीज़ें मिलती हैं। यदि आप को १२० मिलें तो यह राशि कम ही है।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि ५,५१,००० रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि, राष्ट्रपति को, उन भारों के लिए दी जाए, जिनका भुगतान 'वैदेशिक व्यय' के लिए ३१ मार्च, १९५७ को समाप्त होने वाले वर्ष में किया जाएगा।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अब वित्त मंत्रालय की मांग संख्या ३१, ३४, ३७ और १२३ को लिया जाए।

†**श्री नम्बियार** : मांग संख्या ३१ के सम्बन्ध में फुट नोट में कहा गया है कि अतिरिक्त व्यय सामान्य निर्वाचन के लिए मतदान पत्रों और मुहरों को छापने के लिए किया गया है। ४,३६,००० रुपये के अतिरिक्त व्यय का अकस्मात् ज्ञान क्यों हुआ ? इस की पहले से आशा क्यों न की गई ? आकस्मिक आपात कैसे पैदा हुआ ? यदि माननीय मंत्री इसे स्पष्ट करें तो अच्छा होगा।

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : यह बात नहीं कि हमें पता नहीं था कि निर्वाचन हो रहा है। परन्तु हम मतदान-पत्रों, मुहरों और अन्य वस्तुओं की संख्या का अनुमान नहीं लगा सके थे क्योंकि निर्वाचन आयोग ने हमें जानकारी नहीं भेजी थी। अतः आय-व्ययक में उपबन्ध नहीं किया गया था और हम मांग कर रहे हैं।

यदि मेरे माननीय मित्र कहते हैं कि आय-व्ययक में उपबंध होना चाहिये था अथवा व्यय से कम १ रुपये का प्रतीक अनुदान आय-व्ययक में होता और फिर अनुपूरक मांग प्रस्तुत करते तो मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य ठीक कह रहे हैं। प्रक्रिया की दृष्टि से मैं इस आरोप का अपराधी हूं। हमें इस व्यय की आशा करनी चाहिये थी और उसका उपबंध करना चाहिए था। परन्तु गुणावगुणों के आधार पर मेरे माननीय मित्र सहमत होंगे कि यह उचित व्यय है। मैं आशा करता हूं कि वे इसे मंजूर करने के लिए सहमत होंगे।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि कार्य सूची के तीसरे स्तम्भ में दिखाई गई अनुपूरक राशियों से अनधिक राशियां राष्ट्रपति को निम्नलिखित मांगों के सम्बन्ध में, जो दूसरे स्तम्भ में दिखाई गई हैं,

---

†मूल अंग्रेज़ी में

उन भारों के लिए दी जाएं, जिनका भुगतान ३१ मार्च, १९५७ को समाप्त होने वाले वर्ष में किया जाएगा :

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
३१	स्टाम्प . .	४,३६,००० रुपये
३४	मुद्रा . . .	१९,२६,००० रुपये
३७	अतिवयस्कता भत्ते तथा निवृत्ति वेतन	१६,००,००० रुपये
१२३	निवृत्ति-वेतनों का राशिकृत मूल्य	६,७८,००० रुपये

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** अब मांग संख्या ४७ को लिया जाएगा ।

†**श्री कामत :** इस मांग में कई बातें हैं जिनका अत्यधिक महत्व है । फुटनोट में बताया गया है कि व्यय में वृद्धि मंत्रालय के कार्य के विस्तार के कारण हुई और कार्य में वृद्धि पीलिया जांच समिति की सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए हुई । मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री बताएं कि इन सिफारिशों को कार्यान्वित करने में, जो कुछ मास से उन के पास हैं, क्या प्रगति हुई है ?

दूसरी मद जिस में गंदी बस्तियां हटाने के सम्बन्ध में कानूनी और प्रशासनिक समस्याओं का उल्लेख है, कुछ संदेहजनक है । प्रधान मंत्री ने कहा था कि गंदी बस्तियों की समस्या का हल उन्हें जला देना है । परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार उन से सहमत नहीं और वह अन्य प्रकार का कार्य कर रही हैं ।

मैं यहां "कानूनी और प्रशासनिक समस्याओं" की शब्दावली पर आश्चर्यचकित हूं । माननीय मंत्री कृपया इसे स्पष्ट करेंगे कि इस में क्या प्रगति हुई है ।

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी :** पीलिया के व्यापक रोग को फैलने से रोकने के लिए किये गये कार्य की प्रगति के सम्बन्ध में, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि थोड़े दिनों में जब अनुदान की मांगों को लिया जाएगा तो इस विषय पर फिर चर्चा होगी । मैं वचन देता हूं कि मैं अपने सहयोगी से कहूंगा कि वे इस पर टिप्पण दें माननीय सदस्य को उस समय इस पर चर्चा का अवसर मिलेगा ।

परन्तु दूसरे व्यय के सम्बन्ध में मैं सभा से निवेदन करना चाहता हूं कि यह उन विभिन्न योजनाओं का व्यय है, जिन का यहां उल्लेख किया गया है और उन सब के लिए अतिरिक्त कर्मचारियों की आवश्यकता थी ।

मुझे हर्ष है कि गंदी बस्तियों के सम्बन्ध में माननीय मित्र स्वीकार करते कि प्रधान मंत्री ने यह वक्तव्य दिया था जिस में कुछ शीघ्र कार्यवाही करने का संकेत था । मैं उन्हें यह कह सकता हूं कि मुझे इस बात का ध्यान है कि कुछ कहना चाहिये । हम भविष्य में कुछ करना चाहते हैं । अतः मुझे विश्वास है कि वे इस आश्वासन से संतुष्ट हो जाएंगे कि आगे आने वाले वर्षों में सरकार गंदी बस्तियों की इस समस्या की ओर गंभीर ध्यान देगी । प्रशासनिक और वैध समस्याओं के

†मूल अंग्रेजी में

[श्री० ति० त० कृष्णमाचारी]

प्रश्न पर मुझे विश्वास है कि मेरे माननीय मित्र जिन्हें मैं समझता हूं कि अच्छे वकील हैं और पंडित ठाकुर दास भार्गव के कथन के अनुसार दण्डाधीश रह चुके हैं, जानते हैं कि गंदी बस्तियां हटाने के प्रश्न में स्वामित्व सुविधा और अन्य कई बातों की वैध समस्याएं पैदा होती हैं और इन का अध्ययन करना पड़ता है ताकि अन्तिम मूल्य का मूल्यांकन किया जा सके। इन समस्याओं की तथाकथित विधि सम्बन्धी जांच की आवश्यकता है। यहां यही बात कही गई है। मुझे विश्वास है कि मेरी सहयोगी अपने मंत्रालय की मांगों पर चर्चा के समय और जानकारी देंगी, जिन्हें हम इस सप्ताह अथवा अगले सप्ताह लेंगे।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि ९३,००० रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि राष्ट्रपति को उन भारों के लिए दी जाए, जिनका भुगतान स्वास्थ्य मंत्रालय के लिए ३१ मार्च, १९५७ को समाप्त होने वाले वर्ष में किया जाएगा।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि ८,००० रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि, राष्ट्रपति को उन भारों के लिए दी जाए, जिनका भुगतान न्याय व्यवस्था के लिए ३१ मार्च, १९५७ के समाप्त होने वाले वर्ष में किरा जाएगा।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अब उत्पादन मंत्रालय की मांग संख्या ८९ और ९१ को लिया जाएगा।

†**श्री नम्बियार** : फुटनोट में बताया गया है कि खादी और अम्बर चरखा कार्यक्रम पर बहुत व्यय किया जा रहा है परन्तु क्या इन से खादी और हथकरघा कपड़े के मूल्य गिरे हैं ? क्या अम्बर चरखा वस्तुतः सफल हुआ है। मैं तो समझता हूं कि इस का कोई लाभ नहीं और इससे कोई विशेष उत्पादन नहीं होता। हमें यह कार्य कम नहीं करना चाहिये सरकार को इस पर पुनर्विचार करना चाहिये।

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य तथा प्रतिरक्षा मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : श्रीमान्, मैं समझता हूं कि यदि माननीय सदस्य को अम्बर चरखे के बारे में कुछ सही बातें पता होतीं तो जो कुछ उन्होंने कहा है वह न कहते। केवल विचार धारा की दृष्टि से इस के पक्ष अथवा विपक्ष में विचार करने का प्रश्न नहीं परन्तु वैज्ञानिक दृष्टि से यह जानने का प्रश्न है कि इस से क्या प्राप्त हो सकता है और क्या नहीं। मैं इस समय नहीं कह सकता कि अम्बर चरखा पूर्ण है अथवा सफल है परन्तु मैं यह अवश्य कहूंगा कि यह विशेषतः इस दिशा में एक लाभ-दायक वस्तु है। पुराने चरखों को देखते हुए यह बहुत अच्छा है। हमें विश्वास है कि यह निसन्देह सभी दृष्टियों से एक बहुत लाभदायक चीज है और इसमें बहुत से फ़ायदे हैं। इसके बारे में कुछ और जांच पड़ताल करने की आवश्यकता है क्योंकि यदि यह सफल हुआ तो हमारी अर्थ-व्यवस्था में इसे एक छोटी मोटी क्रान्ति ही समझनी चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में

परन्तु इस के अतिरिक्त, इस पर एक और दृष्टि से अर्थात् सामाजिक रोजगार आदि की दृष्टि से देखने की आवश्यकता है। यह याद रखना चाहिये कि इस ने किसी का स्थान नहीं लिया। यह सोचने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता कि कुटीर उद्योग से कोई बड़ा उद्योग विस्थापित हो जाएगा। भारत की परिस्थितियों में दोनों के लिए काफी गुंजाइश है और यह लाभकारी ढंगों में से एक है जिस के परिणाम काफी अच्छे हैं और मैं समझता हूं कि इस से और भी अच्छा लाभ होगा। इस दृष्टि से हम यह कार्य कर रहे हैं।

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी :** मैं यह भी बता दूं कि जहां तक ७५,००० अम्बर चरखों का सम्बन्ध है इस से लगभग ५ लाख व्यक्तियों को रोजगार मिला है।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि कार्य सूची के तीसरे स्तम्भ में दिखाई गई अनुपूरक राशियों से अनधिक राशियों, राष्ट्रपति को निम्नलिखित मांगों के सम्बन्ध में जो दूसरे स्तम्भ में दिखाई गई है, उन भारों के लिए दी जाएं जिनका भुगतान ३१ मार्च १९५७ को समाप्त होने वाले वर्ष में किया जाएगा।"

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
८९	उत्पादन मंत्रालय के अधीन अन्य संगठन . .	३,१६,१८,००० रुपये
९१	उत्पादन मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय .	२,५६,००० रुपये

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

†**श्री कामत :** मैं मांग संख्या ९५ के बारे में कुछ जानकारी चाहता हूं। फुट नोट में बताया गया है कि प्रादेशिक पर्यटक सूचनालय में १,५०९ रुपये का फरनीचर दिया गया। विभाग की कैशबुक में इस का बक़ाया रुपया चुकाया गया दिखाया गया परन्तु बाद में फ़र्म के स्मरण कराने पर पता लगा कि केश बुक की प्रविष्टि गलत थी। मैं इस के बारे में तिथि अनुसार ब्योरा चाहता हूं कि यह सब कब हुआ जांच कब हुई और खजांची को कब निलम्बित किया गया।

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी :** यद्यपि यह पारित मद है परन्तु मैं माननीय सदस्य को यह जानकारी दे सकता हूं। मैं इसे सभा पटल पर रखवा दूंगा।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि कार्य सूची के तीसरे स्तम्भ में दिखाई गई अनुपूरक राशियों से अनधिक पृथक राशियां, राष्ट्रपति को निम्नलिखित मांगों के सम्बन्ध में, जो दूसरे स्तम्भ में दिखाई गई हैं, उन भारों के लिए दी जाएं जिन का भुगतान ३१ मार्च, १९५७ को समाप्त होने वाले वर्ष में किया जाएगा।"

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
१०४	लेखन सामग्री तथा मुद्रण . . .	२१,८०,००० रुपये
१४५	निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय का अल्प पूंजी व्यय	२१,८०,००० रुपये

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

†मूल अंग्रेजी में।

†**श्री रामचन्द्र रेड्डी** (नेल्लोर) : मांग संख्या १३५ के अधीन राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम बनाया गया है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या २ करोड़ रुपये की राशि इतने भारी निर्माण कार्यों के लिये जिन पर सैकड़ों करोड़ों रुपये की लागत आयेगी, काफी होगी और क्या सेवाओं में भर्ती यह निगम करेगा अथवा लोक सेवा आयोग और क्या इंजीनियरिंग कालेजों के स्नातकों को भर्ती किया जाएगा अथवा अनुभवी लोगों को लिया जाएगा । सरकार ने राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम की नीति को कब अन्तिम रूप दिया था और क्या राज्य सरकारों का परामर्श लिया गया था ।

महत्वपूर्ण कारणों में से एक यह बताया गया कि कतिपय परियोजनाओं के अतिरिक्त उपसाधनों को अन्य परियोजनाओं पर प्रयोग नहीं किया जा रहा । केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों से कह सकती है कि वे उन उपसाधनों को अवक्षयण मूल्य पर खरीदें । आंध्र प्रदेश ने हीराकुड के अतिरिक्त उपकरणों को नहीं लिया था । केन्द्र को अनुरोध करना चाहिये ताकि निर्माण की लागत में कमी हो ।

मैं यह भी जानना चाहता हूं कि निगम कैसे कार्य करेगा और इस में राज्य सरकारों के कितने प्रतिनिधि होंगे । जब कभी नया निगम बनाया जाता है सभा को चर्चा करने और सुझाव देने का अवसर नहीं दिया जाता । इस निगम के मामले में भी ऐसा ही हुआ है ।

कभी कभी यह अनुभव किया जाता है कि केन्द्रीय सरकार राज्यों से योग्य लोगों को अच्छे वेतनों पर ले लेती है । राज्य सरकारों के पास अपने कार्यों के लिए कुशल व्यक्ति नहीं रहते । क्या यह संभव नहीं कि एक अखिल भारतीय इंजीनियरिंग सेवा बनाई जाए जिस में से राज्य सरकारों को इंजीनियर उधार दिये जा सकें ।

हम ने देखा है कि परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के योग्य सेवानिवृत्त पदाधिकारियों को कार्य पर लगाया गया था । क्या ऐसे लोगों को ऐसे निगमों में कार्य करने का अवसर दिया जाएगा या उन्हें भर्ती और सेवा के नियमों के अधीन हटा दिया जायेगा ?

माननीय मंत्री कृपया ब्योरा बताएं और सभा तथा जनता को विश्वास दिलाएं कि इस निगम का लाभ होगा ।

निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया :

मांग संख्या	कटौती प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
१३५	श्री रामचन्द्र रेड्डी	राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम के कार्य तथा उसकी आवश्यकता की जांच	१००

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

†**श्री कामत** : यह बड़ी विचित्र बात है कि ३२ पृष्ठ पर एक फुट-नोट है कि निगम लाभ प्राप्त करने का प्रयत्न तो करेगा परन्तु लाभ कमाना उसका लक्ष्य नहीं होगा । क्या प्रधान मंत्री इस पर प्रकाश डालेंगे ?

†मूल अंग्रेजी में ।

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिस उद्देश्य के लिये राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम बनाया गया था, उस पर सिंचाई तथा विद्युत मंत्री महोदय ने गत बजट सत्र में भी प्रकाश डाला था और उसके बाद कई अवसरों पर इस प्रश्न पर सविस्तार चर्चा भी हो चुकी है। इस प्रकार का निगम बनाने का विचार १९५५ में श्रीनगर में हुई सिंचाई और विद्युत इंजीनीयरों की गोष्टी में हुआ था। इसे आरम्भ करने का विचार इस लिये था कि विभिन्न राज्यों के पास बड़ी परियोजनाओं के लिये समुचित प्रशासन व्यवस्था नहीं थी क्योंकि अस्थायी तौर पर २, ३ और ५ वर्ष के लिये इंजीनियर अथवा कर्मचारी भर्ती कर लिये गये। परन्तु बाद में राज्य छोटा होने के कारण फालतू कर्मचारियों की कोई व्यवस्था न कर सका। निर्माण के अस्थायी काल के लिये तो यह ठीक था परन्तु केवल देखभाल के लिये कर्मचारियों की आवश्यकता नहीं होती। अब इन कर्मचारियों को यदि एक राज्य से दूसरे राज्य में खपाने के लिये कहा जाय, तो कठिनाई यह पड़ती है कि विभिन्न राज्यों के वेतन स्तर एक जैसे नहीं होते। और कई अवस्थाओं में कर्मचारी भी दूसरे राज्य में नहीं जाना चाहते। सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय की अखिल भारतीय इन्जीनियर सेवा की स्थापना के सभी प्रयत्नों का अभी तक कुछ परिणाम नहीं निकला।

दूसरी प्रशासन सम्बन्धी कठिनाई जो कि राज्यों में देखी गयी है वह फालतू मशीनरी की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में है। राज्यों को इस फालतू मशीनरी को खरीदने का परामर्श भी दिया गया है। परन्तु वृत्ति नई मशीनरी खरीदने की ही होती है। यद्यपि कई मामलों में ऐसी फालतू मशीनरी का उपयोग किया भी गया है, परन्तु उससे हमें संतोष नहीं। क्योंकि वह कहते हैं कि यह काम नहीं करती, इसकी मरम्मत होनी चाहिये, इस पर देखभाल का ही खर्चा पड़ जायेगा, इत्यादि। कई बहाने किये जायेंगे और कई ठीक भी होंगे। जो कुछ भी हो यह भी एक कठिनाई है।

इसका इलाज एक ही है कि मशीनरी और कर्मचारियों का संग्रह केन्द्र में कर लेना चाहिये। एक और बात भी है कि इस देश में काफी संख्या में ठेकेदार हैं जो कि सभी परियोजनाओं का काम कर सकते हैं। दो तीन बड़े सार्थ ही ऐसे हैं। इसलिये हमने यह निर्णय किया कि यदि कोई राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम की स्थापना हो जाय तो उन राज्यों में जहां इन परियोजनाओं के निर्माण की समुचित व्यवस्था नहीं वहां यह काम इस निगम को दे दिया जाय। राज्य विभागीय आधार पर इस कार्य को कर सकेंगे। राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम अथवा कोई अन्य निकाय तभी लाभप्रद हो सकता है जब कि विशेष समय पर विशेष राज्य के लिये ऐसे फालतू कर्मचारी हों जो कि चार पांच वर्ष का अनुभव प्राप्त कर चुके हो, और उन्हें वहां खपाया जाय। नयी जो भी मशीनरी खरीदी जायेगी वह भी एक साथ, एक के बाद दूसरी परियोजना में प्रयोग होती रहेगी।

इस प्रकार सभी उपलब्ध अनुभवी प्राविधिक कर्मचारी और फालतू मशीनरी का प्रयोग हो सकेगा। हो सकता है कि किसी राज्य में मशीनरी और कर्मचारियों का बाहुल्य हो और कहीं कमी हो। निगम द्वारा फालतू कर्मचारियों को बगैर कठिनाई के खपाया जा सकेगा।

१९५५ में श्रीनगर की गोष्टी में इस निगम को बनाने का निर्णय हुआ था। तत्पश्चात् मंत्रियों के बोर्ड ने भी इस सिद्धान्त को स्वीकार कर लिया। लगभग सभी राज्यों ने इस प्रकार के निगम बनाने के सिद्धान्त को स्वीकार कर लिया है। परन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि सभी राज्य निगम में सम्मिलित हो गये हैं। सात राज्य सम्मिलित हो गये हैं और प्रत्येक राज्य अभी हाल २ लाख रुपये लगायेगा। केन्द्र की ओर से १० लाख दिये जायेंगे। जैसा कि माननीय सदस्य श्री रेड्डी ने कहा कि एक समय में सभी परियोजनाओं के लिये २ करोड़ रुपया काफी नहीं होगा।

ऐसे राज्य जिनके पास समुचित कर्मचारी हैं वे तो अपनी परियोजना में चला सकते हैं । परन्तु छोटे राज्य जिनके पास समुचित मशीनरी अथवा कर्मचारी नहीं वे निगम को ठेका दे सकते हैं। क्योंकि निगम को व्यापारिक ढंग से ही तो चलाया जाना है ।

श्री कामत चाहते हैं कि मैं यह बताऊं कि निगम किस प्रकार लाभ के लिये काम तो करेगा परन्तु उसका लक्ष्य 'नफाखोरी' नहीं होगा । इसका अर्थ यह है कि वसूली म वह अपनी लागत से कुछ अधिक ले लेगा । और 'नफे' का अनुपात उतना नहीं होगा जितना कि ठेकेदार लाभ कमाते हैं। इसलिये इस निगम का कार्य राष्ट्र के हित में हो होगा ।

एक बात यह पूछी गई कि भर्ती लोक सेवा आयोग के द्वारा होगी या किसी और संस्था द्वारा ? निगम की स्थापना समवाय अधिनियम के अन्तर्गत हुई है । इस लिये इंजिनीयरों की भर्ती तो निगम ही करेगा । और वह इस बात का ध्यान रखेगा कि अनुभव व्यक्ति हो लिये जायं । इस बात का भी प्रबन्ध किया जायेगा कि नये स्नातकों को प्रशिक्षित किया जाये और फालतू कर्मचारियों में से अनुभवी लोगों को प्राथमिकता दी जाय । जहां तक राज्यों के प्रतिनिधित्व का प्रश्न है हिस्सेदार राज्यों को निगम में प्रतिनिधित्व दिया ही जायेगा । इस समय सात राज्य हैं, और जैसे ही और राज्य आयेंगे और धन लगायेंगे तो उन्हें समुचित प्रतिनिधित्व दिया जायेगा । मेरे विचार में मैंने श्री रेड्डी और श्री कामत द्वारा रखे गये मामले की व्याख्या कर दी है ।

†**श्री रामचन्द्र रेड्डी :** परियोजना नियन्त्रण बोर्ड तथा निगम का सम्बन्ध क्या होगा ? निगम नियन्त्रण करेगा अथवा ठेकेदारी ?

†**श्री हाथी :** नियन्त्रण बोर्ड नियन्त्रण करेगा, निगम की स्थिति ठेकेदार की सी होगी । उन्हें नियन्त्रण प्राधिकार नहीं होगें । नियन्त्रण बोर्ड चाहे तो ठेका निगम को दे, या ठेकेदार को दे ।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** एक कटौती प्रस्ताव है ।

†**श्री रामचन्द्र रेड्डी :** मैं उसे वापिस लेता हूं ।

सभा की अनुमति से कटौती प्रस्ताव वापिस लिया गया

†**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि ३४,०७,००० रुपये से अनधिक अनुपूरक राशि, राष्ट्रपति को उन भारों के लिये, जिनका भुगतान "सिंचाई और विद्युत मंत्रालय" के लिये, ३१ मार्च, १९५७ को समाप्त होने वाले वर्ष में किया जायेगा ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**श्री कामत :** मांग संख्या १०९ के सम्बन्ध में मैं कुछ सूचना चाहता हूं । दिवंगत अध्यक्ष के अप्रैल, मई, जून और अगस्त के वेतन के बारे में यहां कुछ दिया गया है । परन्तु इसमें जुलाई और सितम्बर, का जिक्र नहीं है । और फिर यह भी स्पष्ट नहीं है कि प्रथम अक्तूबर १९५५ तक क्या हुआ ।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** मैं माननीय सदस्य का ध्यान उस परम्परा की ओर दिलाना चाहता हूं जिसके अनुसार लोक सभा से संबंधित सूचना केवल अध्यक्ष महोदय, अथवा उनके सचिवालय द्वारा ही दी जा सकती है । उसका उत्तरदायित्व किसी मंत्री पर नहीं ।

अब हम अतिरक्त अनुदानों की मांगों को लेते हैं । चूंकि इन पर कोई कटौती प्रस्ताव नहीं है इसलिये इन पर एक साथ चर्चा की जा सकती है ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**श्री कामत :** मैं पहले मांग संख्या १०१ लेता हूं। उसमें कहा गया है कि पानी बिजली की अधिक लागत के कारण खर्चा अधिक हुआ है। मैंने गत सत्र में भी एक प्रश्न के दौरान में कहा था कि मंत्रियों के घरों का पानी बिजली का खर्चा एक हजार रुपये के लगभग होता है। एक समाचार पत्र ने लिखा था कि वहां हमेशा दीपावली हुई रहती है ।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** इसकी चर्चा आम बजट में होगी।

†**श्री कामत :** मांग संख्या ९९ में खर्चे की अधिकता, 'भारी निर्माण कार्यक्रम' के कारण बताई गयी है। और यह निर्माण कार्य राष्ट्रपति भवन का था, इसलिए इस पर मतदान नहीं हुआ क्या इस सम्बन्ध में अपेक्षित जानकारी सदन में बताई जायेगी अथवा निजी रुप में बता दी जायेगी ?

†**उपाध्यक्ष महोदय :** यदि मंत्री महोदय के पास जानकारी होगी तो वह बता देंगे ।

†**श्री कामत :** मैं जानना चाहता हूं कि राष्ट्रपति भवन में कौन सा बड़ा निर्माण कार्यक्रम था। राष्ट्रपति तो बड़े सरल व्यक्ति हैं और अधिक खर्चा करने के विरुद्ध हैं। मैं जानना चाहता हूं कि इसकी आंवश्यकता क्या थी।

†**निर्माण, आवास तथा संभरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) :** स्वीकृत राशि के सम्बन्ध में फुट-नोट में उल्लेख है। यह वह वास्तविक खर्चा है जो एक साथ सामान पर खर्च किया गया। इसका पहले अन्दाजा नहीं लगाया जा सकता था कि सीमेंट, इस्पात इंटों तथा बिजली के सामान पर क्या खर्चा होगा। और यह अधिक खर्चा उसी के सम्बन्ध में है। ३४,००० रुपये की भारित राशि राष्ट्रपति की सम्पत्ति के लिये इमारती सामान खरीदने पर लगी। लोक लेखा समिति की इच्छा थी कि इसे संसद द्वारा विनियमित करा लिया जाना चाहिये। इस लिये उसे इसमें रखा है।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि कार्य सूची के तीसरे स्तम्भ में दी गयी राशियों से अनधिक अतिरिक्त राशियां राष्ट्रपति को, निम्नलिखित मांगों के सम्बन्ध में, जो दूसरे स्तम्भ में दिखाई गई हैं, ३१ मार्च, १९५३को समाप्त होने वाले वर्ष में व्यय की गयी राशियों को पूरा करने के लिये दी जायें।"

मांग संख्या	शीर्षक	अतिरिक्त अनुदान की राशि
		रुपये
३९	संघ तथा राज्य सरकारों के बीच विविध समायोजन	७०,०८४
६७	असैनिक प्रति रक्षा	२,८५५
७५	बहु प्रयोजनीय नदी योजनायें	१०,३७,१७७
९५	निर्माण, उत्पादन और संभरण मंत्रालय	४३,१७९
९९	अन्य असैनिक कार्य	२,३३,१४,३७६
१०१	निर्माण, उत्पादन और संभरण मंत्रालय के अधीन -विविध विभाग और व्यय	२५,००५
१०३	संसद सचिवालय के अधीन विविध व्यय	११०
१०५	भारतीय डाक तथा तार विभाग पर पूंजी व्यय	६२,३८,३३३
११४	वित्त मंत्रालय पर अन्य पूंजी व्यय	६,१८,०३२
११९	स्वास्थ्य मंत्रालय पर पूंजी व्यय	३३,३९,५०९

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

केरल राज्य के सम्बन्ध में अनुदानों की मांगें

†**उपाध्यक्ष महोदय :** अब वर्ष १९५६–५७ के वित्तीय वर्ष के लिये केरल राज्य की संचित निधि से विनियोजित अनुदानों की मांगों पर चर्चा और मतदान होगा। इसके बाद सम्बन्धित विनियोजन विधेयक लिया जायेगा। कार्य मंत्रणा समिति ने इसके लिये ५ घंटे रखे हैं। इसलिये क्या कुछ समय को सीमा निर्धारित कर दी जाय ?

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** (बसिर हाट) : मेरा विचार था कि इसे २५ तारीख के बाद लिया जायेगा ।

†**वित्त, लोहा और इस्पात मंत्री (ति० त० कृष्णमाचारी) :** क्या मैं स्थिति को स्पष्ट कर दूं ;

यह ३१ मार्च १९५७ के पूर्व के पांच मास के खर्च का औपचारिक विनियमन है। प्रथम अप्रैल से आरम्भ होने वाले नये वर्ष का बजट २५ तारीख को आ रहा है। मेरे विचार में माननीय सदस्य का यही मतलब होगा। हमारा बजट ३१ मार्च तक का है। जो मांगें रखी जायेंगी वह इसलिये हैं कि जब तक नई सरकार बन कर अपना बजट प्रस्तुत नहीं करती, प्रशासन को चालू रखा जाय। इस प्रकार का बजट २५ तारीख को प्रस्तुत होगा।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** मेरे विचार में उस दिन हम विदेशो मामलों पर विचार कर रहे हैं।

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी :** मूलत: यह २५ तारिख को ही था।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** मेरा सुझाव है कि इसे कल तक स्थगित कर दिया जाये। और अब कोई अन्य चर्चा कर ली जाये।

†**श्री अ० म० थामस :** (एरणाकुलम) : बजट पर तो सविस्तार चर्चा होगी ही। यह तो औपचारिक बात है।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** यदि माननीय सदस्य इसे सुविधापूर्ण समझें तो कोई कठिनाई होगी ?

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी :** श्री थामस ठीक कहते हैं कि यह औपचारिक है। परन्तु बात यह है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम की धारा ७५ के अनुसार सारा कार्य पहले से ही विधिवत है, सदन को केवल अपना मत प्रकट करना है। यदि सदन और अध्यक्ष का यही मत है कि सभी चीजें एक साथ ले ली जायें ; और कोई अतिरिक्त मांग नहीं होंगी तो मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। केवल इतना कहना चाहता हूं कि इसे पारित कर सदस्य किसी प्रकार वचन-बद्ध नहीं होंगे। उन्हें केरल के बजट के सम्बन्ध में सरकार की आलोचना का काफी अवसर मिलेगा।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** खर्चा तो हो गया है, हमें केवल अपनी मोहर लगानी है। अन्य मामले पर बजट के अवसर पर चर्चा की जा सकती है। यदि माननीय सदस्य चाहें तो इसे अभी पारित किया जा सकता है ।

†**श्री कामत** (हौशंगाबाद) : सभा को स्थगित कर दिया जाये ।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** यह सम्भव नहीं। सदस्यों को आम बजट के लिये जाने पर आपत्ति है।

मूल अंग्रेजी में

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : यदि आप केरल का बजट अभी लें, तो सम्बन्धित सदस्य तो जा चुके हैं। मेरा विचार था कि यह चर्चा २५ तारीख को होगी। यदि आय-व्ययक उपस्थापित होगा तो इस बिना चर्चा किये पास कर दिया जा सकता है।

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : मैं तैयार हूं। मेरा निवेदन है कि कुछ दिन हुए मैंने स्थिति पर प्रकाश डाला था। और जो कुछ इस सम्बन्ध में कहा जा सकता था, कहा था। यदि सदन चाहे तो इसे पास कर सकता है।

केरल राज्य के सम्बन्ध में १९५६-५७ के लिए ये मांगें प्रस्तुत की गईं :—

मांग संख्या	शीर्षक	मांग की राशि
		रुपये
१	कृषि आय कर और बिक्री कर	७,४६,४००
२	भू-राजस्व	२४,२५,७००
३	उत्पादन शुल्क	७,६६,१००
४	स्टाम्प	३,९५,२००
५	बन	५५,४७,८००
६	रजिस्ट्रेशन	८,०२,०००
७	गाड़ियों पर कर	६,५८,६००
८	सिंचाई	१०,२३,०००
९	राज्य-पाल मंत्री और मुख्यालयों के कर्मचारी	२०,५६,६००
१०	राज्य विधान मंडल	८७,७००
११	निर्वाचन	२१,१९,६००
१२	जिला प्रशासन और विविध	२६,९९,२००
१३	न्याय व्यवस्था	२४,१३,०००
१४	जेल	७,८६,२००
१५	पुलिस	३७,३४,३००
१६	वैज्ञानिक विभाग	१,३९,०००
१७	शिक्षा	४,१९,८७,५००
१८	चिकित्सा	८९,९५,०००
१९	सार्वजनिक स्वास्थ्य	२७,९७,५००
२०	कृषि	५१,१३,४००
२१	ग्राम विकास	४६,४७,६००
२२	पशु चिकित्सा	६,९२,८००
२३	सहकारिता	१०,५५,९००
२४	उद्योग	१,१७,७२,४००
२५	श्रमिक और विविध	४८,९२,०००
२६	असैनिक कार्य	२,३९,९२,७००
२७	विद्युत	३४,२१,०००
२८	निवृत्ति-वेतन	४४,५३,०००
२९	लेखन-सामग्री तथा मुद्रण	१५,३८,८००

† मूल अंग्रेजी में

मांग संख्या	शीर्षक	मांग की राशि
३०	विविध	१९,२६,०००
३१	सामुदायिक विकास परियोजनायें आदि	६४,४०,४००
३२	परिवहन योजनायें	७१,१७,९००
३३	सिंचाई पर पूंजी व्यय (वाणिज्यिक)	९१,००,४९०
३४	सिंचाई पर पूंजी व्यय (वाणिज्यिक)	५९,८४,२००
३५	कृषि सुधार पर पूंजी व्यय	४६,१००
३६	औद्योगिक विकास पर पूंजी व्यय	६८,७१,१००
३७	असैनिक कार्यों पर पूंजी व्यय	३,१६,८२,१००
३८	विद्युत योजनाओं पर पंजी व्यय	२,५६ ३७,५००
३९	राजस्व लेखे के अतिरिक्त अन्य कार्यों पर पूंजी व्यय	३७,५३,५००
४०	राजस्व के अतिरिक्त परिवहन योजनाओं पर पूंजी व्यय	१६,१७,३००
४१	निवृति वेतनों का राशिकृत मूल्य	४०,०००
४२	सरकार द्वारा व्यापार की राज्य योजनाओं पर पूंजी व्यय	२९,३८,०००
४३	राज्य सरकार द्वारा देय ऋण तथा अग्रिम धन	१,५३,०८,५००

†**श्री अ० म० थामस** : श्रीमान उपाध्यक्ष महोदय, मह सब वह चर्चा है जिसका कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम की व्यवस्था के अनुसार केरल के राज्यपाल को खर्च करने का अधिकार है। परन्तु फिर भी यह अच्छा है कि अधिनियम के लिये इसे सदन के समक्ष लाया गया है। अन्य राज्य भी जहां राज्य पाल को इसी अधिनियम के अनुसार यह अधिकार प्राप्त है, इसी प्रकार ऐसे खर्चे अपने विधान मंडल के समक्ष प्रस्तुत करने का ही ढंग अपनायेंगे।

यह ठीक है कि हम १३ नवम्बर १९५६ के बाद की रिपोर्ट के अभाव में सारे मामले पर अच्छी प्रकार चर्चा नहीं कर सकते। मैं निवेदन करूंगा कि मंत्री महोदय को आदेश देकर इस प्रकार की व्यवस्था करनी चाहिये कि केरल बजट पर विचार करने से पूर्व रिपोर्ट उपलब्ध हो सके। अन्यथा इसका कोई लाभ नहीं होगा। इसके साथ ही रिपोर्ट आद्यावधिक होनी चाहिये। इसी मास की १९ तिथि को स्वयं मंत्री महोदय ने कहा था कि वर्ष के अन्तिम परिणामों के फलस्वरूप राज्य के १९५७–५८ के बजट की स्थिति काफी सुधर जायेगी।

राष्ट्रपति राज की जो अन्तिम रिपोर्ट सदन के समक्ष प्रस्तुत की गयी थी उसमें कहा गया था द्वितीय पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत राज्य के विकास कार्यों के लिये १६ करोड़ रुपये रखे गये थे, परन्तु अक्तूबर १९५६ तक केवल ४.७६ करोड़ ही खर्च किये गये थे। मैं जानना चाहता हूं कि अब इस रुपये का उपयोग कर लिया जायेगा। परन्तु वित्त मंत्री के वक्तव्य से मुझे यह भय है कि सारी राशि का उपयोग नहीं होगा।

विभिन्न परिशिष्टों में दिये गये बजट अनुदानों के विषयों को देखने से पता चलता है कि इस बजट को तैयार करते समय सरकार ने परिवर्तित स्थिति की ओर समुचित ध्यान नहीं दिया है। केरल के तटीय क्षेत्रों के समुद्रीय मिट्टी के कटाव की ओर सारे देश का ध्यान आकृष्ट हुआ है और केन्द्रीय सरकार ने इसे रोकने के लिये सहायता देकर अच्छा काम किया है। परन्तु यह सब केरल राज्य के त्रावनकोर कोचीन के क्षेत्र के लिये है, और फोर्ट कोचीन क्षेत्र जो मूलतः मद्रास राज्य में था अब केरल मे है। इस समुद्रीय मिट्टी के कटाव की रोकथाम का काम वहां हो रहा है, जहां

†मूल अंग्रेजी में

ये क्षेत्र समाप्त होता है। सामुद्रिय दीवारों आदि से कुछ खतरा कम तो हुआ है। परन्तु मालाबार क्षेत्र के लिये गत बजट में कोई व्यवस्था नहीं की गयी थी इस लिये उसकी ओर ध्यान नहीं दिया गया। इन इलाकों की उपेक्षा के कारण लाखों की हानि हुई है।

यह तो वित्त मंत्री भी मानेंगे कि इलाका बहुत ही मूल्यवान है। अब भी इस क्षेत्र को पंचवर्षीय योजना में नहीं रखा गया।

एक बात यह भी है कि ग्रामों में बिजली के लिये बजट में काफी राशि रखी गयी है। परन्तु जिन अधिकारियों को १० हजार से ५० हजार तक खर्च करने का अधिकार था, उन्होंने यह कह कर खर्च नहीं किया कि सामान उपलब्ध नहीं है। इस विभाग को सामान संभरण का कोई प्रबन्ध होना चाहिए ताकि ग्रामों में बिजली का कार्य प्रगति कर सके।

इसी प्रकार औद्योगिक विकास के लिये रखी राशि भी खर्च नहीं की गयी। केन्द्रीय सरकार को इसी वर्ष औद्योगिक विकास पर खर्चा करने की व्यवस्था करनी चाहिए और जो बच जाये, वह आगामी वर्ष की राशि को साथ मिला कर खर्च किया जाय। इन शब्दों से मैं केरल सरकार द्वारा किये गये खर्चे को विनियमित करने के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

† **श्री पोकर साहेब** (मलप्पुरम्) : मैं केरल राज्य के निर्माण से पहले से कहता आ रहा हूं कि मालाबार की ओर उचित ध्यान नहीं दिया जा रहा है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भी उसके विकास के लिये कोई व्यवस्था नहीं की गई है। सरकार के स्वीकार करने पर भी, कागज बनाने की मिल वहां अभी तक आरम्भ नहीं की गई है। इसके लिये वहां सभी सुविधायें सुलभ हैं और वहां की बेरोजगारी की समस्या को हल करने के लिये इसकी बड़ी आवश्यकता भी है। माननीय मंत्री को इसकी ओर विशेष ध्यान देना चाहिये।

† **श्री नम्बियार** : राज्यों के पुनर्गठन के समय ही यह मांग उठाई गई थी कि केन्द्रीय सरकार को उस समय के केरल राज्य की लोकतांत्रिक व्यवस्था में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये। त्रावनकोर में राज्य विधान मण्डल और राष्ट्रपति को उसका कार्य अपने अधीन नहीं करना चाहिये था।

बाद में, मद्रास राज्य के पुनर्गठन के समय मालाबार का भाग उस में से अलग कर दिया जाने पर, मालाबार के उस भाग के प्रतिनिधि त्रावनकोर-कोचीन राज्य के विधान मण्डल के साथ मिलकर नये केरल राज्य का विधान मण्डल बना सकते थे। लेकिन, उसे राष्ट्रपति के शासन में रख दिया गया था।

और, अब हमसे कहा जा रहा है कि हम त्रावनकोर-कोचीन में किये गये व्यय के सम्बन्ध में अपनी राय व्यक्त करें। यह कार्य तो सही रूप में राज्य विधान मण्डल ही कर सकता था, लेकिन केन्द्रीय सरकार ने उसे तो समाप्त ही कर दिया था।

अब, केरल राज्य में अगले पांच वर्षों तक एक स्थायी सरकार रहेगी, और केन्द्रीय सरकार से मेरा अनुरोध यही है कि वह नये केरल राज्य के लिये कठिनाइयां पैदा न करे, उसमें हस्तक्षेप न करे। केन्द्रीय सरकार को उसकी सहायता करनी चाहिये।

इस प्रस्ताव की आलोचना करने में अब कोई भी सार नहीं है। सरकार ने केरल में गलती की है और इस गलती को उन्हें अन्य राज्यों में नहीं दोहराना चाहिये। इस गलती के कारण, केरल की जनता को बड़ा कष्ट उठाना पड़ा है।

मैं गत काल को भूल जाने के लिये तैयार हूं, लेकिन अब केन्द्रीय सरकार को भविष्य में नये केरल राज्य को सभी उचित सहायता देनी चाहिये, और उसमें फिर से राष्ट्रपति का शासन स्थापित करने का प्रयास नहीं करना चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में

† **श्री ति० त० कृष्णमाचारी :** श्री अ० म० थामस ने जो कुछ भी कहा है, मुझे उसके सम्बंध में कुछ अधिक नहीं कहना है, लेकिन मेरा विचार है कि आज से कुछ दिन बाद केरल के आय-व्ययक के सम्बन्ध में जो चर्चा की जायेगी, उस समय भी वे अपनी बहुत सी यही बातें दोहरा सकते हैं । मैं यह मानता हूं कि कभी कभी एक क्षेत्र में समुद्र द्वारा होने वाले कटाव को रोकने का फल यह होता है कि वह पास के दूसरे क्षेत्र में आरम्भ हो जाता है । उन्होंने ठीक ही कहा है कि इंजीनियर लोग इस बात को जानते हैं, फिर भी वे गलती करते ही जाते हैं ।

उन्होंने विकास सम्बन्धी व्यय की धीमी प्रगति का भी उल्लेख किया है । उन्होंने उसका यह कारण भी बता दिया है कि कभी कभी कार्यक्रम तो होता है पर उसके लिये आवश्यक सामग्री नहीं होती, उसे प्राप्त करने में समय लगता है । हो सकता है कि इसमें अधिक समय कुछ ऐसी परिस्थितियों के कारण लगा हो, जिन पर कि सरकार का कोई नियंत्रण न हो ।

एक अन्य माननीय मित्र, श्री पोकर साहेब ने, मद्रास सरकार द्वारा की जाने वाली मालाबार की उपेक्षा का उल्लेख किया है । मैं पूर्ण विश्वास के साथ नहीं कह सकता कि इस चीख-पुकार में कहां तक सत्य है । मैं तो समझता हूं कि मालाबार भी शेष मद्रास जितना ही सम्पन्न है । हमने केन्द्रीय सरकार की ओर से अपने क्षेत्र में मालाबार में कुछ परीक्षण किये थे और मेरा विचार है कि वे सफल भी हुए थे । हमने वहां दो हथकरघा औद्योगिक सहकारी समितियां आरम्भ की थीं । वे दोनों काफी अच्छी तरह चल रही हैं। हमने पाल घाट में एक औद्योगिक क्षेत्र भी बनाया था । वहां कड़े पुट्ठे की एक और प्लाईवुड की भी एक फैक्टरी खड़ी हो रही है । कागज बनाने के कारखाने के सम्बंध में जांच-पड़ताल चल रही है । ये फैक्टरियां वहां निजी क्षेत्र को स्थापित करनी हैं । सरकार अवश्य ही उन्हें पूरा पूरा प्रोत्साहन देगी ।

मालाबार पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, यह सही है । मद्रास भी तो पिछड़ा हुआ है। लेकिन, माननीय मित्र का यह कथन उचित नहीं है कि मालाबार के पिछड़ेपन का कारण मद्रास की उपेक्षा ही है । मालाबार की शायद मद्रास राज्य की ओर से कुल व्यय में से उतना ही व्यय मिला है जितना कि उस क्षेत्र के लिये उचित समझा गया था । इसलिये, अब पिछले समय की बातों पर चर्चा करने में कोई सार नहीं है । केरल के आय-व्ययक सम्बंधी चर्चा के समय, शायद हमें भविष्य के बारे में कुछ सुझाव मिलेंगे, और केरल की नयी सरकार उन सुझावों पर पूरा-पूरा ध्यान देगी और उसके लिये जो भी आवश्यक होगा, करेगी । भारत सरकार अवश्य ही पूरे देश की उन्नति और कल्याण के लिये उत्तरदायी है, और वह निश्चय भारत के प्रत्येक भाग की उन्नति और कल्याण के लिये अपने कर्त्तव्य के अनुसार भरसक प्रयत्न करेगी । मेरे माननीय मित्रों, और विशेषकर श्री नम्बियार ने, यह मान लिया है कि सभा में प्रस्तुत इस प्रस्ताव विशेष पर अधिक चर्चा करने में अब कोई सार नहीं है । मेरा सुझाव है कि सभा हमारे इन प्रस्तावों का अनुमोदन कर दे ।

† **उपाध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि कार्य-सूची के तीसरे स्तम्भ में दिखाई गई राज्य पुनर्गटन अधिनियम की धारा ७० के अन्तर्गत प्राधिकृत, राशियों से अनधिक राशियां राष्ट्रपति को, निम्नलिखित मांगों के सम्बन्ध में, जो दूसरे स्तम्भ में दिखाई गई हैं, केरल राज्य की संचित निधि में से, उन भारों के लिये दी जायें जिनका भुगतान ३१ मार्च, १९५७ को समाप्त होने वाले वर्ष के अन्तिम पांच महीनों में किया जायेगा ।

मांग संख्या १ से ४३ तक ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

सामान्य आय-व्ययक—सामान्य चर्चा

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अब सभा सामान्य आय-व्ययक के सम्बन्ध में सामान्य चर्चा करेगी।

16.24 hrs.

राजमाता कमलेन्दुमति शाह : (जिला गढ़वाल-पश्चिम व जिला टिहरी गढ़वाल व जिला बिजनौर—उत्तर) : श्रीमान् डिप्टी स्पीकर साहब, मैं आपको धन्यवाद देती हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

उपाध्यक्ष महोदय : यह धन्यवाद मुझे नहीं चाहिए और मैम्बरों को चाहिए।

राजमाता कमलेन्दुमति शाह : मुझे जनरल बजट (सामान्य आय-व्ययक) पर बोलने का मौका मिला है इसकी मुझे बहुत खुशी है।

सबसे पहली बात जो मैं माननीय मंत्री महोदय को बतलाना चाहती हूं वह यह है कि हमारे जंगलात बहुत बुरी तरह से काटे जा रहे हैं। ऐसी अवस्था में केन्द्रीय सरकार का यह फर्ज हो जाता है कि वह प्रान्तीय सरकार को यह बताये कि इस प्रकार से जंगल न काटे जायें। जो जंगलात के अधिकारी हैं वे एक तरफ तो कहते हैं कि उनको जंगलात लगाने हैं और दूसरी तरफ वे उनको बुरी तरह से काटते हैं। वे ऐसी जगहों के जंगल काटते हैं और ऐसी जगहों पर लगाते हैं कि जिससे जनता को बहुत असुविधा होती है। रियासत के विलीनीकरण से पहले जर्मनी से एक विशेषज्ञ आया था। उसने बहुत अच्छी तरह से जंगलों के हिस्से बनाये थे और बतलाया था कि किस प्रकार से उनका प्रबन्ध किया जाये। उसने इस विषय पर बहुत सी किताबें लिखीं थीं जिनके अनुसार प्रबन्ध करने से काटने जाने पर भी जंगल कभी खत्म न हों। उसने छोट छोटे ब्लाक्स (खंड) बनाये थे जिनको क्रम से काटा और बसाया जाता था। उस तरह से यदि काम किया जाय तो जैसे जैसे जंगल काटे जायें वैसे वैसे नये जंगल भी पैदा होते जायेंगे। यदि वर्तमान प्रान्तीय सरकार के जंगलात के अधिकारी उस नियम का पालन करें तो काटने पर भी जंगल खत्म न हों और आय भी बढ़ती जाये। मेरे पति के समय में उन जंगलों से २३ लाख रुपये की सालाना आय होती थी लेकिन अब मालूम नहीं इनको काट कूट कर क्या रहेगा। इसलिए मेरा पहला अनुरोध यह है कि इन जंगलात को इस तरह से न काटा जाये। मैं यह मानती हूं कि जंगलों की व्यवस्था करना प्रान्तीय सरकार का कर्त्तव्य है और केन्द्रीय सरकार को यह सिर दर्द नहीं लेना है। लेकिन जब प्रान्तीय सरकार इन जंगलात को काट कूट कर खत्म कर रही हो तो केन्द्रीय सरकार का यह फर्ज हो जाता है कि वह प्रान्तीय सरकार को जंगलात को बुरी तरह काटने से रोके। सरकार जानती है कि इस प्रकार जंगलात काटने से क्या क्या हानियां होती हैं। सबसे पहली बात तो यह होगी कि कुछ भी बाकी नहीं रहेगा और कुछ वर्षों में जंगल खत्म हो जायेगा। दूसरी हानि यह होगी कि जंगल कट जाने से पहाड़ों का इरोजन (कटाव) होगा और पहाड़ गिर जायेंगे और जो बाढ़ें अभी आती हैं उनसे दस गुनी ज्यादा आने लगेंगी।

जंगलात के अधिकारी जो नये जंगल लगाते हैं उनको गांवों के नजदीक लगाते हैं जिससे गाव वालों को अपने पशुओं को चराने की ओर लकड़ी लेने की सुविधा नहीं रहती। ऐसी अवस्था में वे सोचते हैं कि कहां चले जायें क्योंकि उन गांवों में उनका निर्वाह कठिन हो जाता है। इस विषय में मैंने फिर कंजरवेटर साहब से बात की पर इस पर कोई विचार नहीं हो रहा है। ७६०० मील का जिले में दौरा करने के बाद उनके जंगल का सारा नक्शा मेरी आंखों के सामने है। मैं ने अधिकारियों को भी बतलाया कि बाकी कौन कौन से ऐसे स्थान हैं जहां जंगल लगाने चाहिए लेकिन इस ओर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। वह मेरी बात नहीं मानते।

दूसरा मुझे यह निवेदन करना है कि हमारे यहां यातायात के साधन बहुत ही कम हैं। कल भी मैं ने इस विषय में निवेदन किया था। मेरा निवेदन है कि हमको यातायात की अधिक से अधिक

---

†मूल अंग्रेजी में।

सुविधाय दी जाये। जब तक हमें यह सुविधा नहीं मिल जायगी मैं बार बार मंत्री महोदय से इस विषय में प्रार्थना करती रहूंगी। मेरा निवेदन है कि केन्द्र से जो धनराशि प्रान्त को यातायात के लिए दी जाती है वह यहां से सीधी जिलों को बांट दी जाये। कुमाऊं डिवीजन में पांच जिले हैं। इन सब जिलों के लिए यहां से इकट्ठी रकम दी जाती है और उसका वितरण प्रान्तीय सरकार पर छोड़ दिया जाता है। जिसका परिणाम यह होता है कि अधिकांश रकम नैनिताल, अलमोड़ा आदि जिलों पर खर्च हो जाती है और टिहरी गढ़वाल को बहुत कम मिलती है और जो मिलती भी है वह भी साल के अन्त में मिलती है जिससे उसको पूरा खर्च नहीं किया जा सकता और वह लेप्स (व्यपगत) हो जाती है। इसलिए मेरा निवेदन यह है कि या तो यह रकम सीधी हर एक जिले को यहां से दी जाये अथवा प्रान्तीय सरकार को यह आदेश किया जाये कि फलां फलां जिले को इतनी रकम दी जाये। यदि ऐसा नहीं होगा तो हमको हमारा पूरा हिस्सा नहीं मिल पायेगा।

दूसरा निवेदन मुझे यह करना है कि हमारे यहां से अच्छी अच्छी नदियां निकलती हैं लेकिन मुझे बड़ा अफसोस है कि न अभी तक हमारे यहां कोई बांध बनाया गया और न बिजली के उत्पादन का कोई प्रोजेक्ट (परियोजना) जारी किया गया। मैं मंत्री महोदय से प्रार्थना करती हूं कि हमको बिजली का कोई प्रोजेक्ट दिया जाये ताकि हमारे यहां सब जगह बिजली जा सके या उससे छोटे बड़े उद्योग चल सकें और कुटीर उद्योगों का विकास हो सके।

और चीजों के बारे में मैं अभी पूरी तरह विचार नहीं कर सकी हूं। उन को मैं लिख कर भेज दूंगी। अभी मुझे इतना ही निवेदन करना है।

श्री नि० बि० चौधरी (घाटल) : अब द्वितीय पंचवर्षीय योजना को आरम्भ हुए पूरा एक वर्ष हो चुका है। यदि सरकार कृषि और उद्योग सम्बन्धी अपनी कराधान की नीतियों में परिवर्तन नहीं करेगी तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना से हमने जो आशायें लगाई हैं वे पूरी नहीं हो सकें ी।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था—जनता के रहन-सहन के स्तर को ऊंचा करना, आय की असमताओं को दूर करना और तेजी से देश का औद्योगीकरण करना। लेकिन, इस आय-व्ययक में इनकी ओर उचित ध्यान नहीं दिया गया है।

कराधान की सरकारी नीति से सामान्य जनता पर ही अधिक भार पड़ेगा, उसके रहन-सहन के स्तर में सुधार नहीं होगा। आय-व्ययक में कुटीर उद्योग के लिये भी अधिक वित्तीय सहायता की व्यवस्था नहीं की गई है। पिछले आय-व्ययक में इसके लिये जो राशियां रखी गई थीं, उनको भी व्यय नहीं किया गया था। इस बार भी उस परिस्थिति में कोई अन्तर नहीं हुआ है।

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय की ओर से पश्चिम बंगाल में एक कांसावती जलाशय परियोजना स्वीकार की गई है। मैं ने पहले भी मांग की थी कि इस परियोजना को शिलावती नदी परियोजना के साथ ही साथ आरम्भ करना चाहिये। लेकिन, द्वितीय पंच वर्षीय योजना में इन परियोजनाओं के लिये पर्याप्त राशियों की व्यवस्था नहीं की गई है। जब तक ये दोनों परियोजनायें साथ साथ आरम्भ नहीं की जातीं, तब तक उनसे पूरा-पूरा लाभ नहीं उठाया जा सकता और उस क्षेत्र में बाढ़ों और अकालों का प्रकोप रोकने के लिये इनकी बड़ी आवश्यकता है। इसलिये, मेरा अनुरोध है कि सरकार इनके सम्बन्ध में और अधिक गम्भीरता से विचार करे, और वहां के निचले प्रदेशों का उचित सर्वेक्षण कराये।

दामोदर घाटी परियोजना में भी निचली घाटियों की ओर उचित ध्यान नहीं दिया गया था। इसलिये, हमें कांसावती और शिलावती नदियों के निचले प्रदेशों की ओर उचित ध्यान देना चाहिये। मंत्रालय को इस पर विचार करना चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में।

इन परियोजनाओं में कांसावती नदी की निचली घाटियों की ओर उचित ध्यान नहीं दिया गया ह । उनमें कई परिवर्तन भी हो चुके हैं । इसलिये, आवश्यक है कि इन निचले प्रदेशों का उचित रूप में सर्वेक्षण किया जाये । परियोजना अधिकारियों ने द्वितीय पंच वर्षीय योज़ना काल में जो अधिक राशियों के बंटवारे की मांग की है, उस पर विचार होना चाहिये ।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना ने असमानताओं को कम करने का उद्देश्य सामने रखा था, लेकिन सरकार ने योजना को कार्यान्वित करने में उस पर अमल नहीं किया है । सरकार को उसके लिये उपाय करने चाहिय ।

श्री काल्डोर के अनुसार, हमारे यहां प्रतिवर्ष २०० से ३०० करोड़ रुपयों के कर की अपवंचना की जाती है । इस त्रुटि को दूर करने के लिये कोई भी गम्भीर प्रयास नहीं किया गया है । सरकार बैंकों और अन्य सट्टेबाजों पर तो ठीक से नियंत्रण करती नहीं है, लेकिन जनता पर अप्रत्यक्ष कर लादती जा रही है । अत्यावश्यक वस्तुओं पर करारोपण किया जा रहा है । इस ढंग से तो हम असमानताओं को दूर नहीं कर सकेंगे ।

श्री काल्डोर ने बहुत ही स्पष्ट रूप में कहा है कि यदि कराधान की वर्तमान नीति के साथ ही साथ, इस योजना काल में १२०० करोड़ रुपयों तक के घाटे की अर्थ-व्यवस्था भी अपनाई जायेगी, तो उससे असमानतायें और भी अधिक हो जायेंगी । इसलिये, सरकार को ऐसे संसाधन ढूंढ़ निकालने चाहियें जिनसे देश की आय तो बढ़े पर सामान्य जनता पर करों का भार न बढ़े ।

अन्त में, मुझे यही कहना है कि पश्चिम बंगाल की रूपनारायण नदी का उचित सर्वेक्षण कराया जाना चाहिये । उस नदी को जहाजरानी के योग्य बनाने का उपाय करना चाहिये । उसकी बाढ़ें भी नियंत्रित करनीं चाहियें । कुछ समय पहले इसका वचन दिया गया था, लेकिन उस संबंध में अभी तक कुछ भी नहीं किया गया है । कोला घाट में अवश्य ही एक पुल बनाने के संबंध में विचार किया जा रहा है, लेकिन शायद वह भी बिना खम्भों का झूला पुल नहीं होगा, और उससे आसपास के क्षेत्रों के लिये और भी कठिनाई पैदा हो जायेगी। सरकार को वहां एक झूला पुल बनाने के साथ ही साथ, रूपनारायण नदी में परिवहन की दशा सुधारने के लिये कोई परियोजना भी कार्यान्वित करनी चाहिये ।

†श्री ह० ग० वैष्णव (अम्बड़) : मराठवाड़ा पहले हैदराबाद राज्य का भाग था, और अब वह बम्बई राज्य में संविलित किया जा चुका है । इसलिये हमें इस बात की सावधानी रखनी चाहिये कि हैदराबाद सरकार ने उस भाग के लिये द्वितीय पंच वर्षीय योजना काल की जो योजनायें तैयार की थीं, उनको उचित ढंग से निष्पादित किया जाये । पहले की हैदराबाद सरकार ने इसके विकास की ओर उचित ध्यान नहीं दिया था ।

इस क्षेत्र के विकास के लिये, द्वितीय योजना में लगभग २५.६ करोड़ रुपयों की राशि आवंटित की गई है । मेरा अनुरोध है कि इस राशि में और वृद्धि की जाये । विभिन्न योजनाओं को, जिन्हें निधि के अभाव के कारण, कार्यान्वित नहीं किया जा सका था, अब कार्यान्वित करना चाहिये । इस क्षेत्र में सबसे अधिक आवश्यकता सिंचाई योजनाओं की है । द्वितीय योजना में केवल एक ही बड़ी सिंचाई योजना—पूर्ण परियोजना—को स्थान दिया गया है । आशा है कि यह परियोजना निर्धारित समय में पूरी हो जायेगी ।

इसके अतिरिक्त, बीड़ जिले में गोदावरी परियोजना भी आरम्भ की जा सकती है। मंत्रालय ने इस पर विचार करने का वचन भी दिया है । इससे दो जिलों के विकास में सहायता मिलेगी । इस क्षेत्र की ओर केन्द्र को ही अधिक ध्यान देना चाहिये, क्योंकि बम्बई राज्य की अपनी विभिन्न योजनायें भी

†मूल अंग्रजी में ।

है और इसलिये वह इसकी ओर उतना अधिक ध्यान नहीं दे पायेगी। केन्द्रीय सरकार को इस क्षेत्र में कुछ नये सर्वेक्षण कराने चाहियें। इस क्षेत्र में शिक्षा का भी बड़ा अभाव है। मराठवाड़ा विश्वविद्यालय की स्थापना की बड़ी आवश्यकता है। बम्बई राज्य ने उसके लिये सहमति तो दे दी है, पर व्यय के लिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को भी कुछ व्यवस्था करनी चाहिये।

औरंगाबाद के प्रसारण केन्द्र को भी पुनः चालू करना चाहिये। मंत्रालय ने भी उसे मनमाने ढंग से बंद कर दिया था। इस क्षेत्र में प्रसारण केन्द्र की बड़ी आवश्यकता है।

औरंगाबाद नगर को भी विकसित करने की बड़ी आवश्यकता है। अब वह बम्बई राज्य के एक डिवीजन का केन्द्र बन गया है। पर्यटकों के दृष्टिकोण से भी उसका काफी महत्व है। एलौरा और अजन्ता के कारण यहां तमाम पर्यटक आते रहते हैं। इसलिये, इस नगर को उचित ढंग से विकसित करना चाहिये।

मराठवाड़ा में सामुदायिक परियोजनायें बहुत ही थोड़ी हैं। राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंड भी आवश्यकता से बहुत कम है। इस क्षेत्र में इनकी ओर विशेष ध्यान देना चाहिये। यहां और अधिक राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंडों और दो या तीन और अधिक सामुदायिक परियोजनाओं की आवश्यकता है, तभी गांवों का विकास सम्भव हो सकेगा।

यदि इस क्षेत्र की शिक्षा, कृषि और सिंचाई की ओर उचित ध्यान दिया जाये, तो यह बम्बई राज्य के सबसे अधिक सम्पन्न भागों में से एक बन सकता है। यहां उसकी सम्भावनायें मौजूद हैं।

†**श्री केशव अय्यंगार** (बंगलौर उत्तर) : हाल के चुनावों ने सिद्ध कर दिया है कि जनता हमारी सरकार के वैदेशिक कार्य विभाग के अतिरिक्त अन्य सभी विभागों की कटु आलोचक बन गई है।

मेरा अपना विचार है कि हमें सबसे पहले अपने देश के सबसे निचले वर्ग की दशा सुधारने को ही प्राथमिकता देनी चाहिये। शहरों में, गन्दी बस्तियों की ओर ही सबसे अधिक ध्यान देना चाहिये। लेकिन, हमने ऐसा नहीं किया है। १९५० में, बंगलौर में लगभग ३६ गन्दी बस्तियां थीं, अब वे ९२ हो गई हैं। इस दिशा में पर्याप्त प्रयत्न नहीं किया जा रहा है। इसमें सबसे बड़ी बाधा यह है कि राज्य सरकारें या सम्बन्धित निगम इसके लिये आवश्यक राशियां नहीं जुटा पाते। ऐसा कोई मार्ग निकालना चाहिये, जिससे कि केन्द्रीय सरकार की ओर से इसके व्यय को पूरा किया जा सके। बंगलौर की जनता का लगभग १/५ भाग गन्दी बस्तियों में रहता है। इसलिये, इस नगर की गन्दी बस्तियों की समस्या बहुत अधिक महत्वपूर्ण बन गई है।

बंगलौर में, बड़े बंगलों के भी एक-एक कमरे में पांच-छैः परिवार रहते हैं। मैं ने इसका कारण भी पता लगाया था कि केन्द्रीय सरकार द्वारा दिये गये अनुदान ठीक समय पर मंजूर नहीं किये जाते, और इसलिये नगरों में कम आय वाली जनता के समूह को भी उन अनुदानों से कोई लाभ नहीं हो पाता। सहकारी समितियों के पास लाखों मंजूर शुदा प्रार्थना-पत्र पड़े हैं, पर अनुदान न होने से मकानों का निर्माण ही नहीं होता। सरकार इस दिशा में पर्याप्त प्रयास नहीं कर रही है। सरकार बड़े बड़े प्रासादों पर ही अधिक राशि व्यय कर रही है। इनसे संबंधित अनुदानों आदि के लिये प्रयुक्त होने वाले लाल फीतावाद को दूर किया जाना चाहिये।

[श्री बर्मन पीठासीन हुए]

औद्योगिक क्षेत्र में, सार्वजनिक क्षेत्र में भी कर्मचारियों और प्रबन्धक गणों के बीच उचित सम्बन्ध नहीं रहे हैं। हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड के २०,००० कर्मचारी बड़े ही संयत और

†मूल अंग्रेजी में

वैधानिक रूप में अपनी मांगें उठाते रहे हैं, लेकिन लगता है कि सरकार इस पर उनको दण्डित करने जा रही है; जब कि अन्य कारखानों आदि के कर्मचारियों ने अशिष्टता करते हुए भी अपनी मांगें मंजूर करा ली हैं। पता नहीं मैसूर सरकार के राजी होने पर भी, केन्द्रीय सरकार क्यों उसमें आपत्ति कर रही है। कम से कम सार्वजनिक क्षेत्र में तो हमें कर्मचारियों और प्रबन्धकगणों के बीच आदर्श सम्बन्धों का उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिये, जिससे कि निजी क्षेत्र में उनका अनुसरण किया जा सके।

हमने निजी क्षेत्र को भी अपने वचनों के अनुसार प्रोत्साहन नहीं दिया है। रेलों के यात्री डिब्बों के निर्माण के लिये यदि कोई निजी क्षेत्र में से तैयार भी होता है, तो उसे उचित प्रोत्साहन नहीं दिया जाता। जब तक निजी क्षेत्र अपने आपको हमारे योजनीकरण की नीतियों और सिद्धान्तों के अनुकूल बनाये रहता है, तब तक हमें उसे पूरा-पूरा प्रोत्साहन देना चाहिये।

पिछड़े वर्गों और अन्य लोगों को केन्द्रीय सरकार द्वारा दी जाने वाली छात्रवृत्तियों की भी यह स्थिति है कि उनके आर्डर व्यपगत हो जाते हैं, पर उनका नवीकरण नहीं किया जाता। यदि हम ध्यान दें, तो इन सभी बातों में सुधार कर सकते हैं। छात्रवृत्तियों के बंटवारे के सम्बंध में कुछ ऐसे नियम हैं जो बाधक बनते हैं। उनमें रूपभेद करना चाहिये। समय पर उनका नवीकरण न हो पाने पर, उन विद्यार्थियों को पूरी फीस देनी पड़ती है।

जलसम्भरण के सम्बन्ध में भी बंगलौर नगर की जनता को बड़ी कठिनाई है। पहले यहां जल-सम्भरण निःशुल्क था और उसकी व्यवस्था भी बड़ी अच्छी थी। लेकिन अब यहां कुछ बस्तियों में ग्यारह बजे रात से दो बजे सुबह तक ही जल मिल पाता है। मुझे बताया गया है कि इसका कारण यही है कि केन्द्रीय सरकार ने ठीक समय पर योजनाओं को मंजूरी नहीं दी है और उसके लिये आवश्यक निधियां भी ठीक समय पर नहीं दी गईं।

सरकार को सामान्य जनता की आवश्यकता की सभी वस्तुओं के मूल्यों का नियंत्रण करने के तरीके निकालने चाहियें। जब तक हम मूल्यों की वृद्धि नहीं रोक सकेंगे, तब तक जनता हमारी नीतियों को पसंद नहीं करेगी। मैं इन मांगों का समर्थन करता हूं।

†**अध्यक्ष महोदय** : पंडित ठाकुर दास भार्गव।

पंडित ठाकुर दास भार्गव (गुड़गांव) : माननीय चेयरमैन साहब, मैं आपका बड़ा मशकूर (कृतज्ञ) हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका अता फरमाया।

आज जो देश की हालत है वह, जैसा कि श्री केशव अय्यंगार जी ने फरमाया, सभी मेम्बरान पर रोशन है क्योंकि वे अपनी अपनी कांस्टीट्यूएंसीज (निर्वाचन क्षेत्रों) का ताजा ताजा दौरा करके आये हैं। लोगों की तकालीफ हम पर अच्छी तरह रोशन हो गयी हैं। यह सही है कि यह कहा जाता है कि हम अपनी कांस्टीट्यूएंसीज में लोगों को एजूकेट (शिक्षित) करने के लिए जाते हैं लेकिन यह भी सही है कि हम हर बार ज्यादा एजूकेट होकर वापस आते हैं। आज मेरे दिल में लोगों की तकालीफ का अहसास बहुत विविड (स्पष्ट) है क्योंकि मैं ने उनको अभी आंखों से देखा है। ऐसा अहसास मुझे पहले कभी नहीं हुआ था। मैं चाहता हूं कि उन सब को यहां बयान करूं और मैं चाहता हूं कि आप मुझे ऐसा करने के लिए कल मौका अता फरमावें।

इसके पश्चात् लोक-सभा शुक्रवार, २२ मार्च १९५७ के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

†मूल अंग्रेजी में।

दैनिक संक्षेपिका

[बृहस्पतिवार, २१ मार्च, १९५७]

	पृष्ट
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	८७–८९

(१) औद्योगिक विवाद अधिनियम, १९४७ की धारा ३८ की उपधारा (४) के अधीन १० मार्च, १९५७ की अधिसूचना संख्या ७७० में प्रकाशित औद्योगिक विवाद (केन्द्रीय) नियम, १९५७ की एक प्रति।

(२) मंत्रियों द्वारा विभिन्न सत्रों में, जैसा कि प्रत्येक के सामने दिया गया है, दिये गये विभिन्न आश्वासनों, वचनों और प्रतिज्ञाओं के सम्बन्ध में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के निम्नलिखित विवरणों की एक एक प्रति :—

(एक) अनुपूरक विवरण संख्या १ लोक-सभा का चौदहवां सत्र, १९५६

(दो) अनुपूरक विवरण संख्या ८ लोक-सभा का तेहरवां सत्र, १९५६

(तीन) अनुपूरक विवरण संख्या १४ लोक-सभा का बारहवां सत्र, १९५६

(चार) अनुपूरक विवरण संख्या १६ लोक-सभा का ग्यारहवां सत्र, १९५५

(पांच) अनुपूरक विवरण संख्या १९ लोक-सभा का दसवां सत्र, १९५५

(छैः) अनुपूरक विवरण संख्या २५ लोक-सभा का नवां सत्र, १९५५।

(३) खान तथा खनिज (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, १९४८ की धारा १० के अधीन जारी की गई चारों अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति।

(४) ६ फरवरी, १९५७ की अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० ४५६ में प्रकाशित आय पर दोहरे कराधान स राहत अथवा

पष्ठ

उसको हटाने के लिये भारत सरकार और श्री लंका सरकार के बीच हुए करार की एक प्रति।

(५) समवाय अधिनियम, १९५६ की धारा ६४१ की उपधारा (३) के अधीन, २१ दिसम्बर, १९५६ के एस० आर० ओ० संख्या ३१३४ की एक प्रति।

(६) समवाय अधिनियम, १९५६ की धारा ६४२ की उपधारा (३) के अधीन, समवाय (केन्द्रीय सरकार के) सामान्य नियम तथा प्रपत्रों, १९५६ में कुछ संशोधन करने वाली दोनों अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति।

(७) हैदराबाद राज्य बैंक अधिनियम, १९५६ की धारा ४१ की उपधारा (३) के अधीन, ४ अक्तूबर, १९५६ की अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० २२७४ में प्रकाशित हैदराबाद राज्य बैंक (प्रतिकर) नियम, १९५६ की एक प्रति।

(८) कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, १९५२ की धारा ७ की उपधारा (२) के अधीन, कर्मचारी भविष्य निधि योजना, १९५२ में आगे कुछ और संशोधन करने वाली १९ जनवरी, १९५७ की अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० २१७ की एक प्रति।

(९) कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, १९५२ की धारा ४ की उपधारा (२) के अधीन १९ जनवरी, १९५७ की अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० २१८ की एक प्रति।

(१०) कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, १९५२ के अधीन निकाली गई, १६ फरवरी, १९५७ के एस० आर० ओ० संख्या ५२९ की एक प्रति।

(११) १९ मार्च, १९५७ को होने वाली नियम समिति की बैठक की कार्यवाही के सारांश की एक प्रति।

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के प्रतिवेदन की उपस्थापना ८९

अड़सठवां प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया था।

पृष्ठ

कार्य-मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन स्वीकृत किया गया ८९

अड़तालीसवां प्रतिवेदन स्वीकृत किया गया।

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्ताव ८९–१००

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्ताव के संबंध में चर्चा समाप्त हुई। डा० रामाराव द्वारा प्रस्तुत किये गये संशोधन पर सभा में मत-विभाजन हुआ, पक्ष में १७, विपक्ष में १७२। परिणामस्वरूप संशोधन अस्वीकृत हुआ। श्री त्रि० कु० चौधरी द्वारा प्रस्तुत किये गये संशोधन पर सभा में पुनः मत-विभाजन हुआ। पक्ष में १८, विपक्ष में १६८। परिणामस्वरूप संशोधन अस्वीकृत हुआ।

श्री वि० ध० देशपांडे द्वारा प्रस्तुत किया गया संशोधन अवरुद्ध हो गया और अन्य सभी संशोधन वापस ले लिये गये। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

१९५६-५७ के लिये अनुदानों की अनुपूरक मांगें (रेलवे) १००–०६

रेलवे के सम्बन्ध में अनुदानों की अनुपूरक मांगों के सम्बन्ध में चर्चा हुई और मांगे पूरी पूरी स्वीकृत हुईं।

अनुदानों की अनुपूरक मांगें—१९५६-५७ १०६–१९

१९५६-५७ के लिये विभिन्न मंत्रालयों से सम्बन्धित अनुदानों की अनुपूरक मांगों के संबंध में चर्चा हुई और मांगें पूरी-पूरी स्वीकृत हुईं।

अतिरिक्त अनुदानों की मांगें—१९५२-५३

१९५२-५३ के लिये अतिरिक्त अनुदानों की मांगों के संबंध में चर्चा हुई और मांगें पूरी-पूरी स्वीकृत हुईं।

अनुदानों की मांगें—करल १२०–२४

वर्ष १९५६-५७ के वित्तीय वर्ष के अन्तिम पांच महीनों में केरल राज्य को संचित निधि में से किये गये व्यय के सम्बन्ध में, जिस का अधिकार राज्य पुनर्गठन अधिनियम, १९५६

पृष्ठ

की धारा ७० के अधीन दिया गया था, अनुदानों की मांगों पर चर्चा की गई और मांगें पूरी-पूरी स्वीकृत हुई ।

सामान्य आय व्ययक—सामान्य चर्चा १२५–२९

१९५७–५८ के सामान्य आय-व्ययक के सम्बन्ध में सामान्य चर्चा आरम्भ हुई । चर्चा समाप्त नहीं हुई ।

शुक्रवार, २२ मार्च, १९५७ के लिये कार्यावलि

१९५७-५८ के सामान्य आय-व्ययक और गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्पों पर और आगे सामान्य चर्चा ।